खण्ड-434, अंक-1
बुधवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1922
(11 अप्रैल, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ङ
उपस्थित सदस्य	ण-त
उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापन हेतु अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री से त्यागपत्र की मांग (जारी) ...	1-3
प्रश्नोत्तर.....	3-75
उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापन हेतु अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री से त्यागपत्र की मांग (जारी) ...	75-82
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	82
जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रघुनाथपुर एवं कोड़ियारपुर नालों पर पुल निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद फतेहपुर के ग्राम सैरपुर मजरा सौनाखेड़ा निवासी भूतपूर्व सैनिक (दलित परिवार) का उत्पीड़न रोकने एवं दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82-83
जनपद सीतापुर, कोतवाली महोली की पुलिस द्वारा बड़ा गांव मितौली मार्ग पर वन विभाग के शीशम के पेड़ कटवाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद इलाहाबाद के ग्राम झारी में आग लग जाने से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
जनपद फैजाबाद के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत राजे सुल्तानपुर में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
महाराज सिंह इण्टर कालेज बहराइच में चतुर्थ श्रेणी पद से सेवा निवृत्ति अली हुसैन को 20 माह पश्चात् भी पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्था (नावा) राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठापित संस्था लखनऊ के कर्मियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84-85
उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापन हेतु अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग विषयक प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	85
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	85

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 .... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन), विधेयक, 2000 .... (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	86
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 78वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	86
जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम मगुरा में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को आरक्षित भूमि पर निर्मित कराये जाने विषयक श्री श्याम धर शुक्ल आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	86
प्रदेश के कालीन एवं दरी बुनाई से संबंधित मजदूरों को बुनकर घोषित किये जाने विषयक श्री नन्द लाल मौर्य आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	86-87
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	87-89
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के चौथे मंगलवार दिनांक 12 अगस्त, 1997 को डा० सरजीत सिंह डंग के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संबंध में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का शोधित उत्तर... ...	89-91
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	91-92
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (पारित) ...	92-93
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 (पारित)	94-96
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	96
"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी बूटियों के उत्पादन उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजेपयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	96
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	96

विषय	पृष्ठ संख्या
"इस सदन का निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करे।" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	96
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	97-99
ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी 50 हैण्डपम्प स्थापना हेतु प्रस्ताव करने के अधिकार के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	99-100
वर्ष, 2000 की परीक्षाओं में रंगीन एवं श्वेत श्याम फोटोग्राफ माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आवेदन पत्रों में स्वीकार न किये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	100-101
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा 1999 में मेधावी छात्र/छात्राओं की सम्मिलित वरीयता (मेरिट) सूची में की गयी हेरा फेरी से विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह एवं लाखों मेधावी छात्र/छात्राओं में व्याप्त कुण्ठा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	101-102
जनपद उन्नाव में पुलिस की सांठ-गांठ से मादक पदार्थों की खुले आम बिक्री से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में मा० सदस्य विधान सभा सर्वश्री राम कुमार एडवोकेट एवं उदयराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	102-103
इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 12 एवं 13 के संबंधित विनियमों तथा संहिता के पैरा–119 में संशोधन के पूरे प्रदेश में कक्षा–9 के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाने के संबंध में श्री रामऔतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	103
जनपद मथुरा में परिक्रमा मार्ग के सार्वजनिक मंदिरों में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के निदान हेतु परिक्रमा गोवर्धन के मंदिरों का जनहित में अधिग्रहण कर प्रशासक नियुक्त करने तथा मां वैष्णव देवी मंदिर की भांति ट्रस्ट बनाये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	104

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड औराई के ग्राम पीपर गांव में स्थित पंचायत भवन में पंचायत कार्यालय न खुलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	104
प्रदेश के मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का (पत्राचार) बी० टी० सी० प्रशिक्षण पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	105-106
खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्ययोजना बनाने एवं रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग आदि विषयक दिनांक 15-7-99 के ता० प्र० सं०–4 नत्थी (ग) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन	107
नत्थियां	108-111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा सदस्यों की सूची)

1–अब्दुल सलाम, श्री — प्रतापगढ़
2–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
6–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
7–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
8–अजय राय, श्री — वाराणसी
9–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
12–अनिल कुमार, श्री — बलिया
13–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
14–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
15–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
16–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
17–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
18–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
19–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
20–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21–अमर मणि, श्री — महराजगंज
22–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री — बाराबंकी
39–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
40–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
41–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
42–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
46–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
47–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
51–ओइमूवेश, स्वामी — बिजनौर
52–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
53–ओम प्रकाश, श्री — एटा
54–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
55–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
56–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
57–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
58–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
59–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
60–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
61–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
62–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
63–काशी राम, श्री — रामपुर
64–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
65–कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
66–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री — पिथौरागढ़

67–कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
68–कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
69–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71–केशो मेहरा, श्री — आगरा
72–के० सी० सिंह "बाबा", श्री — उधम सिंह नगर
73–कैलाश, श्री — गाजीपुर
74–कैलाश सिंह राजपूत, श्री — फर्रुखाबाद
75–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
76–कौकब हमीद, श्री — मेरठ
77–कौशल किशोर, डा० — खीरी
78–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
79–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
80–गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
81–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
82–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
83–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
84–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
85–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
86–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
87–गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
88–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
89–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
90–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
91–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
92–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
93–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
94–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
95–चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
96–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
97–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
98–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
99–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
100–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
101–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
102–जगपाल, श्री — सहारनपुर
103–जगत पाल सिंह, मेजर — मुरादाबाद
104–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
105–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
106–जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
107–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
108–जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
109–जटा शंकर, श्री — बहराइच
110–जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
111–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
112–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
113–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
114–जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
115–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
116–जैय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
117–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
118–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
119–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
120–ज्ञान चन्द, श्री — उत्तरकाशी
121–ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़
122–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
123–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
124–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
125–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
126–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
127–तोताराम, श्री — मुरादाबाद
128–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
129–ददू प्रसाद, श्री — बांदा
130–दयाशंकर, श्री — जालौन
131–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
132–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
133–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
134–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
135–दीप लाल भारती, श्री — पडरौना
136–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
138–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
139–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
140–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई

141–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
142–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
143–नन्दराम, श्री — बरेली
144–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
145–नरेन्द्र सिंह, श्री — आजमगढ़
146–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
147–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
148–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
149–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
150–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
151–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
152–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
153–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
154–नेतराम सिंह, श्री — एटा
155–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
156–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
157–पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित सदस्य
158–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
159–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
160–पूर्णमासी पंकज, डा० — भदोही
161–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
162–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
163–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
164–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
165–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
166–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
167–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
168–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
169–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
170–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
171–फरीद महफूज किदवाई, श्री — बाराबंकी
172–फागू, श्री — मऊ
173–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
174–बंशीधर भगत, श्री — नैनीताल
175–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
176–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
177–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
178–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ
179–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
180–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
181–बाबू खां, श्री — हरदोई
182–बाबू राम, श्री — ज़ालौन
183–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
184–बाबू लाल कुरील, श्री — उन्नाव
185–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
188–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
189–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
190–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
191–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
192–बी० आर० वर्मा, श्री — जौनपुर
193–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
194–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
195–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
196–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
197–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
198–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
199–भरत सिंह, श्री — बलिया
200–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
201–भारत सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
202–भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकर नगर
203–भोनू राम सोनकर, श्री — गाजीपुर
204–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
205–मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
206–मंजू, श्रीमती — बलिया
207–मंडलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
208–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
209–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
210–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
211–मस्तराम, श्री — उन्नाव
212–महाराज सिंह यादव, श्री — इटावा
213–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
214–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
215–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर

216–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
217–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बांदा
218–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
219–मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
220–मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
221–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
222–मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
223–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती एटा
224–मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
225–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
226–मुन्ना लाल मौर्य, श्री फतेहपुर
227–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
228–मुराद लारी, श्री देवरिया
229–मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
230–मुस्लिम, डा० रायबरेली
231–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री इटावा
232–मूल चन्द, श्री बिजनौर
233–मोती लाल, श्री खीरी
234–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री गढ़वाल
235–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
236–यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
237–यशवन्त, श्री आजमगढ़
238–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
239–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री देवरिया
240–रंगनाथ मिश्र, श्री भदोही
241–रंग बहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
242–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अल्मोड़ा
243–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भईया', कुंवर प्रतापगढ़
244–रघुवर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
245–रज्जन पाल सिंह, श्री एटा
246–रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
247–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
248–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
249–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
250–रमेश राही, श्री सीतापुर
251–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
252–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
253–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
254–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
255–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
256–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
257–राजधारी, श्री बलिया
258–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
259–राज़पाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
260–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
261–राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
262–राजाराम पाल, श्री कानपुर देहात
263–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
264–राजेन्द्र यादव, श्री गाजीपुर
265–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
266–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
267–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
268–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
269–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
270–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
271–राधेश्याम मुप्त, श्री फतेहपुर
272–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
273–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
274–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
275–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
276–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
277–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
278–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
279–राम कुमार एडवोकेट, श्री उन्नाव
280–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
281–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
282–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
283–राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
284–रामजग, श्री आजमगढ़
285–रामतेज यादव, एडवोकेट, श्री बहराइच
286–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
287–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
288–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ

289-राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
290-रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
291-रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
292-राम पाल सिंह, श्री — गोण्डा
293-राम प्यारे सिंह, श्री — आजमगढ़
294-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
295-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
296-राम बाबू हरित, डा० — आगरा
297-राम रतन यादव, श्री — सुल्तानपुर
298-राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
299-राम ललित चौधरी, श्री — बस्ती
300-राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
301-रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
302-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
303-राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
304-राम सखी, श्रीमती — अलीगढ़
305-राम सिंह, डा० — अलीगढ़
306-राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
307-राम सिंह सैनी, श्री — हरिद्वार
308-राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
309-राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
310-राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
311-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
312-राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तानपुर
313-रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
314-रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
315-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
316-रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री — मुरादाबाद
317-रूप चौधरी, श्री — मेरठ
318-रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर — इलाहाबाद
319-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
320-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
321-लवकुश कुमार, श्री — बिजनौर
322-लाखीराम जोशी, श्री — टिहरी गढ़वाल
323-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
324-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
325-लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
326-लाल सिंह वर्मा, श्री — इटावा
327-लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
328-वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
329-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
330-वहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
331-विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
332-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
333-विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
334-विजय पाल सिंह, श्री — आगरा
335-विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
336-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
337-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
338-विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री — गोण्डा
339-विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
340-विनोद मणि, श्री — महराजगंज
341-विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
342-विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
343-विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
344-विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
345-विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
346-विशन सिंह चुफाल, श्री — पिथौरागढ़
347-विशम्भर सिंह, श्री — मथुरा
348-विश्वनाथ, श्री — पडरौना
349-वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
350-वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
351-वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
352-वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
353-शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
354-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
355-शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री — रायबरेली
356-शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
357-शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
358-शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
359-शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
360-शिव प्रसाद, श्री — हरदोई
361-शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर

362–शिव शंकर, श्री — बांदा
363–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
364–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
365–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
366–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
367–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
368–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
369–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
370–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
371–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
372–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
373–श्याम सुंन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
374–श्रीराम, श्री — मऊ
375–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
376–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
382–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
385–सन्त, श्री — गोरखपुर
386–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
387–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
388–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
389–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
390–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
391–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
392–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, — मुरादाबाद
393–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
394–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
396–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
400–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री — बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह श्री — बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री — उधम सिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
411–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
412–सौलत अली, एडवोकेट, श्री — मुरादाबाद
413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिनारायण, श्री — बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
421–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
422–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
423–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
424–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
425–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
426–* रिक्त– — एटा

महामहिम राज्यपाल

श्री सूरजभान

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री राम प्रकाश (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वित्त
3	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा
4	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
5	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा
6	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	गन्ना विकास
9	चौधरी नरेन्द्र सिंह	खाद्य एवं रसद
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण ।
12	श्री राजधारी सिंह	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	"पटेल" राम कुमार वर्मा	सहकारिता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
16	श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
17	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा ।
18	श्री सरदार सिंह	मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण ।
19	श्री राधेश्याम गुप्ता	न्याय
20	श्री बाबू राम, एम०काम०	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
21	श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर ।
22	श्री शिव प्रताप शुक्ल	ग्राम्य विकास
23	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा ।
24	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
25	श्री हरिशंकर तिवारी	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
26	श्री मण्डलेश्वर सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास ।
27	राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
28	डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
29	चौधरी लक्ष्मी नारायण	कारागार
30	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा ।
31	श्री धनराज यादव	उद्यान
32	श्री शिवाकान्त ओझा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
33	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	लघु उद्योग
34	श्री फागू चौहान	पशुधन एवं मत्स्य
35	श्री राजाराम पाण्डे	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
36	कुंवर रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"	खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल ।
37	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास ।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	पंचायती राज
2	श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
3	श्री जयपाल सिंह	दुग्ध विकास
4	श्री अशोक यादव	पर्यटन
5	श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन ।
6	राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।
7	श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
8	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
9	श्री भगवान सिंह शाक्य	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन ।
10	श्री सुरेश खन्ना	नियोजन

राज्य मंत्री

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
1	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
2	श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
3	श्री रंगनाथ मिश्र	गृह
4	श्री मंगल सिंह सैनी	सिंचाई
5	श्री सतीश शर्मा	कृषि
6	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
7	श्री राकेश त्यागी	सहकारिता
8	श्री सतीश महाना	नगर विकास
9	श्री शिव शंकर सिंह	सिंचाई
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	लोक निर्माण
11	श्री लल्लू सिंह	ऊर्जा
12	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिवहन
13	श्री विवेक कुमार सिंह	ऊर्जा
14	श्री संग्राम सिंह	कृषि
15	श्री वंश नारायण पटेल	खाद्य तथा रसद
16	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
17	श्री हरि नारायण राजभर	ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई
18	श्री राम बाबू हरित	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
19	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
20	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21	श्री बंशीधर भगत	वन
22	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
23	श्री यशवन्त सिंह	आबकारी
24	श्री नारायण राम दास	आबकारी
25	श्री दलवीर सिंह	गन्ना विकास
26	श्री रामचन्द्र बाल्मीकी	गन्ना विकास
27	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
28	श्री विक्रमाजीत मौर्य	ऊर्जा
29	सुश्री डा० शीमा रिजवी	चिकित्सा शिक्षा
30	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
31	श्री गंगा बख्श सिंह	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
32	श्री राम आसरे कुशवाहा	वन
33	श्री रामपाल राजवंशी	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
34	श्री बहोरन लाल मौर्य	राजस्व
35	श्री बिहारी लाल आर्य	खाद्य एवं रसद
36	श्री राम लखन पासी	समाज कल्याण
37	श्री श्रीराम सोनकर	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
38	श्री विनय कुमार पाण्डेय	कारागार
39	श्री वेद प्रकाश	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा
40	डा० अरविन्द कुमार जैन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
41	श्री अमरमणि त्रिपाठी	संस्थागत एवं व्यापार कर
42	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	पशुधन एवं मत्स्य
43	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	खेलकूद, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय विकास दल
44	श्री मुन्ना लाल मौर्य	खाद्य तथा रसद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),

2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),

3–श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (झांसी),

4–श्री हरवंश कपूर, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),

5–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),

6–श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा (हरिद्वार),

7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),

8–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

9–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),

10–श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार 11 अप्रैल, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	27–कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
2–अजय प्रताप सिंह उर्फ		28–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	29–चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
3–अजय राय, श्री	वाराणसी	30–चौधरी बाबू लाल, श्री	आगरा
4–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	31–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
5–अनिल कुमार, श्री	बलिया	32—छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
6–अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	33–छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
7–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	34–जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
8–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	35–जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
9–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	36–जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
10–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	37–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
11–अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	38–जितनेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
12–अशफाक अहमद, श्री	बरेली	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
13–अशोक कुमार, श्री	जौनपुर	39–ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी
14–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	40–ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
15–आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	41–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
16–इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर	42–तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
17–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	43–दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
18–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	44–धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
19–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	45–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
20–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	46–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
21–काजिम अली खां उर्फ		47–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवेद मियां, श्री	रामपुर	48–नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़
22–काजी मौहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	49–निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
23–कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	50–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
24–कृष्ण पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	51–प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
25–के० सी० सिंह बाबा, श्री	उधम सिंह नगर	52–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
26–कैलाश, श्री	गाजीपुर	53–बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही

54–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
55–बनारसी दास चांदना, श्री — मेरठ
56–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
57 बाबू राम, श्री — जालौन
58–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
59–मंजू, श्रीमती — बलिया
60 मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
61–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
62–महाराज सिंह यादव, श्री — इटावा
63–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
64 महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
65–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
66–मुश्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
67–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
68–मूल चन्द्र, श्री — बिजनौर,
69–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
70–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
71–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
72–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
73–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कुंवर, — पडरौना
74–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — गढ़वाल
75–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
76–राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
77–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
78–राधेश्याम सिंह, श्री — पडरौना
79–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
80–रामचन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
81–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
82–राम पाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
83–राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
84–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
85–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
86–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
87–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
88–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
89–राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
90–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
91–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
92–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
93–लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
94–विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
95–विजय पाल सिंह, श्री — आगरा
96–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
97–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
98–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
99–बिरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
100–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
101–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
102–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
103–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
104–शिव शंकर, श्री — बांदा
105–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
106–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
107–श्री रामपाल, श्री — जालौन
108–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
109–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
110–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
111–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
112–सुखवीर सिंह पुण्डीर — सहारनपुर
113–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
114–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
115–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
116–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
117–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
118–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापन की अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें । माननीय सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष कुछ कहने जा रहे हैं । माननीय अवधेश जी आपके नेता खड़े हैं आप बैठ जायें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, वह सदन जिसमें सरकार ही नहीं हो और सदन की कार्यवाही चले, आप जैसे विद्वान व्यक्ति उसका संचालन करें तो फिर किससे कुछ कहा जाय । आपसे हमारा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को आगे न चलने दीजिए और आज एडजोर्न कर दीजिए । दूसरी सरकार आये फिर कार्यवाही का संचालन करियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार --

मान्यवर, मेरी बात सुन लें आपको सुविधा हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

पहले मेरी बात सुन लें तो फिर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोग कृपया बैठ जायें । जिस विषय पर चर्चा आप कर रहे हैं उस विषय पर कार्य स्थगन की सूचना आ गयी है । तो मेरा अनुरोध है कि जो भी माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं, चूकि कार्य स्थगन उचित नियम है जिसके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, उसमें अपनी बात रख दें तो वह ज्यादा उचित होगा ।

(व्यवधान)

नियमों के अनुसार चलिये । यह सदन नियमों के अनुसार चलायें या फिर सारे नियमों को तोड़ दीजिये । कार्य स्थगन की सूचना इसलिए ही होती है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके निर्देशानुसार इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कल व्यापार कर विधेयक के पुरः स्थापन के समय मत विभाजन में यह सरकार अल्पपत में आ गई है और अल्पमत में आ जाने के कारण अब उसको सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए इस उद्देश्य से सभी विपक्ष के लोग कल महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थे और उन्हें बात बतायी । मान्यवर, 1967 में इसी प्रकार एक विधेयक में मत विभाजन के समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्ता जी की सरकार अल्पमत में आ गयी थी और उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था । श्री राम प्रकाश गुप्ता जी भी गुप्ता हैं तो फिर वह सी० बी० गुप्ता जी का अनुसरण करके एक आदर्श प्रस्तुत करें ।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम-56 की सूचना आयेगी तो उस समय यह बात कह दीजियेगा और एक अच्छे गंभीर वातावरण में चर्चा हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य –

यह भारत का संविधान है और भारत के संविधान की .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी , मेरा अनुरोध है कि सारे संविधान की पुस्तिका नियमावली सारे तर्क जितने हैं यह जब नियम–56 की सूचना ली जायेगी उस समय विस्तारपूर्वक सदन के सामने रख दीजियेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जब यह सदन रह नहीं गया है तो फिर सदन की कार्यवाही चलने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि मैं परीक्षण करवा रहा हूं । तो जब तक उनका निर्णय नहीं आता है तब तक के लिए आप सदन की आगे की कार्यवाही को संचालित न करियेगा, समाप्त कर दीजियेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अगर इस सरकार में जरा सा भी नैतिक साहस है तो जिस तरह से चन्द्रभान गुप्ता जी ने इस्तीफा दिया था उसी तरह से रामप्रकाश गुप्त जी इस्तीफा दें ।

श्री अध्यक्ष–

कल विधेयक के पुरःस्थापन के लिए सदन ने अनुज्ञा नहीं दी, केवल मात्र इतना हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप संविधान की अनुच्छेद 109 देखने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

उस समय कहियेगा जब नियम 56 आयेगा, अभी प्रश्नकाल आ जाये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल चलने दीजिये, नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना में अपनी बात कहें । यह तर्क नहीं सुन रहा हूं, लिखा नहीं जायेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के समय यह बात कहियेगा, जो अभी कहना चाहते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

आपको सहूलियत होगी, इसी समय बता दूंगा तो।

श्री अध्यक्ष–

उसी समय बता दीजियेगा, प्रि-मेच्योर डिलीविरी सरवाईव नहीं करती।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार पराजित हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं 12.00 बजे तक के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 9 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12.00 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.00 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है)

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विश्वविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव

**1–श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव तथा अनुशासन हीन छात्रों का अध्ययन के लिये प्रवेश हो जाने के कारण छात्र अशान्ति बनी रहती है ? यदि हां, तो सरकार इसके निराकरण हेतु क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र अशान्ति के कई कारण हो सकते हैं जिनमें छात्र संघों के चुनाव की वर्तमान व्यवस्था का भी योगदान है।

कुलाधिपति की अध्यक्षता में कुलपतियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श कर छात्र संघों के चुनाव की वर्तमान व्यवस्था व प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन का निर्णय लिया गया है और विश्वविद्यालयों से अपने अध्यादेशों में आवश्यक विधिक प्राविधान कर इन निर्णयों को आगामी शैक्षिक सत्र से लागू करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के आवास आवंटन हेतु समिति गठित करने की जानकारी

**2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में विधायकों को कक्ष आवंटन की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को आवास आवंटन हेतु समिति के गठन पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश–

मा० विधायकों को विधायक निवासों में कक्षों का आवंटन "उ० प्र० राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली 1963" के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के तहत किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० विधायकों को विधायक निवासों में कक्षों के आवंटन हेतु पूर्व से ही "उ० प्र० राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली 1963" बनी हुयी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सी० बी० एस० ई० बोर्ड माण्टेसरी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस लेने/नियंत्रण हेतु नीति निर्धारित करने की मांग

*1–श्री छोटे लाल राजभर, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री बी० आर० वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अलावा अन्य संस्थाओं सी० बी० एस० ई० बोर्ड तथा माण्टेसरी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो यह नीति क्या है ? क्या यह सही है कि सी० बी० एस० ई० बोर्ड तथा मांण्टेसरी संस्थाओं द्वारा मनमाने ढंग से शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर नियंत्रण लगाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री राम औतार शाक्य–

[3 रे मंगलवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रक्रिया को सरल करने के उपाय

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रचलित नीति, प्रक्रिया एवं नियमों के सरलीकरण पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां । प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रचलित नीति, प्रक्रियाओं तथा नियमों का सरलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है । प्रदेश सरकार उद्यमियों से विचार विमर्श करके प्रक्रियाओं तथा नीतियों में निरन्तर संशोधन/सुधार करती रहती है ।

प्रदेश में उद्योग परक औद्योगिक नीति, 1998 में बनाई गयी है । उद्योग स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय एवं समयबद्ध रूप से निर्णय कराने हेतु, "एकल मेज व्यवस्था" दिनांक 01 जनवरी, 1999 से लागू की है, जिसके अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु समस्त स्वीकृतियां/अनुमोदन 60 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पूंजी निवेश/नये पूंजीनिवेश के लिए विशेष कार्य योजना की जानकारी

*1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में प्रदेश में कितना पूंजीनिवेश हुआ है ? नये पूंजी निवेश के लिये सरकार क्या कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1998-99 में उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के 273 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 3092 करोड़ रुपये का निवेश निहित है । इसमें से 1379 करोड़ रुपये के 133 प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है तथा 241 करोड़ रुपये के 11 प्रस्ताव सक्रिय रूप से क्रियान्वयनाधीन हैं । इस अवधि में 30134 लघु उद्योगों की स्थापना हुई है, जिनमें 309 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 1998, निर्यात नीति, खनिज नीति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति बनाई गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री अम्बरीष कुमार–

[3 रे मंगलवार के लिये स्थगित ।

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटन हेतु निर्मित प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवंटन के विवरण की जानकारी

*3–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1998 से अब तक राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की कोई प्रतीक्षा सूची राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 द्वारा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उक्त प्रतीक्षा सूची में से अब तक कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को वरिष्ठतानुसार सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं और कितने अधिकारी/कर्मचारी अब तक प्रतीक्षारत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त प्रतीक्षा सूची के अतिरिक्त भी अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रतीक्षा सूची में उक्त तिथि से अब तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर अंकन कर लिया गया है ।

उक्त प्रतीक्षा सूची में जनवरी, 98 से अंकित आवेदकों में से अब तक कुल–191 अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटित किये गये हैं और कुल 1221 अधिकारी/कर्मचारी अब तक प्रतीक्षारत् हैं।

जी हां।

उच्चादेशों के अनुपालन में प्राथमिकता देते हुए आवास आवंटित किए गये हैं।

जी नहीं।

विस्तार निहित होने के कारण इसे सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

वाराणसी में रानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली पर स्मारक निर्माण/पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजना पर कार्यवाही की मांग

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में रानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली के क्षेत्र में स्थान अधिग्रहीत करने एवं उक्त स्थल पर रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति स्थापित करने व उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

वाराणसी में अस्सीघाट के निकट रानी लक्ष्मी बाई के जन्म स्थल पर स्मारक निर्माण एवं पर्यटन विकास हेतु अनुमानित लागत रु० 2.24 लाख की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

नकल अधिनियम के अन्तर्गत विद्यार्थियों के कारावास एवं आर्थिक दण्डों के सम्बन्ध में पुनर्विचार की मांग

*5–डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नकल अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार एक वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों दण्डों की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनर्विचार करके विद्यार्थियों के भविष्य को बचाने हेतु इस अध्यादेश/अधिनियम को स्थगित रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उपलब्ध खनिज के वाणिज्यिक उपयोग/राजस्व बढ़ाने की सरकार की योजना

*6–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज को वाणिज्यिक रूप में उपयोग करने तथा उससे राजस्व को बढ़ाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

जी हां।

योजना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1. अधिकाधिक राजस्व क्षेत्रों में खनिजों के पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

2. उप खनिज इमारती पत्थर व बालू/मौरंग के क्षेत्रों को खुली नीलामी द्वारा निस्तारित कराया जायेगा।

3. खनिजों के महत्वपूर्ण भण्डार जो वन भूमि में स्थित हैं, के लिये भारत सरकार से खनन कार्यों हेतु अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4. नये खनिज क्षेत्रों में परिहार स्वीकृत करने के उद्देश्य से इच्छुक उद्यमियों को खनिजों के भण्डार, श्रेणी आदि की सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी।

5. शासन द्वारा खनन एवं खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जा चुका है तथा खनन कार्यों हेतु सामयिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से खनन पट्टों को बंधक रखे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली जी० टी० रोड की चौड़ाई बढ़ाने की मांग

*7-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ग्राण्ड ट्रंक रोड की चौड़ाई कम होने और उस पर परिवहन का दबाव बढ़ते जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुयी है ? यदि हां, तो गत वर्ष 1998 और वर्तमान वर्ष में 25 जून, 1999 तक मार्ग दुर्घटनाओं का औसत क्या है ? क्या सरकार उसे रोकने के लिये रोड की चौड़ाई बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)-

प्रश्नगत रोड पर दुर्घटनाओं की स्थिति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में जी०टी०रोड की कुल लम्बाई 770 किमी० है जिसमें से कानपुर से बिहार सीमा तक 356.00 किमी० राष्ट्रीय मार्ग है तथा दिल्ली सीमा से कानपुर तक 414.00 किमी० राज्य मार्ग है। प्रदेश सरकार ने इस राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

जी०टी० रोड के कानपुर से बिहार की सीमा तक के राष्ट्रीय मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।

दिल्ली सीमा से कानपुर के जी०टी०रोड के 414.00 किमी० राज्य मार्ग का चौड़ीकरण वर्तमान में प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने हेतु विशेष कार्ययोजना के सम्बन्ध में जानकारी

*8-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालेश्वर त्यागी-

जी हां। साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए (सम्पूर्ण साक्षरता अभियान) का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से तैयार की गई कार्ययोजना के आधार पर 15-35 वयवर्ग के निरक्षरों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा मित्र" और "आचार्य जी" की नियुक्ति की योजना के व्यय भार की जानकारी

*9 श्री संजय गर्ग-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक मित्र एवं आचार्य की नियुक्ति की जा रही है ? यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष सरकार पर कितना व्यय भार आयेगा ? इस व्यय भार की व्यवस्था सरकार किस मद से करेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा मित्र" और "आचार्य जी" की नियुक्ति की कोई योजना नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपर्युक्त योजनाओं के संचालन, प्रक्रिया एवं मानकों के निर्धारण आदि की कार्यवाही गतिमान है, जिसके पूर्ण होने पर अंतिम रूप से लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

रुद्र प्रयाग, चमोली उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में जड़ी-बूटी के अवैध धन्धे को बन्द करने की मांग

*10 श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में जड़ी-बूटी का अवैध धन्धा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसको समाप्त करने के लिये सरकार कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)-

रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में जड़ी-बूटी के अवैध धन्धे का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। केवल उत्तरकाशी जनपद में माह सितम्बर, 99 में छापे के दौरान एक ग्रामीण के कब्जे से 1.3 किलोग्राम आतीस बरामद कर नियमानुसार एच-2 केस के तहत उससे रुपया 24,000 (रुपया चौबीस हजार मात्र) का मुआवजा वसूल किया गया।

वनों के अन्दर कड़ी निगरानी रखी जाती है व निकासी चौकियों पर गहरी छान-बीन की जाती है, क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर छापे भी मारे जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल के छात्रों को वितरित चावल की घटिया किस्म का होने की शिकायत

*11–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईमरी स्कूल के छात्रों को घटिया किस्म का चावल वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार छात्रों को अच्छा चावल वितरित किये जाने की दिशा में क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया अच्छा चावल ही वितरित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*12–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की भांति पेंशन का भुगतान सजकीय कोषागार से किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

सम्प्रति इस सम्बन्ध में शासन की कोई नीति नहीं है ।

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों की योग्यता, अनुभव आदि के सम्बन्ध में जानकारी

*13 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत प्रदेश के लगभग 910 माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु क्या-क्या योग्यतायें अनुभव आदि निर्धारित किया है ? क्या विषय विशेषज्ञों के चयन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? उक्त चयन कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं (व्यवसायिक शिक्षा में अतिथि को मानदेय के आधार पर अध्यापन हेतु रु० 50 प्रति व्याख्यान अधिकतम रु० 1500 प्रतिमाह पर आमंत्रित किया जाता है ।

अतिथि विषय विशेषज्ञों के लिये शासन स्तर से कोई योग्यता, अनुभव निर्धारित नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय इण्टर कालेज तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं एवं शिक्षकों के पदों को भरने की मांग एवं एक ही स्थान पर शिक्षकों की तैनाती की समय सीमा की जानकारी

*14–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय इन्टर कालेज तथा रा० उ० मा० विद्यालयों में प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अध्यापकों की एक ही स्थान पर नियुक्त रहने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र।

कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई शासनादेश नहीं है।

*15–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को नील गायों व जंगली सुअरों से नुकसान को रोकने के उपाय की जानकारी

*16–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को नील गायों व जंगली सुअरों से हो रहे जान व माल के नुकसान को रोकने हेतु सरकार क्या कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

कृषि फसलों के लिए हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु अनुज्ञा जारी करने के लिए वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–736/14-4-94-854/92, दिनांक 9-3-94, द्वारा जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभावित कृषक उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। जंगली सुअरों से जानमाल की क्षति से बचाव के लिए सम्बन्धित कृषक स्वयं सक्षम है।

उक्त से स्थिति स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल में शीशम के पेड़ सूखने के कारण/रोकथाम करने की मांग

*17-श्री जय प्रताप सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल में शीशम के पेड़ किसी बीमारी से सूखते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

पूर्वांचल में शीशम के वृक्षों के सूखने के कारणों/बीमारी का सर्वेक्षण कराकर इसके रोकथाम हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य किये गये हैं :–

(अ) सूख रहे शीशम के वृक्षों की बीमारी के कारणों तथा उसके निवारण के उपायों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश निर्गत किये गये ।

(ब) शीशम के पेड़ों पर लगने वाली बीमारी एवं कीड़ों के उपचार हेतु उपाय ढूढ़ने के उद्देश्य से वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा वन विभाग, उ० प्र० के अनुसंधान शाखा के विशेषज्ञों की एक सात सदस्यीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें बरेली, लखनऊ, मनकापुर, गोण्डा, तुलसीपुर, आनन्दनगर तथा गोरखपुर क्षेत्र सम्मिलित हैं, का भ्रमण कर शीशम के पेड़ों पर लगी बीमारी तथा कीट से प्रभावित शीशम के पेड़ों का अध्ययन किया गया । इस अध्ययन के पश्चात् दि० 11 जनवरी, 2000 को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारत सरकार, विश्वविद्यालय, कृषक, उद्योगपति, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा विभिन्न राज्यों से वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया । कार्यशाला में हुये विचार-विमर्श में यह पाया गया कि शीशम के पेड़ों के सूखने का मुख्य कारण विल्ट रोग है, जो "फ्यूजेरिम सोलनई" तथा "गैनोडर्मा" आदि फंगस से फैलता है । यह रोग जलवायु में परिवर्तन, असामयिक वर्षा, जल भराव तथा अत्यधिक मात्रा में खेतों में रसायनिक खाद के प्रयोग व सिंचाई के कारण मृदा के भौतिक गुणों में परिवर्तन से फैलता है, जिसके लिये प्रभावित क्षेत्रों के दीर्घकालीन जलवायु तथा जल चक्र से सम्बन्धित आंकड़ों को देखते हुये शीशम के रोपण के लिये उपयुक्त स्थल चयन, रोपण तकनीक तथा वनवर्धन प्रणाली पर ध्यान देना उचित है । कार्यशाला की उक्त संस्तुतियों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश भी दिये जा चुके हैं ।

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति की भांति पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने के सम्बन्ध में जानकारी

*18-श्री बी० आर० वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति की तरह सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में संविधान में कोई प्राविधान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभागीय कोटे से अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों पर टेलीफोन आपरेटर, टेलीप्रिन्टर आपरेटरों एवं जूनियर ग्रेड क्लर्कों को पदोन्नति के लाभ देने की मांग

*19–श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री भाई लाल तथा श्री विजय कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभागीय कोटे से अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों पर वर्ष 1988 के पूर्व 5 रिक्तियों मे से दो टंकक, एक टेलीफोन आपरेटर, एक जूनियर ग्रेड क्लर्क तथा एक टेलीप्रिन्टर आपरेटर को पदोन्नति किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1988 में सभी टंककों को अवर वर्ग सहायक के रूप में नियुक्ति कर दिये जाने से टेलीफोन आपरेटर, जूनियर ग्रेड क्लर्क एवं टेलीप्रिन्टर आपरेटरों को अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 1988 में जितने टंककों को अवर वर्ग सहायक बनाया गया था उन्हीं के अनुपात में उसी तिथि से अब तक रिक्त अवर वर्ग सहायक के पदों पर टेलीफोन आपरेटरों, टेलीप्रिन्टर आपरेटरों एवं जूनियर ग्रेड क्लर्कों को पदोन्नति का लाभ प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक इसके लिये आदेश जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्ष 1988 के पूर्व सचिवालय प्रशासन, सचिव शाखा में अवर वर्ग सहायक के पद पर टंकक, टेलीफोन आपरेटर/टेलेक्स आपरेटर/फैसिट आपरेटर, टेलीप्रिन्टर आपरेटर तथा जूनियर ग्रेड क्लर्क की 2:1:1:1 के अनुपात में तथा शेष शाखाओं में जूनियर ग्रेड क्लर्क तथा नियमित टंकक की 1:5 के अनुपात में चक्रीय पद्धति के आधार पर स्थानापन्न प्रोन्नति होती थी ।

जी नहीं । उ० प्र० सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1998 के नियम 5(2) में अवर वर्ग सहायक के 40% पदों पर टेलीफोन आपरेटर, टंकक एवं जूनियर ग्रेड क्लर्क की पदोन्नति का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोयडा और नोयडा में अधिग्रहीत किसानों की जमीन के मुआवजा भुगतान की मांग

*20–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रेटर नोयडा और नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर में करार नियमावली, सितम्बर, 1997 के माध्यम से अधिग्रहीत की गई किसानों की जमीन का 80 प्रतिशत मुआवजा ही अभी तक भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त बकाया मुआवजा की धनराशि किसानों को भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अवशेष 20% (प्रतिशत) का भुगतान अभिनिर्णय घोषित करने की प्रक्रिया के साथ-साथ किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेबर, ग्राम बड़ाहर में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण कराने की मांग

2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बड़ाहार, ब्लाक–बेबर, जनपद–मैनपुरी में पूर्व में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के पुनः निर्माण के संबंध में विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ० प्र० द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–6871/15-5-98-217/98, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 का अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विद्यालय के अविलम्ब निर्माण कराने के लिये पूर्ण धन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

दिनांक 21-9-99

प्रश्न नहीं उठता]

जी हां ।

द्वितीय तथा तृतीय किश्त की धनराशि क्रमशः दिसम्बर, 1999 एवं फरवरी, 2000 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में सोत नदी पर सेतु निर्माण हेतु तथा बदायूं बिल्सी मार्ग के कार्य हेतु स्वीकृत धन से कार्य पूरा कराने की जानकारी

3–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद बदायूं में सोत नदी पर सेतु निर्माण हेतु तथा बदायूं-बिल्सी मार्ग पर पहुंच एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु शासन के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 1999 द्वारा 64.50 लाख रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे तथा कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए स्थलीय तैयारी कर ली गयी है और कार्य अप्रैल, 2000 प्रथम सप्ताह में आरम्भ कर सेतु निर्माण जून, 2001 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक जामों, ग्राम ऐंथी के बाबूगंज बाजार में प्राइमरी पाठशाला के नवीन भवन में अवैध निवास करने सम्बन्धी शिकायत तथा शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

4–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक–जामों अन्तर्गत ग्राम–ऐंथी के बाबूगंज बाजार में प्रा० पा० का नवीन भवन कब निर्मित हुआ था ? क्या इसमें अब तक शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? क्या उक्त विद्यालय में कर रहे अवैध निवास को खाली कराये जाने हेतु गांववासियों एवं प्रधान आदि का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-6-99 बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त अवैध निवास को तत्काल हटवाकर उसमें शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नवीन भवन वर्ष 1988-89 में निर्मित हुआ था।

जी नहीं, नवीन भवन में शिक्षण कार्य संचालित है।

जी नहीं, विद्यालय में कोई अवैध निवास नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्हें ग्रामवासियों का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई अवैध निवास नहीं है और शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के हरिपालपुर प्राइमरी पाठशाला के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण में विलम्ब की जानकारी

5–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला, हरिपालपुर, जनपद–सीतापुर के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए उसके पुनर्निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? अब तक उक्त निर्माण न कराने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने तथा विलम्ब के लिये दोषी को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्ष 99-2000 में प्राथमिक विद्यालय हरिपालपुर के जर्जर भवन के निर्माण हेतु रुपये 2.15 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी उक्त धनराशि जुलाई, 99 में अवमुक्त कर दी गई है। निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के निर्माण समिति द्वारा कराया जाना है। शीघ्र निर्माण कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। विलम्ब सामान्यतः विकेन्द्रीकरण के अन्तगर्त नीति प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही के गतिशील रहते हुआ है । इसको लिये कोई दोषी नहीं है। अतः दण्डित करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में राजकीय इण्टर कालेज धुरेरनपुर में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-1999 जो सचिव, माध्यमिक शिक्षा को भेजा गया था तथा जो राजकीय इण्टर कालेज, धुरेरनपुर (चित्रकूट) में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?, क्या सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

डा० नैपाल सिंह-

जी हां।

शिक्षा निदेशक द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी को रिक्त पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं।

जी नहीं।

रिक्त पदों को भरने के संबंध में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से चयनोपरान्त शिक्षक उपलब्ध होने पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

जनपद चित्रकूट ब्लाक पहाड़ी एवं चित्रकूट की न्याय पंचायतों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की मांग

7–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक पहाड़ी एवं ब्लाक चित्रकूट में किन-किन न्याय पंचायतों को अब तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है जिनकी आबादी लगभग दो हजार है ? क्या ऐसी न्याय पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

न्याय पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने की कोई योजना नहीं है, शासन द्वारा घोषित मार्ग विकास नीति–98 के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के सजस्व ग्रामों को वर्ष 2005 तक एवं अवशेष समस्त ग्रामों को वर्ष 2010 तक पक्के मार्गों से जोड़ने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी वन प्रभाग को वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि में की गयी अनियमितता का भौतिक सत्यापन एवं जांच की मांग

8–श्री सतीश जतारिया–

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-11-96 से 30-6-98 के बीच वन विभाग, झांसी को वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी धनराशि दी गयी और उसमें कितने वृक्ष लगाये जाने का लक्ष्य था, कितने प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुई ? इस समय कितने वृक्ष मौके पर जीवित हैं ? क्या यह सही है कि वृक्षारोपण में गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराकर जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

दिनांक 12-11-96 से 30-6-98 के बीच झांसी वन प्रभाग को वृक्षारोपण कार्यों हेतु कुल रु० 174.37 लाख की धनराशि दी गयी थी। उक्त धनराशि से वर्षाकाल जुलाई-अगस्त में 642.5 हे० क्षेत्र में पौध लगाये जाने का लक्ष्य था।

उपरोक्त लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 1997-98 में 107.08 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की गयी।

वर्ष 1997-98 में कुल लगाये गये 7.544 लाख पौधों में से 5.332 लाख पौधे अर्थात 70.66 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोला गोकर्णनाथ से दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी की सड़क बायां गोला के क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

9–डा० कौशल किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गोला गोकर्णनाथ से दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी सड़क जो कि गोला, अलीगंज, बस्तौली, विजुआ भीरा होते हुए प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ती है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को बनवाने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

मार्ग की कुल 70 कि०मी० लम्बाई में 25 कि०मी० लम्बाई जो दुधवा-पलिया–लखनऊ राजमार्ग का भाग है, का सुधार विश्व बैंक पीड़ित एस०आर०पी०–11 योजना में प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 15 कि०मी० लम्बाई के सुधार का प्रस्ताव केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों/पुलों की योजना में प्रस्तावित है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद लखीमपुर खीरी ब्लाक नकहा, अम्बेडकर ग्राम निजामपुर निकटी को पक्की सड़क से जोड़ने एवं पेन्टेड कराने की मांग

10–डा० कौशल किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के ब्लाक नकहा में स्थित अम्बेडकर ग्राम निजामपुर निकटी को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये अमृतागंज निजामपुर निकटी मार्ग को पक्का करके पेन्टेड किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के गांवों को सन् 2005 तक तथा समस्त गांवों को 2010 तक लेपित मार्गों से जोड़े जाने की योजना है । तद्नुसार प्रश्नगत मार्ग के चयनित होने पर निर्माण कराना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद देवरिया, तहसील भाटपार रानी की अधिक दूरी के कारण अतिरिक्त अतिथि गृह निर्मित करने की मांग

11–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि भाटपार रानी तहसील-मुख्यालय जो कि जिला मुख्यालय देवरिया से काफी दूर स्थित है, पर कोई अतिथि गृह नहीं है ? क्या उक्त तहसील मुख्यालय पर अतिथि गृह का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति इस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में कटघर गोला, लालगंज से रणमों तक की स्वीकृत सड़क की धनराशि अन्यत्र प्रयोग करने/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कटघर गोला, लालगंज से रणमों तक की स्वीकृत सड़क (लम्बाई 3 कि०मी०) को सत्र 1998-99 में स्वीकृत स्थान पर न बनाकर कहीं अन्यत्र बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के अनियमित कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध जांच करके कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण स्वीकृत गोला कटघर लालगंज से रणमों मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय, लोक सभा, राज्य सभा के कर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान की भांति उ०प्र० सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वेतनमान देने की मांग

13–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक तथा उच्च पदों पर नियुक्त कर्मियों को केन्द्रीय सचिवालय लोक सभा, राज्य सभा के कर्मियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी उक्त आधार पर वर्ष 1989 में पुनरीक्षित वेतनमान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर, जो केन्द्र में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान देने का सिद्धान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है । तद्नुसार उ०प्र० सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक तथा उच्च पदों पर केन्द्रीय सचिवालय के समान वेतनमान दिये गये हैं । अवर वर्ग सहायक के पद पर सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया है ।

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने पर विचार करने के लिये सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है ।

सचिव समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गयी है ।

जिला चित्रकूट में यमुना नदी पर पीपे का पुल निर्मित किये जाने की मांग

14–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मऊ जिला चित्रकूट में यमुना नदी पर पीपे का पुल बनाया जाना स्वीकृत है तथा वर्ष 1997 में इस योजना में धन का आवंटन भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो कितना ? क्या उपरोक्त पीपे का पुल शीघ्र बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत कार्य की वर्ष 1997 में केवल प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हैं ।

प्रदेश के नगर क्षेत्रों में नगर शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

15–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश के नगर क्षेत्रों में नगर शिक्षा अधिकारियों (शिक्षा अधीक्षकों) के कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं ? सरकार उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

वर्तमान में शिक्षा अधीक्षक (पुरूष एवं महिला) के कुल 74 पद रिक्त हैं ।

रिक्त पदों में प्रोन्नति कोटे के पद यथाशीघ्र भर दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद झांसी नगर क्षेत्र मऊरानीपुर के नगर शिक्षा अधिकारी को जिला बेसिक कार्यालय में अनियमित रूप से सम्बद्ध करने तथा वेतन भुगतान आदि की जानकारी

16–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र मऊरानीपुर, जनपद झांसी के नगर शिक्षा अधिकारी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ने अपने आदेश दि० 2-1-98 द्वारा अपने कार्यालय में सम्बद्ध करके उनके स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षक नियुक्त किया था ? क्या सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद ने दि० 16-6-98 द्वारा इस सम्बद्धीकरण को अनियमित घोषित करते हुए इसे तुरन्त निरस्त करने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी को दिये थे और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी ने सचिव, बेसिक के उक्त आदेशों का पालन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि मऊरानीपुर जनपद झांसी के नगर शिक्षा अधिकारी के सम्बद्धीकरण दिनांक 2-1-98 से दि० 15-12-98 तक का वेतन निर्गत करने आदि के आदेश सचिव,

बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्र दि० 7-10-98 एवं मा० शिक्षा एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री के पत्र दि० 17-11-98 के द्वारा क्रमशः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी व निदेशक बेसिक शिक्षा को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस में श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई की मान्यता समाप्त करने के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 1998 को कतिपय विद्यालयों में बरती गयी घोर अनियमितताओं के क्रम में श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई, हाथरस की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०–38990/98 में पारित अन्तरिम आदेश दि० 20-8-99 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है तथा दिनांक 1-3-2000 को प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । याचिका अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत कनिष्ठ सहायक अध्यापकों को प्रधान अध्यापक बनाये जाने के संबंध में जानकारी

19–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत कनिष्ठ सहायक अध्यापकों को लगभग 15 वर्ष पूर्व से अनियमित रूप से प्रोन्नतियां देकर प्रधान अध्यापक बनाया जा रहा है और वरिष्ठ अध्यापकों को अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, ज्येष्ठता क्रम में ही वरिष्ठ अध्यापकों को प्रोन्नति दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री शिव गणेश लोधी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की गड्ढामुक्त योजना में मार्गों के पुनर्निर्माण के प्राविधान विषय में जानकारी

21–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत सड़कों को पुनः निर्माण करके जनता को आवागमन में होने वाले व्यवधान को दूर करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

गड्ढामुक्त योजना में मार्गों के पुनः निर्माण का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

सड़क विकास नीति गठित करके विभिन्न जनपदों को लाभान्वित करने के संबंध में जानकारी

22–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क विकास निधि गठित करके अभी तक कितने जनपदों को उससे लाभान्वित करके जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग विकास नीति 1998 के अनुसार प्रदेश के मार्गों के अनुरक्षण के लिए सड़क निधि का गठन किया गया है । वर्ष 99-2000 में इससे प्रदेश के लगभग सभी जनपदों को लाभान्वित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ ऐशबाग मोतीझील सचिवालय कालोनी के ऊपरी कमरों की छतों की मरम्मत कराने एवं अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों से आवास खाली कराने की मांग

23–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग लखनऊ के 48 ऊपरी भवनों की छतों की मरम्मत कार्य कराया जा रहा है जिसमें लगे कई कर्मचारी कई वर्षों से अनाधिकृत रूप से सरकारी आवासों में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनसे आवास खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां,

प्रश्नगत कालोनी में मात्र 40 ऊपरी भवनों की छतों का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जिसमें अनुरक्षण कार्य में लगा कोई भी कर्मचारी अनधिकृत रूप से किसी भी आवास में नहीं रह रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत के छपरौली टाण्डा के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

24–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माणमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली–टांडा के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण करने की 23 दिसम्बर, 1996 को मा० मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी ? यदि

हां, तो क्या पुल का निर्माण शुरू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त पुल का निर्माण अभी तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ? कब तक पुल का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सड़कों एवं पुलों के निर्माण की अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत उक्त पुल के निर्माण के संबंध में अनुमानित लागत रु० 15.90 करोड़ की 25 प्रतिशत धनराशि वहन करने पर हरियाणा सरकार द्वारा असहमति व्यक्त कर दिये जाने एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त वृहद लागत के पुल का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है ।

श्री रामदेव सिंह इण्टर कालेज कामता गंज, दोस्तपुर, सुल्तानपुर में प्रवक्ता श्री बब्बन सिंह के वेतन निर्धारण में त्रुटि के सुधार की मांग

25. श्री काशी नाथ–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बब्बन सिंह प्रवक्ता, श्री रामदेव सिंह इण्टर कालेज कामतागंज, दोस्तपुर, सुल्तानपुर के वेतन निर्धारण के संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी को दिनांक 23-7-99 एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 24-7-99 को और माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री को दिनांक 1-4-99 को दिये गये पत्रों के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह–

श्री बब्बन सिंह, प्रवक्ता श्री रामदेव सिंह इण्टर कालेज, कामतागंज दोस्तपुर, सुल्तानपुर के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को सुधार कर सही वेतन निर्धारण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर की प्राइमरी पाठशाला पतनारी नं०–1 में नियुक्त मृतक आश्रित श्री अरविन्द कुमार के वेतन भुगतान की मांग

26–श्री जोखू लाल यादव तथा श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर स्थित प्राइमरी पाठशाला पतनारी नं०–1 में मृतक आश्रित श्री अरविन्द कुमार को सहायक अध्यापक के पद पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया के आदेश दिनांक 25-9-98 द्वारा नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 8-10-98 से अब तक उनको वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त को वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

पारिवारिक विवाद होने के कारण एवं न्यायालय सिविल जज (जुडि०) (पश्चिमी) बलिया में योजित याचिका संख्या–175/98 रामलोचन बनाम अरविन्द कुमार में पारित आदेश दिनांक 5-2-99 एवं

स्व० सुमनलता के पति श्री राम लोचन दास के आवेदन पत्र पर अरविन्द कुमार का वेतन रुका हुआ है। वेतन के भुगतान की कार्यवाही मा० न्यायालय के अन्तिम निर्णय पर अविलम्बित होगी।

गृह जनपद लखीमपुर खीरी में तैनात वन क्षेत्राधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

27– श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद –लखीमपुर खीरी में वन क्षेत्राधिकारी के पद पर उसी गृह जनपद के निवासी को तैनात कर दिया गया है ? यदि हां , तो क्यों ? क्या इसमें शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां , तो क्या उक्त वन क्षेत्राधिकारी को उसके गृह जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां। तत्समय शासन को विभागाध्यक्ष द्वारा इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि प्रसंगत वन क्षेत्राधिकारी जनपद लखीमपुर खीरी के ही निवासी हैं। वर्णित स्थिति में श्री जमुना दीन त्यागी वन क्षेत्राधिकारी गृह जनपद में तैनात कर दिये गये थे, किन्तु वस्तुस्थिति का संज्ञान हो जाने पर अब उन्हें उनके गृह जनपद से अन्यत्र तैनाती हेतु विभागाध्यक्ष के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद गाजीपुर ब्लाक बाराचवर ग्राम सभा दहेन्दू में प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण की मांग

28–श्री गणेश राजभर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दहेन्दू ब्लाक बाराचवर गाजीपुर में प्रा० वि० के निर्माण हेतु धन आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक विद्यालय का भवन निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

विद्यालय के भवन का निर्माण प्रारम्भ हो गया था परन्तु निर्माण कार्य में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के क्षेत्र जहूराबाद में ग्राम मखदूमपुर ब्लाक कासिमाबाद में स्वीकृत जू० हा० स्कूल के अधूरे भवन के निर्माण की मांग

29–श्री गणेश राजभर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद जनपद गाजीपुर में जू० हा० स्कूल वर्ष 1996-97 में ग्राम मखदूमपुर ब्लाक कासिमाबाद में बनना स्वीकृत हुआ था ? क्या उसकी 8 फीट ऊंची दीवाल खड़ी कर छोड़ दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी को दण्डित करते हुए उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जी हां।

ग्राम प्रधान व स्थानीय व्यक्तियों के मध्य संयुक्त खाता खोलने में हुए विवाद के कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ था।

किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता, चूंकि विवाद का निराकरण हो गया है। विद्यालय भवन के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को दैवी आपदा हेतु प्राप्त धन के उपयोग की जानकारी

30–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर को अगस्त; 1998 तथा सितम्बर, 1999 में दैवी आपदा मद में कितना धन उ० प्र० शासन द्वारा तथा जिला योजना से प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त धन से क्या कार्य कब-कब कराये गये ? क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त योजना में धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत अवधि में कोई धनावंटन सन्दर्भित मद में प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कौशाम्बी को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने संबंधी योजना की जानकारी

31–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की पर्यटन नीति क्या है ? क्या पर्यटन की दृष्टि से कौशाम्बी को विकसित करने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अशोक यादव–

नई पर्यटन नीति 1998 के अन्तर्गत पर्यटन को प्रदेश में प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करना, विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नेतृत्व, संगठनात्मक तथा रणनीतिक दिशा प्रदान करने, पर्यटन उद्योग की गुणवत्ता बढ़ाने, देशी एवं विदेशी पर्यटकों के बीच उत्तर प्रदेश के उत्पादों का विपणन करने एवं प्रदेश के रुचिपूर्ण स्थलों को विकसित करके प्रदेश के रोजगार सृजन, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ का अर्जन करने हेतु उद्देश्य तथा रणनीति निर्धारित की गयी है।

नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटक स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रदेश को दस परिपथों में चिन्हित किया गया है। कौशाम्बी के पर्यटन विकास हेतु इसे "बौद्ध परिपथ" में सम्मिलित किया गया है। जनपद कौशाम्बी के पर्यटन विकास के अन्तर्गत आंतरिक सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, आर०सी०सी० बेंचों के निर्माण तक पुलियों की मरम्मत हेतु वर्ष 1998-99 में रु० 48.55 लाख की लागत की परियोजना स्वीकृत की गयी। योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं।

फैजाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग

32-श्री सीताराम निषाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फैजाबाद में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

मनोविज्ञान विषय के प्रवक्ता को छोड़कर शेष 4 विषयों क्रमशः रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदोन्नति द्वारा अथवा निकट भविष्य में आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री सीताराम निषाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इन्टर कालेज, फैजाबाद में जीव विज्ञान के 2 पद, गणित का एक पद, इतिहास के दो पद, अर्थ शास्त्र का एक पद, टेक्निकल का एक पद तथा अंग्रेजी के तीन पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करके पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

आयोग से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तथा पदोन्नति द्वारा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दिवाकर सिंह परिचारक उ० मा० विद्यालय, सोनहिता, जौनपुर के अवशेष भुगतान की मांग

34 श्री जय प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–93 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दिवाकर सिंह, परिचारक को उनके अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

नियुक्तियों की वैधता की जांच के कारण ।

धनावंटन किया जा चुका है ।

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

उन्नाव प्रान्तीय खण्ड द्वारा किसी भी सड़क का निर्माण वर्टिकल टेण्डर द्वारा न कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35-श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने सड़कों के निर्माण वर्टिकल टेण्डर से कराने का कोई शासनादेश जारी किया है ? यदि हां,तो क्या वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा किसी भी सड़क का निर्माण वर्टिकल टेण्डर द्वारा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के विपरीत कार्य करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

समयबद्ध जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव प्रान्तीय खण्ड द्वारा बनवाई गयी पुराना, मर्दनपुर, पनईखुर्द एवं पिपरासर आदि सड़कों का निर्माण मानक के आधार पर न कराने की जांच

36–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड उन्नाव द्वारा बनवाई गई सड़कें पुराना, मर्दनपुर, पनई खुर्द एवं पिपरासर की मोटाई आठ से० मी० के लगभग है ? यदि हां, तो क्या इनकी मोटाई लगभग 17 से० मी० होनी चाहिये ? यदि हां,तो क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्गों की जांच टी०ए०सी० से करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर जांच के परिणाम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर, तिलहर नगर की सड़क तिराहे से पंजाबी कालोनी तक के निर्माण में अनियमितता संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

37-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को तिलहर नगर की मेन सड़क तिराहे से पंजाबी कालोनी तक बन रही सड़क के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी ने दि० 26-3-1999 को परगनाधिकारी, तिलहर (शाह०) को उपरोक्त पत्र की जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो परगना अधिकारी ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर को जिला योजना से स्वीकृत धन के दुरुपयोग सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-2-99 जो जिला योजना स्वीकृत धन का दुरुपयोग करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र जिला अधिकारी शाहजहांपुर को 24-2-99 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राजधारी सिंह–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मा० सदस्य का संदर्भगत पत्र दिनांक 10-2-99 मा० तत्कालीन वन मंत्री जी के कार्यालय से शासन में प्राप्त होना नहीं पाया गया और न ही प्रश्नगत पत्र दिनांक 10-2-99 जिलाधिकारी शाहजहांपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ है । संदर्भगत पत्र के प्राप्त न होने के कारण वांछित कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद बस्ती में सामाजिक वानिकी एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लगाये गये वृक्षों के संबंध में जानकारी

39–श्री राम ललित चौधरी–

क्या परती भूमि विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में 1998-99 तथा 1999-2000 में सामाजिक वानिकी एवं अन्य योजनाओं के तहत कुल कितने वृक्ष लगाये गये तथा उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ ? इस समय लगाये गये वृक्षों में कितने वृक्ष मौके पर मौजूद हैं ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद बस्ती में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में सामाजिक वानिकी एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 4,28,330 एवं 4,51,665 पौधे लगाये गये । वर्ष 1998-99 में इन पर 31.06 लाख रुपये एवं वर्ष 1999-2000 में 13.13 लाख रुपये व्यय हुए ।

वर्ष 1998-99 में लगाये गये पौधों की सफलता 80-85 प्रतिशत एवं 1999-2000 में लगाये गये पौधों की सफलता लगभग 95 प्रतिशत है ।

जनपद बस्ती में पीलीभीत बहराइच मार्ग तथा लुम्बनी दुद्धी मार्ग को चौड़ा कराये जाने की मांग

40–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में पीलीभीत बहराइच मार्ग तथा लुम्बनी दुद्धी मार्ग को चौड़ा कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त मार्गों को चौड़ा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जनपद बस्ती में लुम्बनी–दुदुधी मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । पीलीभीत–बहराइच मार्ग की 11 कि०मी० लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष 21 कि०मी० का चौड़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण किये जाने की मांग

41–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में 31-3-1999 के उपरान्त कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण/ समायोजन किये गये हैं ? क्या उन स्थानान्तरण में उक्त नीति का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

शैक्षिक सत्र, 1999-2000 के लिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्नक में दृष्टान्त है । 13 शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थानान्तरण नीतिगत न होने के कारण अध्यक्ष, जिला पंचायत, मैनपुरी के आदेशानुसार निरस्त कर दिये गये ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 108-109 पर 1)

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नये प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के लक्ष्य तथा जनपद मैनपुरी में विद्यालयों की संख्या

42–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूरे प्रदेश में सरकार का कुल कितने नये प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य है और उनमें से कितने विद्यालय मैनपुरी जनपद में खोलने का लक्ष्य है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 60 जनपदों के अन्तर्गत 2186 नये प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है । जिला योजनान्तर्गत नये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–111 के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में वर्ष 2000-2001 में 38 प्राथमिक विद्यालय खोलना प्रस्तावित है ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाकों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

43–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में ब्लाक वाइज कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें विगत 3 माह से एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ऐसा कोई विद्यालय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में ब्लाक वाइज नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अधूरे भवनों के पुनः निर्माण कराने की मांग

44 श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में ब्लाक वाइज वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के कितने नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन अधूरे पड़े हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूची संलग्न है ।

जी हां ।

वर्ष 96-97 एवं 97-98 के अधूरे विद्यालयों के लिए 60% सुनिश्चित रोजगार योजना का अंश अवमुक्त हो गया है । इनके निर्माण की कार्यवाही गतिमान है शेष विद्यालयों हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना से 60% धनराशि उपलब्ध होने पर ही अधूरे भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 110 पर ।)

जनपद बदायूं में बदायूं-बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बिल्सी बाई पास पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं में बदायूं–बिजनौर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा बिल्सी बाई पास पर किये जा रहे अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के संबंध में उनके अर्ध शा० प० सं० 2279/23-2-99-4(1)/99 दि० 23 जुलाई, 1999 में उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बदायूं द्वारा जिन 24 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी की गई उनके नाम क्या हैं ? क्या नोटिस जारी करने के उपरान्त उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

अतिक्रमण हटाने के आदेश शासन के पत्र सं० 2279 (1)/23-2-99-4 (1)/99, दिनांक 3-8-99 के द्वारा दिये गये थे ।

जिन 24 व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध नोटिस जारी की गई उनके नाम निम्न प्रकार है :–

सर्वश्री कौशर अली खां (2) आशुतोष (ईंट उद्योग) (3) मां वैष्णो (ईंट उद्योग) (4) मेसर्स रामा ईंट उद्योग (5) शिव ईंट उद्योग (6) डालसिंह (7) लंकुश (8) अलीशेर (9) महिपाल सिंह (10) ओंकार सिंह (11) सोरन सिंह (12) कन्हैया सिंह (13) चन्द्रपाल सिंह (14) सुरेन्द्र सिंह (15) रामपाल सिंह (16) राकेश कुमार (17) ओम बाबू (18) राकेश कुमार (19) लालता प्रसाद (20) कपिल कुमार (21) मेसर्स जय दुर्गे ब्रिक किलिन (22) चन्द्रा ईंट उद्योग (23) भान सिंह (24) जब्बार ।

3 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है, 16 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट बदायूं में वाद दायर किये गये है । शेष 5 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध वाद दायर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर उतरौला क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्ग व पुलिया में की गयी अनियमितता सम्बन्धी विधायक कोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

46–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत लोक निर्माण खण्ड 1/3 द्वारा मार्ग निर्माण व पुलिया निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी० एम०/वि०को०/एम०–1/21447 गोण्डा 99/ दिनांक 19-3-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित बिन्दुवार तथ्यों की जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के निर्माण खण्ड 1/3 द्वारा मार्गों का लेपन कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न कराने की जांच टी०ए०सी० से कराने की मांग

47–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के निर्माण खण्ड 1/3 को वित्तीय वर्ष 1996–97 व 1997-98 तथा 1998-99 में किन-किन मार्गों का लेपन कार्य कराकर गड्ढा मुक्त किया गया ? उक्त गड्ढा मुक्त योजना के लिये कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या स्वीकृत धन का व्यय मानक व गुणवत्ता के आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्थल निरीक्षण टी० ए० सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद बलरामपुर में 96-97, 97-98, 98-99 में जिन मार्गों पर नवीनीकरण (लेपन) किया गया, उनका विवरण * संलग्न है ।

मार्गों पर उक्त कार्य के लिये किये गये कार्यों की लागत का विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

* छापा नहीं गया ।

कार्य मानक के अनुसार कराये गये है । अतः स्थल निरीक्षण/टी०ए०सी० जांच की आवश्यकता नहीं है ।

आई०ए०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति में संशोधन की मांग

48-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक कितने आई० ए० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? उन स्थानान्तरणों पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्थानान्तरण नीति में कोई संशोधन करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश-

एक जनवरी, 1999 से 31 अक्टूबर, 1999 तक 337 आई०ए०एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ।

इन स्थानान्तरणों पर सरकार द्वारा कुल रु० 6,31,214.66 की धनराशि व्यय की गयी है ।

जी नहीं ।

स्थानान्तरण मद में व्यय की गयी धनराशि न्यूनतम है व जनहित में है और इसके फलस्वरूप आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं है ।

49-श्री उदैदुर्रहमान-

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद बलरामपुर तहसील उतरौला में राप्ती नदी पर पिपराघाट पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

50-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1989 में राप्ती नदी पर स्थित पिपराघाट पुल का निर्माण कराया जाना स्वीकृत था ? यदि हां, तो पुल निर्माण पर कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या स्वीकृत धनराशि से पुल का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनता का आवागमन पिपराघाट से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

रु० 150 लाख ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति वर्ष 86-87 में प्रदान की गयी थी परन्तु तकनीकी कारणों से सेतु का निर्माण किया जाना संभव न होने की दशा में शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गयी ।

उतरौला-मनकापुर, उतरौला-पिपरा, उतरौला-गोण्डा मार्ग पर पायल सेतु के निर्माण कार्य में हुई जांच के संबंध में जानकारी

51-श्री उबैदुर्रहमान-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ? क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच

आख्या से सदन को अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच के समय शिकायतकर्ता को सूचना प्रेषित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच आख्या में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी क्षेत्र करहल की निनौली सहन मार्ग, सहनघुरुपुर मार्ग फिरथुआ–मुहब्बतपुर मार्ग बघेरा-मीठेपुर मार्ग तथा जापमई बाछेमई क्षतिग्रस्त मार्गों के जीर्णोद्धार की मांग

52. श्री बाबू राम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र करहल जनपद मैनपुरी की निनौली सहन मार्ग, सहनघुरुपुर मार्ग फिरथुआ-मुहब्बतपुर मार्ग बघेरा-मीठेपुर मार्ग तथा जापमई बाछेमई मार्ग मरम्मत न होने के कारण आवागमन के योग्य नहीं रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त मार्गों का जीर्णोद्धार कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जापमई–बाछेमई मार्ग मण्डी समिति द्वारा निर्मित है । शेष सभी मार्ग लोक निर्माण विभाग के ग्रामीण मार्ग है, जिन पर यातायात चल रहा है । संसाधनों की कठिनाई के कारण इन मार्गों की वांछित स्तर की मरम्मत कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

संसाधनों के अभाव में इन मार्गों की इस वित्तीय वर्ष में जीर्णोद्धार कराना संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ के आजाद इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी कालेज में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की मांग

53. श्री शेरबहादुर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि आजाद इंस्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी कालेज, लखनऊ में मानक के अनुरूप विषयानुसार प्रवक्ताओं की कमी है ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

आजाद इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी कालेज में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित मानकों के अनुसार विषयानुसार प्रवक्ता पदों पर नियुक्तियां की गयी है । प्रवक्ता पदों पर प्रत्येक विषय में शिक्षक कार्यरत हैं किन्तु मानकों के अनुसार शिक्षकों की कमी राज्य सरकार द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा इंगित की गयी है तथा अन्य कमियां भी बतायी गयी हैं जिन्हें तत्काल पूरी करने के निर्देश संस्था को दे दिये गये हैं ।

जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा हेतु ग्रामों में विद्यालय संचालित कराने संबंधी योजना की जानकारी

54–श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु विद्यालय से ग्राम सभा की दूरी का कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ ग्राम ऐसे भी हैं जिनकी आज भी दूरी तीन कि०मी० या उससे अधिक है ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ? क्या उन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय संचालित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु विद्यालय से ग्राम सभा की दूरी का कोई मानक निर्धारित नहीं है । प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र में 1.5 कि०मी० की दूरी तथा 300 की आबादी (पर्वतीय क्षेत्र में 1.00 कि०मी० की दूरी) के असेवित ग्रामों के लिए प्रा० विद्यालय का मानक निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर में ज्ञानपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

55–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या मानक के अनुरूप न होने के कारण छात्रों का पठन-पाठन बाधित है ? क्या सरकार मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, पठन-पाठन बाधित नहीं है, किन्तु अध्यापकों की संख्या मानक से कम रही है ।

स्वीकृत पद संख्या के अन्तर्गत नियुक्ति करने का प्राविधान है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में दिसम्बर, 99 में 175 अध्यापकों की नयी नियुक्तियां कर दी गयी है ।

56–श्री रामऔतार शाक्य–

[दिनांक 7–4–2000 को अता०प्र०सं०–176 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला के लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड 1/3 द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर के लो० नि० विभाग निर्माण खण्ड 1/3 के द्वारा निर्माण कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या क–2/045515 दिनांक 26-3-99 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, किन्तु सन्दर्भित शिकायती-पत्र दि० 26-3-08 का न होकर दि० 26-3-08 का है ।

प्रकरण की जांच अधीक्षक अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा से कराई गयी थी । जांच में शिकायती बिन्दु निराधार पाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58–श्री उबैदुर्रहमान–

14 थे-मंगलवार के लिये स्थगित ।

मुरादाबाद संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादस मण्डल द्वारा किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

59. डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादस मण्डल मुरादाबाद के कार्यालय से वर्ष 1999-2000 में अब तक कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये गये तथा इन स्थानान्तरणों का आधार क्या था ? क्या इनमें कुछ अध्यापक/अध्यापिका ऐसे भी हैं जिनकी सेवा अवधि छः माह से कम है ? क्या उक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण उन्हीं विषयों के पदों पर किये गये हैं जिन विषयों हेतु उनकी नियुक्ति की गई थी ? क्या स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पदों पर उन विषयों को पढ़ाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां, शासनादेश के अनुसार वार्षिक प्रबन्ध में 20 अध्यापिकाओं तथा 10 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया है ।

जी हां, बीमारी एवं कुछ विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर किये गये है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शासनादेशानुसार एक कलेण्डर वर्ष में 15 प्रतिशत स्थानान्तरण के निर्देश हैं ।

जनपद फर्रुखाबाद में काली नदी पर राजघाट के पुल निर्माण, जनपद मैनपुरी में भैसरोली से संकिसा बौद्ध स्तूप तक तथा बेबर से भैसरोली पूर्व निर्मित मोटा मार्ग के उच्चीकृत करने संबंधी योजना की जानकारी

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओ०ई० सी० एफ० (जापान) से वाह्य सहायतित बुद्ध परिपथ द्वितीय चरण की संकिसा, जनपद फर्रुखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटक स्थल के विकास हेतु काली नदी पर राजघाट के पुल निर्माण हेतु मु० 539.00 लाख एवं जनपद मैनपुरी में भैसरोली से संकिसा बौद्ध स्तूप तक तथा बेबर से भैसरोली पूर्व निर्मित मोटा मार्ग के उच्चीकृत करने का कोई आगणन/योजना मुव० 588.00 लाख रुपये का शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और उसमें कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं ।

ओ०ई०सी०एफ० (अब जे०बी०आई०सी०) (जापान) की सहायता से कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित बौद्ध परिपथ परियोजना द्वितीय चरण के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है । परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप जापान सरकार भारत के सहायताकृत कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

जनपद सीतापुर क्षेत्र हरगांव में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना फेज -II के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग पेन्टेड तथा ग्राम मुस्तफाबाद व सहराई कालिका बक्स व ग्राम कटका सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

61 श्री रमेश राही–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव में पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना फेज–II के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग पेन्टेड किये जाने के संबंध में शासनादेश सं० 4007 ई०/23 लो० नि०–11-24ई/98 टी० सी० दिनांक 2-11-98 द्वारा ग्राम मुस्तफाबाद व सहरोई कालिका बक्स व ग्राम कटका में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के लिये शासन द्वारा धनराशि आवंटित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । प्रश्न में वर्णित शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 1998 को निर्गत किया गया था जिसके द्वारा कतिपय कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी ।

उस समय प्रश्नगत कार्यों पर नाबार्ड की सहमति प्राप्त न होने के कारण धनराशि आवंटित नहीं की जा सकी ।

प्रश्न में वर्णित 3 मार्गों को वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 25-2-99 तथा 22-2-2000 द्वारा प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

62 श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

। दिनांक 27-3-2000 को अता०प्र०सं०–19 द्वारा उत्तरित ।

जनपद फर्रुखाबाद बौद्ध स्थल संकिसा को दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा अनधिकृत कब्जा करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

63–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि बौद्ध स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद को दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर बौद्ध स्वरूप को नष्ट करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी० एम० वि० को० एम 3/11911/मैनपुरी/दिनांक 15-6-1998 के साथ जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी, हां ।

इस संबंध में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ से जांच करायी गई । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ ने जांच उपरान्त यह पाया कि उक्त बौद्ध स्थल के स्वरूप को नष्ट करने की कोई घटना नहीं हुयी है । वर्ष 1997 में पूजा-अर्चना के प्रश्न पर उत्पन्न थोड़े से तनाव का

समाधान बातचीत के द्वारा कर लिया गया था । मा० जनपद न्यायालय फतेहगढ़ द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के पूर्व में दिये गये आदेश का सम्मान किया जा रहा है । स्थल की सुरक्षा हेतु प्रभावी व्यवस्था भी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में लोक निर्माण विभाग को वर्षवार स्वीकृत धनराशि का विवरण

64 श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित लोक निर्माण विभाग को वर्ष 1997-98 व 1998-99 तथा 1999-2000 में जिला योजना के अन्तर्गत वर्षवार निर्माण कार्य हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या स्वीकृत धन का वितरण जनपद के पांचों विधान सभा क्षेत्रों को बराबर-बराबर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद बलरामपुर में जिला योजना के अन्तर्गत वर्षवार स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	धनराशि (रु० लाख में)
1997-98	441.58
1998-99	440.54
1999-2000	223.17

जी नहीं ।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में मा० विधायकों की उपस्थिति में लिये गये निर्णय के अनुसार जिला योजना के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, जिसमें विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्रफल एवं जनजाति उप-योजना आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों हेतु धन का आवंटन किया जाता है ।

जनपद बलरामपुर उतरौला, ग्राम बौडीहार से निसवां नदी तक मिट्टी से डामरीकरण कराये जाने संबंधी अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

65–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम बौडीहार से निसवां नदी तक मिट्टी से डामरीकरण तक कार्य कराये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में उक्त मार्ग के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अधूरा निर्माण कार्य मार्च, 2000 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जिला योजना (सामान्य) में 1.50 किमी० मार्ग टाप कोट से लेपन स्तर तक तथा सुनिश्चित रोजगार योजना में इस मार्ग पर मिट्टी से सोलिंग स्तर तक (तीन पुलियों सहित) स्वीकृत है ।

जी नहीं ।

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत मार्ग निर्माण कार्य मार्च, 2000 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ सहायकों की वरिष्ठता सूची सामान्य/आरक्षित वर्ग की अलग-अलग बनाये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्य की जानकारी

66 श्री हरदेव सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों (प्रत्येक वेतन क्रम) की वरिष्ठता सूची सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की अलग-अलग बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 19-12-1998 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में प्राप्त कराया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

शिक्षा विभाग में अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के वरिष्ठ सहायकों (वेतन क्रम रु० 5000-8000 एवं 4500-7000) की सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की वरिष्ठता सूचियां अलग-अलग बनायी जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) स्थित रामतबंकल इण्टर मीडिएट कालेज रोही के प्रबन्धक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

67 श्रीमती सोमा द्विवेदी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर (भदोही) स्थित श्री नेहरू इण्टर कालेज रोही परिवर्तित नाम रामतबंकल इण्टर मीडिएट कालेज रोही के प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क/नं० 029978 दिनांक 21-5-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

संयुक्त शिक्षा निदेशक मिर्जापुर की जांच के आधार पर प्रबन्धक को दिनांक 7-3-2000 के पत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत 16 डी (2) के अन्तर्गत निदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर में श्री रामदेव सिंह इण्टर कालेज, कामतागंज, दोस्तपुर के प्रवक्ताओं के वेतन निर्धारण विषयक पत्र के शीघ्र निस्तारण की मांग

68 श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम देव सिंह इण्टर कालेज, कामतागंज, दोस्तपुर, सुल्तानपुर में प्रवक्ताओं के वेतन निर्धारण विषयक श्री कांशीनाथ, सदस्य विधान सभा, कादीपुर, सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 1-4-99 को शिक्षा मंत्री 23-7-99 मुख्य मंत्री जी तथा 24-7-99 शिक्षा, सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार कृपया यह

भी बतायेगी कि कितने प्रवक्ताओं के वेतन निर्धारण के प्रकरण शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में लम्बित हैं तथा इनके निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? लम्बित प्रकरण कब तक निस्तारित कर दिये जायेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी, हां ।

पत्र में सन्दर्भित प्रवक्ताओं का वेतन निर्धारण किया जा चुका है ।

सम्प्रति कोई प्रकरण लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में बस स्टैण्ड से जाट डिग्री कालेज तक रोड के डामरीकरण की मांग

69–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में बागपत बस स्टैण्ड से जाट डिग्री कालेज तक की सड़क को डामर रोड बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

प्रदेश में आंवला के फल को वनों से तोड़ने संबंधी नीलामी तथा उसकी ढुलाई आदि की जानकारी

70–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में आंवला के फल को वनों से तोड़ने सम्बन्धी नीलामी समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या ट्रक या ट्रैक्टर द्वारा आंवला फल की ढुलाई करने हेतु डी० एफ० ओ० को टी० पी० जारी करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार जनहित में ट्रक व ट्रैक्टर ट्राली द्वारा आंवला की ढुलाई को अवैध घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

वनों में आंवले की नीलामी समाप्त करने हेतु शासन अथवा विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं । परन्तु अधिकार एवं सुविधा प्राप्त ग्रामीणों को वनों से आंवला निःशुल्क संग्रहण करने की सुविधा शासन द्वारा प्रदान की गयी है। आंवले को व्यापारिक दृष्टि से वन क्षेत्र से बाहर ले जाने हेतु वन उपज होने के कारण ट्रक/ट्रैक्टर से निकासी करने हेतु "उ०प्र० इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियावली, 1978" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से निकासी आदेश प्राप्त करना आवश्यक है ।

इस हेतु डी०एफ०ओ० को कोई पृथक से आदेश नहीं दिये गये । वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के अन्तर्गत बिना अभिवहन पास के वन उपज का परिवहन प्रतिबंधित है ।

वर्तमान वैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत यह नियमानुकूल नहीं होगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में उतरौला गोंण्डा मार्ग पर गुमड़ी पायल सेतु के पुनर्निर्माण संबंधी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

71.–श्री उबैदुर्रहमान

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–58 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निरीक्षण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण आख्या व परिणाम से सदन को अवगत कराया जायेगा ? निरीक्षण में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुल के पूर्ण रूप से ध्वस्त होने के कारण स्थलीय निरीक्षण का कोई परिणाम नहीं निकला ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी के राजकीय इण्टर कालेज में रिक्त प्रवक्ता के पदों को शीघ्र भरने की मांग

72.श्री राम औतार शाक्य

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, मैनपुरी में प्रवक्ता के कई पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और किन-किन विषयों के ? क्या सरकार प्राथमिकता से उक्त विषयों के रिक्त पदों को स्थानान्तरण/समायोजन से भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । प्रश्नगत राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के छः पद रिक्त हैं । जिनका विवरण निम्नवत् है :–

पदनाम	विषय	रिक्ती का दिनांक
प्रवक्ता	भौतिक-विज्ञान	30-6-1999
प्रवक्ता	अंग्रेजी	30-6-1999
प्रवक्ता	अंग्रेजी	15-7-1998
प्रवक्ता	इतिहास	11-7-1999
प्रवक्ता	भूगोल	10-7-1998
प्रवक्ता	रसायन विज्ञान	25-3-1998

जी नहीं ।

प्रवक्ता के रिक्त पदों का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार गतिमान है ।

जनपद मैनपुरी पोस्ट उसनीधा में श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम के अध्यापकों के वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में जानकारी

73 श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–149 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी पत्रों का विवरण क्या है ? इसे कब एवं किसके लिये जारी किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त पत्रों का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखते हुये यह बतायेगी कि आज तक अध्यापकों को भुगतान एवं विद्यालय को अनुदान न मिल पाने के क्या कारण हैं ?

डा० नेपाल सिंह–

जी हां ।

विद्यालय को अनुदान दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । दिनांक 30-12-99 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक को जारी किया गया । अपेक्षित शासनादेश की प्रति संलग्न है । अनुदानित न होने के कारण आय-व्ययक में प्राविधान भुगतान हेतु उपलब्ध नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 111 पर ।)

सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी रिट पिटीशन नं० 2445/1999 निर्णयानुसार नियुक्ति प्रदान करने की मांग

74–श्री शिव सिंह चक–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के रिट पिटीशन नं०–2445/1999, दिनांक 2-9-1999 के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय की छायां प्रतियां रजिस्टर्ड पत्र नं० 3049, दिनांक 18-10-99 को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा लखनऊ को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सम्बन्धित को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ राजकीय इण्टर कालेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति की मांग

75 श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान समय में कुल कितने प्रवक्ता के पद राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां । पुरुष प्रवक्ता के 201 पद तथा महिला प्रवक्ता के 34 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

76–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दिनांक 7-4-2000 की अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित]

77–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दिनांक 7-4-2000 को अता० प्र० सं०–180 द्वारा उत्तरित]

जनपद कुशीनगर, तहसील पडरौना ग्राम रामपुर गौनहां के वन को अवैध रूप से काटकर खेती करने की शिकायत तथा भूमि की खाली कराने की मांग

78–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–कुशीनगर में कुल कितनी भूमि वन विभाग की है तथा तहसील पडरौना के ग्राम रामपुर गौनहां (रामपुर गोनहां जंगल) में वन विभाग की कितनी भूमि है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की भूमि पर वन माफिया वनों को काट कर खेती कर रहे है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को खाली कराकर पुनः वन विभाग को या भूमिहीनों को दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद कुशीनगर में कुल 580.90 हे० भूमि वन विभाग की है तथा ग्राम रामपुर गोनहां, तहसील पड़रौना, जनपद कुशीनगर में 397.00 हे० (981.05 एकड़) भूमि वन विभाग की है ।

रामपुर गौनहां ग्राम की कुल 397.00 हे० वन भूमि में से 154.80 हे० वन भूमि पर वन विभाग का पूर्ण कब्जा है तथा शेष 242.20 हे० वन भूमि अतिक्रमिक है जिस पर खेती की जा रही है । अतिक्रमिक वन भूमि के बारे में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है ।

अतिक्रमिक वन भूमि पर न्यायालयों के निर्णय के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी । सामान्य परिस्थितियों में यह भूमि अतिक्रमण खाली होने के उपरान्त स्वतःवन विभाग में निहित हो जायेगी । जहां तक इस वन भूमि को खाली कराकर भूमिहीनों को दिये जाने का प्रश्न है, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि का वनेत्तर प्रयोग भारत सरकार की अनुमति के बिना सम्भव नहीं है ।

जनपद सन्त कबीर नगर में चुरेव से भाटपार मार्ग की जांच संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद संत कबीर नगर जिले में चुरेव से भाटपार मार्ग की जांच के लिये प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के पदों के सृजन पर लगी रोक को हटाने के संबंध में जानकारी

80–श्री भारत सिंह रावत–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त (सवित्त) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन पर रोक लगी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

आयोजनेत्तर पक्ष में सभी प्रकार के पदों के सृजन पर रोक लगी है ।

पद सृजन पर उक्त रोक दिनांक 9-12-1986 से लगी है जो राज्य की विषम वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगायी गयी है ।

81–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

हरिद्वार से कोतवाली नहटौर नरपुर मुरादाबाद अर्न्तराष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा करने संबंधी योजना की जानकारी

82–श्री मूलचन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार से कोतवाली नहटौर नरपुर होते हुये मुरादाबाद अर्न्तराष्ट्रीय मार्ग कम चौड़ा होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? क्या इसकी रोकथाम हेतु उक्त सड़क के विस्तारीकरण की कोई योजना बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

हरिद्वार से कोतवाली नहटौर नरपुर होते हुये मार्ग की लगभग 151 कि० मी० लम्बाई में से 70 कि० मी० लम्बाई राष्ट्रीय मार्ग व 22 कि० मी० राज्य मार्ग का भाग है जो पहले से ही 2 लेन चौड़ा है । शेष 59 कि० मी० लम्बाई में से 39 कि० मी० प्रमुख जिला मार्ग तथा 20 कि० मी० अन्य जिला मार्ग है, जिसकी चौड़ाई 3.7 से 7 मी० तक है । सीमित संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्गों को चौड़ा करने की योजना नहीं है ।

प्रदेश के असेवित एवं आंशिक रूप से सेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेज खोलने के लिये अनुदान देने संबंधी योजना की जानकारी

83–श्री वेद प्रकाश सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित/आंशिक रूप से सेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेज खोलने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा अनुदान देने की योजना को न्याय पंचायत स्तर से शुरू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश के असेवित विकास खण्डों एवं एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्डों की केवल एक अन्य न्याय पंचायत में निजी प्रबन्ध तन्त्रों के सहयोग से कन्या हाई स्कूल/इण्टर कालेज खोलने की योजना है।

उक्त योजना के संबंध में कार्यकारी सिद्धान्त दिनांक 28-12-1998 को निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बरेली-लोक निर्माण के स्थानान्तरित अधिकारियों के खाली आवासों के आवंटन की मांग

84-श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली से स्थानान्तरित हो जाने के उपरान्त कितने अधिकारी सरकारी आवासों पर अब भी कब्जा किये हुये हैं ? क्या सरकार उनसे आवास खाली कराकर बरेली में कार्यरत अधिकारियों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

कुल पांच।

जी हां।

आवास खाली कराये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आवास खाली हो जाने के उपरान्त आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के दो विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

85-श्री संजय गर्ग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 में मैदानी क्षेत्र में अनुदान सूची पर लिये गये 125 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनपद सहारनपुर के दो विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों को नवम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक वेतन का भुगतान शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद से पर्याप्त अनुदान आवंटित न होने के कारण 31 मार्च, 1999 तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापकों/कर्मचारियों का बकाया भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

शीघ्र।

86-श्री संजय गर्ग –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995-96 में मैदानी क्षेत्र में अनुदान सूची पर लिये गये 125 माध्यमिक विद्यालयों को अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धन का आवंटन शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों/लेखाधिकारियों के मांग पत्र के आधार पर होता है ? यदि हां, तो क्या सहारनपुर के दो विद्यालयों के लिये अनुदान का आवंटन जि०वि०नि०/लेखाधिकारी सहारनपुर के मांग पत्र के आधार पर नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

दिनांक 1-4-96 से अनुदान सूची पर लिये गये 125 माध्यमिक विद्यालयों के लिये वित्तीय वर्ष 1999-2000 में वित्तीय अनुपूरक मांग में आयोजनागत पक्ष में रु० 26 करोड़ की व्यवस्था थी, परन्तु नियोजन विभाग द्वारा वांछित कतिपय सूचनायें शिक्षा निदेशालय से प्राप्त न होने के कारण परिव्यय नहीं मिल पाया, जिसके कारण धनराशि दिनांक 31-3-2000 तक वित्त विभाग द्वारा अवमुक्त नहीं की जा सकी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल के अनुदानित तथा उच्चीकृत हाईस्कूल विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान नान प्लान के अन्तर्गत करने की मांग

87–श्री संजय गर्ग–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जो जू० हाई स्कूल नान प्लान के अन्तर्गत अनुदान सूची पर थे और उच्चीकृत होकर हाईस्कूल हो गये हैं तथा अनुदान सूची पर आ गये हैं उनमें कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को वेतन भुगतान प्लान के अन्तर्गत किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या ऐसे विद्यालयों को नान प्लान के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

विद्यालयों को प्लान के अन्तर्गत ही अनुदान सूची पर लेने की शासन की नीति है। अनुदान सूची पर लिये जाने वाले विद्यालय जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अनुदानित हैं अथवा नहीं तथा यदि वे अनुदानित हैं, तो प्लान के अन्तर्गत हैं अथवा नान प्लान के अन्तर्गत, के आधार पर कोई विभेद किये जाने की शासन नीति नहीं है।

जी हां, योजनावधि समाप्त हो जाने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर यमुना खादर इण्टर कालेज कम्बोह के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

88 श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि यमुना खादर इन्टर कालेज, कम्बोह माजरा, सहारनपुर के तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मो० इमरान, मुकेश कुमार तथा रणवीर सिंह को दिनांक 1-4-96 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

पद स्वीकृत न होने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

पद स्वीकृत न होने के कारण।

डायट कालेज बुलन्दशहर में अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण कराये जाने की जानकारी तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रशिक्षण तथा परीक्षा कराने की मांग

89. श्री महेन्द्र कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव बेसिक शिक्षा के पत्र दिनांक 18 मार्च, 1996 तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के परिपालन में प्राचार्य डायट-(कालेज) बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 5-5-97 से 9-5-97 तथा दिनांक 15-5-97 से 20-5-97 तक अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उ० प्र० के कितने जनपदों में अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण एवं उसकी परीक्षा हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अन्य जनपदों में भी उक्त परीक्षा तथा प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां किन्तु प्रश्नगत अवधि का प्रशिक्षण शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 1996 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।

61 जनपदों में।

प्रश्न नहीं हैं।

प्रदेश के सभी जनपदों में प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण एवं परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है।

प्रश्न नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर में दो वर्षीय बी० टी० सी० पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पत्राचार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की परीक्षा न कराने की जानकारी

90. श्री महेन्द्र कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 1995 से दो वर्षीय बी०टी०सी० पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पत्राचार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की परीक्षा नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रथम वर्ष की परीक्षा करायी जा चुकी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के जनपदों में पत्राचार बी०टी०सी० पाठ्यक्रम द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

91–श्री महेन्द्र कुमार –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3 जुलाई, 1999 एवं 12 जुलाई, 1999 को जारी शासनादेश के अनुपालन में कितने जनपदों में पत्राचार बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शेष अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण कराये जाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच कार्यवाही गतिमान होने के कारण उक्त शासनादेश के बाद कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न नहीं हुआ है।

केवल उक्त शासनादेश के अन्तर्गत जांच में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराया जायेगा। जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर विचार किया जायेगा।

पत्राचार बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा दी गयी परीक्षा फल घोषित किये जाने की जानकारी

92-श्री महेन्द्र कुमार –

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1999 एवं 12 जुलाई, 1999 के अनुपालन में पत्राचार बी०टी०सी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996 में अप्रशिक्षित अध्यापकों ने परीक्षा दी थी ? यदि हां, तो क्या उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

पत्राचार बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1996 में अप्रशिक्षित अध्यापकों ने परीक्षा दी थी। शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1999 एवं 12 जुलाई, 1999 उक्त के बाद की तिथि का है।

प्रदेश के 51 प्रशिक्षण संस्थानों का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है तथा शेष 10 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रश्नगत शासानदेश के अनुसार जांच कार्यवाही गतिमान है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ में थल मुन्सयारी मोटर मार्ग की सड़क को लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरित किये जाने की जानकारी

93–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में थल मुन्सयारी मोटर मार्ग की सड़क को लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरित की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद बलरामपुर में उतरौला गोण्डा मार्ग पर स्थित गुमड़ी पायल सेतु का पुनःनिर्माण कराने संबंधी निरीक्षण परिणाम की जानकारी

94–श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–58 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निरीक्षण के परिणाम प्राप्त हो गये है ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण के परिणाम से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता का कोई लिखित अनुरोध प्राप्त न होने के कारण उन्हें निरीक्षण के परिणाम से अवगत नहीं कराया गया । पुल के पूर्णरूप से ध्वस्त होने के कारण स्थलीय निरीक्षण का कोई परिणाम नहीं निकला ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में गुमड़ी पायल सेतु व मधूपुर पायल सेतु के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में गुमड़ी पायल सेतु व मधूपुर पायल सेतु के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने के संबंध में जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता गोण्डा वृत्त गोण्डा को पत्र संख्या ख-2 नं० 574619 दिनांक 29-7-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां, परन्तु प्रश्न में संदर्भित पत्र में गुमड़ी पायल सेतु व मधूपुर पायल सेतु से संबंधित शिकायत नहीं है ।

पत्र में इंगित संदर्भ पर जांच कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ मोतीलाल नेहरू इण्टर कालेज, रामनगर बैजावारी के श्री विनोद कुमार सिंह परिचारक के बकाये वेतन आदि के भुगतान की मांग

96-श्री रामप्यारे सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद कुमार सिंह, परिचारक मोतीलाल नेहरू इण्टर कालेज, रामनगर बैजावारी, आजमगढ़ के बकाये वेतन एवं वेतन वृद्धि के अवशेष भुगतान हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1991 में रु० 37653.00 अनुदान के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त बकाया धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री बब्बन सिंह तत्कालीन प्रधानाचार्य ने अनियमित रूप में उक्त धनराशि अपने खाते में स्थानान्तरित कर दिया एवं उसी आधार पर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सेवा आयोग उ० प्र० इलाहाबाद ने श्री सिंह को दण्डित करते हुये सेवा समाप्ति के प्रकरण को अनुमोदित कर दिया है ।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों जूनियर हाई स्कूलों में बुनाई, काष्ठ शिल्प, पुस्तक शिल्प, चर्म शिल्प के रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

97-श्री संजय गर्ग-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों (जू० हाई स्कूलों में) कताई, बुनाई, सम्बन्धित कला, काष्ठ शिल्प, पुस्तक शिल्प, धातु शिल्प, चर्म शिल्प के रिक्त पदों पर

प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी लघु व भारी उद्योगों के लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु लकड़ी को प्रदेश के बाहर ले जाने के प्रतिबन्ध को हटवाने की मांग

98–श्री संजय गर्ग–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी लघु व भारी उद्योगों को लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु लकड़ी को प्रदेश से बाहर ले जाने पर सरकार प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के बाहर लकड़ी ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने से लकड़ी के मूल्यों में गिरावट आयेगी जिससे कृषकों को उनके लगाये गये वृक्षों का मूल्य कम प्राप्त होगा ।

जिला बरेली के बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवानिवृत्त श्री बाबूराम शर्मा, श्री चतुर बिहारी लाल, श्री रामचन्द्र यादव व श्री राम भरोसे लाल अध्यापकों के पेंशन भुगतान की मांग

99–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला बरेली में कार्यरत श्री बाबू राम शर्मा, श्री चतुर बिहारी लाल, श्री रामचन्द्र यादव व श्री राम भरोसे लाल अध्यापक 30 जून, 1999 को सेवा निवृत्त हुये थे ? क्या इन अध्यापकों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा इन अध्यापकों को नियमित पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है । फरवरी, 2000 को पेंशन का भुगतान चेक संख्या–17/42874 दिनांक 9-3-2000 के अन्तर्गत कर दिया गया है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पूर्ण निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि के व्यय की जानकारी

100–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली द्वारा दिनांक 3 जून, 1999 को अपर अधिकारी (परियोजना) के माध्यम से वर्ष 1996-97 के अपूर्ण प्राथमिक व उच्च

प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु लगभग 30 लाख रुपये की मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । रु० 30.00 लाख नहीं अपितु रुपये 3,03,97,200.00 की मांग की गयी थी ।

डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अंश की 60 प्रतिशत धनराशि रुपये 1,67,31,600/- प्राप्त हो गयी है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण की 40 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित 40 प्रतिशत अंश के लिये अनुसरणात्मक कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद हरदोई में राजकीय बालिका इण्टर कालेज सण्डीला से सेवानिवृत्त श्रीमती विन्देश्वरी सविता सहायक अध्यापिका के समस्त देयों के भुगतान की मांग

101 श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज सण्डीला जनपद हरदोई में कार्यरत श्रीमती विन्देश्वरी सविता सहायक अध्यापिका दिनांक 30 जून, 1996 को सेवानिवृत्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त अध्यापिका की पेंशन एवं जी०पी०एफ० का भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

पेंशन एवं जी०पी०एफ० का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

102 श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

103–श्री बिशन सिंह चुफाल–

[दिनांक 7-4-2000 को अता० प्र० सं०–188 द्वारा उत्तरित ।

जनपद कुशीनगर में साक्षरता अभियान में धन के दुरुपयोग की जांच

104 श्री दीपलाल भारती–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर में 1997-98 तथा 1998-99 से साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि साक्षरता अभियान में शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

कोई प्रकरण प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ में श्री बब्बन सिंह प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज रामनगर बैजावारी की सेवा समाप्ति के उपरान्त उनका वेतन न देने पर कार्यवाही की मांग

105–श्री रामप्यारे सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बब्बन सिंह प्रधानाचार्य मोती लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, रामनगर बैजावारी आजमगढ़ की सेवा समाप्ति का अनुमोदन उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद के पत्रांक मा० शि०आ०/दण्ड/7301–32/97-98 दिनांक 3-6-97 द्वारा प्रदान करने के उपरान्त भी जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा श्री सिंह को वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में श्री बब्बन सिंह भू०पू० प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज रामनगर बैजावारी द्वारा पूर्व अभिलेखों में हेराफेरी विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106–श्री रामप्यारे सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बब्बन सिंह भू०पू० प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज रामनगर बैजावारी आजमगढ़ द्वारा पूर्व अभिलेखों में हेराफेरी करने विषक प्रबन्धक, मोती लाल नेहरू स्मारक इन्टर कालेज रामनगर बैजाबारी, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 15-3-99, शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ को जांच करने के आदेश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उतरौला विधान सभा क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत बने मार्गों की जांच की जानकारी

107 श्री उबैदुर्रहमान–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच आख्या बिन्दुवार प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में विलम्ब के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है ? क्या उत्तरदायी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण की जांच पूर्व में टी०ए०सी० द्वारा की जा रही थी, अतः प्रमुख अभियन्ता द्वारा अलग से कोई जांच नहीं की गयी है । टी०ए०सी० की जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ।

जांच में कोई विलम्ब नही हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित बादशाह नगर सचिवालय कालोनी में अनुरक्षण कार्य (सिविल) में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग

108-श्री अजय भट्ट-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बादशाह नगर सचिवालय कालोनी में अनुरक्षण कार्य (सिविल) में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें से कौन-कौन कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक से वहीं कार्यरत हैं ? क्या उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

प्रश्नगत कालोनी में अनुरक्षण कार्य में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निम्न प्रकार है :-

तृतीय श्रेणी :-श्री तौहीद आलम अवर अभियन्ता

चतुर्थ श्रेणी :-

1-श्री राम चन्द्र,	प्लम्बर
2-श्री मुन्नी लाल,	हेल्पर
3-श्री रोशनलाल	हेल्पर
4-श्री राम आसरे	हेल्पर
5-श्री श्रीकृष्ण	बेलदार
6-श्रीमती रामकली	बेलदार

उक्त के अतिरिक्त वहां पर स्थायी मस्टर रोल पर 5 तथा अस्थायी मस्टर रोल पर 6 कर्मी कार्यरत हैं।

उक्त क्रमांक 1 से क्रमांक-6 पर उल्लिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वहां पर 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

चूंकि उक्त कर्मचारियों का कार्य सन्तोषजनक है, सम्प्रति उनके स्थानान्तरण का औचित्य नहीं है।

लखनऊ स्थित बादशाहनगर सचिवालय कालोनी में वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1997-98 में अनुरक्षण कार्य (सिविल) के लिए आवंटित धन एवं उसके खर्च के विवरण की जानकारी

109-श्री अजय भट्ट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बादशाहनगर सचिवालय कालोनी में वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1997-98 में कुल कितना धन अनुरक्षण कार्य (सिविल) के लिये आवंटित किया गया ? उक्त धनराशि किस-किस आवास पर कितनी कितनी खर्च की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

बादशाह नगर कालोनी में पृच्छित वर्षों में सिविल कार्य हेतु आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	सामान्य अनुरक्षण (वार्षिक मरम्मत) (रुपये लाख में)	विशेष मरम्मत (रुपये लाख में)
1994-95	6.05	2.41
1995-96	6.14	2.46
1997-98	8.00	3.58

सामान्य अनुरक्षण मद में आवासवार धनराशि स्वीकृत नहीं होती है बल्कि खण्डवार निर्गत की जाती है । विशेष मरम्मत मद में आवासवार विवरण विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

जनपद सलीमपुर खीरी में श्री हरिओम चन्द्र जिला विद्यालय निरीक्षक की सेवाकाल में मृत्यु होने तथा उनकी ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग

110–श्री अजय भट्ट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री हरिओम चन्द्र तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर–खीरी का दिनांक 18-1-92 को सेवाकाल में स्वर्गवास हो गया था ? क्या उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान नामित सदस्य को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्व० श्री हरिओम चन्द्र का नामांकन वैध न होने के कारण ।

111 श्री चेतराम–

[मा० सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

112 श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दिनांक 7-4-2000 को अता० प्र० सं०–177 द्वारा उत्तरित]

जनपद फतेहपुर क्षेत्र किशुनपुर में सुसुर खदेरी नदी पर पुल निर्माण की मांग

113–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि विधान सभा किशुनपुर जनपद फतेहपुर में सुसुर खदेरी नदी में पुल न होने से आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार नरेनी व रामपुर, भसरोल के मध्य काशीपुर के पास सुसुर खेदरी नदी में जनता की सुविधा हेतु पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* छापी नहीं गई ।

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित स्थल से 8 किमी० अपस्ट्रीम में पुल विद्यमान होने एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है ।

लखनऊ के बादशाह नगर कालोनी में यू तथा न्यू ब्लाक में अतिरिक्त निर्माण की तरह अन्य अध्यासियों के यहां निर्माण कराने की जानकारी

114–श्री अजय भट्ट

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की बादशाह नगर कालेनी में यू तथ न्यू ब्लाक के किस आवास में अतिरिक्त निर्माण कराया गया है ? क्या इस प्रकार का निर्माण अन्य अध्यासियों के यहां भी कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

बादशाह नगर कालोनी के न्यू ब्लाक के आवास संख्या–4/1, 1/1 एवं 2/2 में अतिरिक्त निर्माण कराया गया है ।

जी नहीं ।

अध्यासी की उचित आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाते हैं ।

जनपद उन्नाव की लखमदे मऊ–इन्देमऊ के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

115–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड उन्नाव की लखमदे मऊ–इन्देमऊ मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है और पैदल चलने लायक भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां, मार्ग क्षतिग्रस्त है । कुल 8 कि०मी० लम्बे मार्ग में से 1.6 कि० मी० खड़न्जा स्तर तक क तथा शेष मिट्टी स्तर का है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116–श्री दीपलाल भारती–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जनपद बाराबंकी रामनगर में उप जिलाधिकारी द्वारा बाल विकास विभाग की जीप का दुरुपयोग करने पर कार्यवाही की मांग

117–श्री बाबू लाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य सचिव का समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित अर्द्धशासकीय प०सं०–1077/60-2-96, दि० 27-2-96 तथा अर्द्ध शासकीय प०सं०–841/पी० एस० एम० एस०/ 1997, दिनांक 11-9-97 व दि० 10-7-98 द्वारा बाल विकास विभाग की गाड़ियों का

अधिग्रहण न किये जाने का निर्देश दिया गया है ? क्या यह सही है कि अप्रैल, 1999 में उपजिलाधिकारी, रामनगर जनपद बाराबंकी द्वारा बाल विकास विभाग की जीप संख्या–टी०आर०–318 का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस हेतु दोषी उपजिलाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

शासन स्तर पर राजस्व वसूली की समीक्षा की जा रही थी राजस्व वसूली का अभियान चलाये जाने के कारण उप जिलाधिकारी द्वारा वाहन का प्रयोग किया गया था ।

चूंकि प्रश्नगत वाहन शासकीय कार्य हेतु प्रयोग किया गया था, अतः कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है ।

सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र के बारीपुर, बदरी, कुढवा, अरई, फुलवरिया में भूमि संरक्षण कार्य हेतु स्वीकृत वन में अनियमितताओं की जांच

118–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि सन् 1998-99 में संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के बारीपुर, बदरी, कुढवा अरई, फुलवरिया में भूमि संरक्षण कार्य हेतु छः लाख रुपया दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया था ? क्या यह सही है कि इस कार्य में व्यापक पैमाने पर अनियमिताएं की गई हैं ? क्या सरकार उक्त कार्य का स्थलीय निरीक्षण कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

जी हां, वर्ष 1998-99 में जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में डीच विकास खण्ड में दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत रु० 6.00 लाख की धनराशि ग्राम बारीपुर, नारेपार कुढवा, बनकट, अरई, फुलवरिया तथा बदरी गांवों में भूमि संरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी थी ।

वन विभाग द्वारा ग्राम–बदरी को छोड़कर अन्य सभी गांवों बारीपुर, नारेपार, बनकट, फुलवरिया, कुढवा तथा अरई में भूमि संरक्षण कार्य करवाया गया । ग्राम बदरी में ग्रामीणों द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण ग्राम बदरी के स्थान पर ग्राम फुलवरिया में भूमि संरक्षण कार्य कराने हेतु जिलाधिकारी सन्त रविदास नगर को प्रभागीय वनाधिकारी भदोही द्वारा पत्र लिखे गये वित्तीय वर्ष का समापन सन्निकट होने के कारण अनुमोदन की प्रत्याशा में जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी, सन्त रविदास नगर को सूचित करते हुए ग्राम बदरी के स्थान पर ग्राम फुलवरिया में ही बदरी ग्राम के लक्ष्य को भी सम्मिलित करते हुए भूमि संरक्षण कार्य भदोही वन प्रभाग द्वारा कराया गया।

कार्य में कोई अनियमितताएं नहीं पायी गयी है ।

कार्य का स्थलीय निरीक्षण डी०आर०डी०ए० के एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा भी किया गया । कार्य संतोषजनक पाया गया । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

119 व 120–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

13 रे बुधवार में अता० प्र० सं०–199 व 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां की सड़कों के विकास हेतु सड़क निधि से धन उपलब्ध कराने की मांग

121–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़कों के विकास हेतु क्या सड़क विकास निधि स्थापित की गई है ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों के विकास हेतु इस निधि से सरकार धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्ग विकास नीति 1998 के अनुसार प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु सड़क निधि का गठन किया गया है ।

सड़क निधि से प्रदेश के सभी जनपदों की सड़कों के आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कार्य कराये जाने की व्यवस्था है । वर्ष 1999-2000 में सड़क निधि से हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत 2 राज्य मार्गों के 11 कि०मी० के नवीनीकरण हेतु रु० 29.28 लाख उपलब्ध कराये गये ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्रों को शासन द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन व उसके मूल्य के संबंध में जानकारी

123–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में कौन-कौन से दैनिक समाचार-पत्र व साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं ? क्या दैनिक समाचार-पत्रों व साप्ताहिक समाचार-पत्रों को शासन विज्ञापन देता है ? यदि हां, तो वर्ष 1999 में किस-किस दैनिक समाचार पत्र व साप्ताहिक समाचार-पत्र को कितने कितने मूल्य के विज्ञापन किन-किन माध्यमों से दिये गये हैं ?

श्री राम प्रकाश–

वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल जनपद से दो दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जयन्त एवं दैनिक सीमान्त वार्ता व पांच साप्ताहिक समाचार-पत्र अन्तर ज्वाला, गढ़वाल मण्डल, हिसाब-किताब, युवा स्वप्न, पौड़ी टाइम्स प्रकाशित हो रहे हैं ।

जी हां ।

वर्ष 1999 (1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 तक) में दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्रों को जारी किये गये विज्ञापन का विवरण निम्नवत् है । यह सभी विज्ञापन जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं ।

क्र०सं०	समाचार-पत्र का नाम	अनुमानित मूल्य
1	दैनिक सीमान्त वार्ता पौड़ी	30752.00 रुपये
2	दैनिक जयन्त पौड़ी	44500.00 रुपये
3	सा० गढ़वाल मण्डल पौड़ी	6989.00 रुपये
4	सा० हिसाब-किताब पौड़ी	2871.00 रुपये
5	सा० अन्तर ज्वाला पौड़ी	4466.00 रुपये
6	सा० पौड़ी टाइम्स पौड़ी	5800.00 रुपये
7	सा० युवा स्वप्न पौड़ी	6989.00 रुपये

जिला टिहरी गढ़वाल में राजकीय हाई स्कूलों/इण्टर कालेजों में सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने की मांग

124 श्री लाखीराम जोशी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में सहायक अध्यापकों, प्रवक्ताओं एवं प्रधानाचार्यों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों को भरने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

	महिला	पुरुष	योग
1 प्रधानाचार्य	2	56	58
2–प्रधानाध्यापक	3	14	17
3 प्रवक्ता	20	368	388
4–स्नातक	10	66	76

वेतनक्रम (एल०टी० ग्रेड)

जी नहीं ।

नियमानुसार प्रधानाचार्य तथा प्रवक्ताओं के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है । पदोन्नति के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125–श्री लाखीराम जोशी–

[3 रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

126-श्री अजय कुमार पोइया-

[दिनांक 6-4-2000 को अता० प्र० सं०-150 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव, प्रान्तीय खण्ड द्वारा सात सड़कों के टेण्डर विभागीय निर्धारित दर से ऊंची दरों पर स्वीकृत करने की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

127 श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा 4 जून, 1999 को सात सड़कों के टेण्डर विभागीय निर्धारित दर से 25 प्रतिशत ऊंची दर पर स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि टेण्डर करने में प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा लाखों रुपये की हेरा-फेरी की गयी है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा निर्मित सड़कों का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने के संबंध में शिकायती पत्र पर जांच की जानकारी

128 श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में निर्मित सड़क मानक के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 24-5-99 को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को शिकायती पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई है ? जांच परिणाम क्या हैं ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

जांच प्रगति में है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में आवासीय भत्ता के भुगतान की मांग

129-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये शासनादेश के अनुसार प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आवासीय भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब से किया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय नहीं है । अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों में आवासीय भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सहायता प्राप्त सीनियर (बेसिक) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष एरियर के तथा नियमित वेतन के भुगतान की मांग

130–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त सीनियर (बेसिक) शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष (एरियर) का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

क्योंकि समस्त विद्यालयों से नये वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

जी हां, यथाशीघ्र ।

131 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन्हें नियमित वेतन भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

132–श्री लाखीराम जोशी–

[दिनांक 7-4-2000 को अता० प्र० सं०–186 द्वारा उत्तरित ।

133–श्री लाखीराम जोशी–

[दिनांक 7-4-2000 को अता० प्र० सं०–181 द्वारा उत्तरित ।

134–श्री उबैदुर्रहमान–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में विभिन्न मार्गों के निर्माण मानक के अनुरूप न होने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

135–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में पेहर चौराहा से हुसैनाबाद मार्ग व पीलीभीत बस्ती मार्ग से सिकरामाफी के मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता व मानक के अनुरूप कार्य न होने के संबंध में प्राविधिक परीक्षक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो०नि०वि०, इन्दिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 1676/सी०ई०/23पी०डब्लू–113/98, दिनांक 22 जून, 1999 के द्वारा जांच हेतु दिनांक 29-6-99 को प्रश्नकर्ता को निरीक्षण भवन लो०नि० वि०, बलरामपुर में बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण टीम उक्त तिथि को निरीक्षण भवन पहुंची थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-99 प्राविधिक सम्परीक्षक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

अपरिहार्य कारणों से जांच का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था ।

जी हां ।

शिकायतकर्ता को दिनांक 8-7-99 को जांच कार्य हेतु उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में अम्बेडकर ग्राम व वासूपुर व बदलपुर तथा भैरमपुर माना पार बहेरिया के मार्गों के निर्माण में अनियमितता की जांच की जानकारी

136. श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में अम्बेडकर ग्राम व वासूपुर व बदलपुर तथा भैरमपुर माना पार बहेरिया के मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता व मानक के अनुरूप कार्य न होने के कारण दिनांक 6-7-99 को प्राविधिक सम्परीक्षक श्री आर० के० अवस्थी द्वारा मार्गों की जांच की गई है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता को बिना सूचना दिए जांच कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता को सूचित करने के उपरान्त ही जांच की गयी थी ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला रूस्तम नगर मार्ग पर आर०सी० पुलिया व महिली ग्राम सम्पर्क मार्गों के निर्माण में मानक के अनुरूप कार्य न होने संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

137. श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में उतरौला रूस्तम नगर मार्ग पर आर०सी० पुलिया व महिली ग्राम सम्पर्क मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता व मानक के अनुरूप कार्य न होने के कारण प्राविधिक परीक्षक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो०नि०वि०, इन्द्रा भवन, लखनऊ का पत्र संख्या 1676/सी०ई०/23पी०डब्लू/98 दिनांक 22 जून, 1999 के द्वारा जांच हेतु दि० 29-6-99 को निरीक्षण भवन लो० नि०वि०, बलरामपुर में प्रश्नकर्ता को बुलाया गया था ? यदि हां, तो क्या निरीक्षण टीम उक्त दिनांक को निरीक्षण भवन पहुंची थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-99 प्राविधिक सम्परीक्षक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

अपरिहार्य कारणों से जांच का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था ।

जी हां ।

शिकायतकर्ता को दिनांक 8-7-99 को जांच कार्य हेतु उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में ग्राम दुधरा सम्पर्क मार्ग व बड़हरा कोट ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अनियमितता की जांच एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

138–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम दुधरा सम्पर्क मार्ग व बड़हरा कोट ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न होने के सम्बन्ध में प्राविधिक सम्परीक्षक कोष्ठ, लो० नि०वि० द्वारा स्थलीय जांच हेतु दिनांक 6-7-99 व 7-7-99 को प्राविधिक सम्परीक्षक श्री आर० के० अवस्थी द्वारा जांच का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

ग्राम दुधरा सम्पर्क मार्ग में पायी गई अनियमितताओं के लिये अन्तर्ग्रस्त लोक सेवकों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है । ग्राम बड़हरा कोट सम्पर्क मार्ग में पायी गयी अनियमितताओं के लिये अन्तर्ग्रस्त लोक सेवकों का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में ग्राम बंजरिया सम्पर्क मार्ग व इटईरामपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक के अनुरूप कार्य न होने की शिकायत की जांच

139–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम बंजरिया सम्पर्क मार्ग व इटईरामपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न होने के सम्बन्ध में प्राविधिक सम्परीक्षक कोष्ठ, लो०नि०वि० द्वारा स्थलीय जांच दिनांक 6-7-99 को प्राविधिक सम्परीक्षक श्री आर० के० अवस्थी द्वारा आरम्भ की गई थी ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उक्त जांच हेतु क्या प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांच में मार्ग की गुणवत्ता सामान्य पायी गयी । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ लिपूलेक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के संबंध में भारत सरकार से सिफारिश की मांग

140-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार लखनऊ लिपूलेक मार्ग जो सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

लखनऊ से लिपूलेक तक की कुल दूरी 691.22 कि०मी० है । इसमें लखनऊ से शाहजहांपुर का मार्ग जिसकी लम्बाई 174.360 कि०मी० है । पहले से राष्ट्रीय मार्ग–24 है । शाहजहांपुर से टनकपुर की दूरी 147.00 कि०मी० है, जो राज्य मार्ग संख्या-29 का भाग है । टनकपुर से बूंदी तक का मार्ग जिसकी लम्बाई 289.95 कि०मी० है । सीमा सड़क संगठन के नियंत्रण में है । बूंदी से लिपूलेक 78.90 कि०मी० केवल पैदल मार्ग है, जिसको मोटर मार्ग बनाने का प्रस्ताव भी सीमा सड़क संगठन के विचाराधीन है । इस प्रकार से टनकपुर से लिपूलेक तक का मार्ग 368.85 कि०मी० सीमा सड़क संगठन के पास है । अतः शाहजहांपुर से लिपलेक तक के मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

जिला पौड़ी गढ़वाल में विकास क्षेत्र द्वारिखाल के क्षतिग्रस्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवन के निर्माण की मांग

141-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल में द्वारिखाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत क्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

। दिनांक 7-4-2000 को अता० प्र० सं०–185 द्वारा उत्तरित ।

बहराइच जनपद में शासनादेश एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित वेतन के अनुसार मु० नजीर खां, फरहत अली शाह व अबुल हसन खां के 6 माह के वेतन भुगतान की जानकारी

143–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–1362/15-8-98/3007(46)/98 टी०सी० दिनांक 9-7-98 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा पत्रांक नियोजन–/2740–2860/98–99 दि० 27-7-98 के निर्देशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा मासिक मानदेय पच्चीस सौ रुपये पर मु० नजीर खां, फरहत अली शाह व अबुल हसन खां को दिनांक 18-8-98 को 3 माह के लिए शिक्षक

पद पर नियुक्त किया गया था और 3 माह की अवधि समाप्त होने पर पुनः 3 माह के लिए नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त तीनों शिक्षकों का 6 माह का वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनराशि राजकोष से आहरित न हो पाने के कारण ।

धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर ।

जनपद जौनपुर में पर्यटन विकास के लिये उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष को दिये गये पत्र पर की कृत कार्यवाही की जानकारी

144–श्री अफजाल अहमद–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में पर्यटन विकास किये जाने के संबंध में कोई ज्ञापन उ० प्र० राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष को दिनांक 18-8-98 को श्री अमरजीत सिंह द्वारा दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र खागा के ग्राम नौबस्ता में स्थापित संस्कृत विद्यालय में छात्रों की संख्या नगण्य होने पर भी शासन द्वारा सहायता देने के संबंध में जांच की मांग

145–श्री मुरलीधर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खागा जनपद फतेहपुर के ग्राम नौबस्ता में एक संस्कृत विद्यालय स्थापित है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में एक भी छात्र नहीं है, फिर भी प्रतिवर्ष शासन द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

श्री ब्रम्हेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, नौबस्ता, बगांव, फतेहपुर में स्थापित है ।

जी नहीं, सत्र 1999-2000 में कुल 120 छात्र पंजीकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 1996 के आधार पर लोक निर्माण विभाग में चयनित श्री देवेन्द्र निगम की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147-श्री अजय कुमार पौड़या–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र निगम 35/88 ए लश्करपुर पो० दयालबाग, आगरा, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 1996 के आधार पर लोक निर्माण विभाग के पद पर चयनित की नियुक्ति विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/ 25563/ मथुरा/99, दिनांक 20-7-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, 1996 के आधार पर चयनित एवं लोक सेवा आयोग, उ० प्र० द्वारा संस्तुत श्री देवेन्द्र निगम की नियुक्ति शासनादेश सं०–3084 ई०वी०आर०/23-3-99. 11 इ०वी०आर/98, दिनांक 31 जुलाई, 1999 द्वारा सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) विद्युत खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ के पद पर की जा चुकी है।

चम्पावत में राजकीय पालीटेक्निक कालेज, लोहाघाट में ट्रेडों की शिक्षा के अतिरिक्त नये ट्रेडों की शिक्षा व्यवस्था करने की मांग

148–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पालीटेक्निक कालेज, लोहाघाट (चम्पावत) में कुल कितने ट्रेडों की शिक्षा दी जा रही है ? क्या उक्त कालेज में नये ट्रेडों की शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह ट्रेड क्या-क्या है ? क्या सरकार नये ट्रेड उपलब्ध किए जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

राजकीय पालीटैक्निक, लोहाघाट (चम्पावत) में चार ट्रेडों यथासिविल इंजी०, इलेक्ट्रानिक्स इंजी० फार्मेसी एवं स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में सैनिक पालीटेक्निक कालेज स्थापित करने की मांग

149 श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सैन्य बाहुल्य जनपद पिथौरागढ़ में सैन्य कार्मिकों, पूर्व सैनिकों, युद्ध व सैनिक कार्यवाहियों में हुये अपंग सैनिकों के आश्रितों को सेना के तकनीकी व सामान्य शाखाओं में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन दिये जाने हेतु सैनिक पालीटेक्निक कालेज स्थापित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त करने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-6-99 के साथ संलग्न थल सेना उप प्रमुख के पत्र संख्या 11837/सी०एस०/डी०ओ०/99, दिनांक 21 मई, 1999 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या कालेज की स्थापना हेतु रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रस्ताव कब तक भेज दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

प्रश्न में उल्लिखित मा० सदस्य, विधान सभा का पत्र दि० 2-6-99 तथा सह सेनाध्यक्ष का पत्र दिनांक 21-5-99 पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकारी क्षेत्र में सैनिक पालीटेक्निक स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

150-श्री मुरलीधर–

[3 रे मुरुवार में अता० प्र० सं०–155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

151-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम सभाओं के सम्पर्क मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग

152-श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला मे एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम सभाओं, क्रमशः मटियरिया कर्मा, आसाम रोड से मंझारी तप्पा बांक, आसाम रोड से पेडरिया सुवांआ, बलरामपुर मार्ग से केराबगढ़, गनवरिया बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के गांवों को वर्ष 2005 तक तथा शेष गांवों को वर्ष 2010 तक लंपित मार्गों से जोड़ने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में लोक निर्माण खण्ड–1 के अन्तर्गत फर्जी व पूर्ण कार्य दिखाकर करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान की जांच

153–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में लोक निर्माण खण्ड–1 के अन्तर्गत फर्जी व पूर्ण कार्य दिखाकर करोड़ों रुपये के फर्जी भुगतान की जांच के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–3/11089 गोण्डा, 98, दिनांक 22-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित तथ्यों की बिन्दुवार जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

जनपद बलरामपुर के क्षेत्र उतरौला में लोक निर्माण खण्ड प्रथम गोण्डा/बलरामपुर में राजकीय धन के दुरुपयोग की जांच

154-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में लोक निर्माण खण्ड प्रथम गोण्डा/बलरामपुर में राजकीय धन के दुरुपयोग की जांच के संबंध में दिनांक 16-4-98, 15-5-98 व 22-6-98 के पत्र उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या धन के दुरुपयोग की जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में राप्ती नदी पर पिपराघाट सेतु निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

155-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद गोण्डा वर्तमान जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में राप्ती नदी पर पिपराघाट सेतु निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1988-89 में 1.58 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 में निर्माण धनराशि को पी०एल०ए० में डाला गया है ? यदि हां, तो क्या सेतु का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 86-87 में प्रश्नगत सेतु के निर्माण की स्वीकृति लागत रु० 159 लाख पर प्रदान की गई परन्तु तकनीकी कारणों से सेतु का निर्माण किया जाना सम्भव न होने की दशा में शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गई ।

प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत सम्भव नहीं है ।

156-श्री उबैदुर्रहमान-

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं०-176 द्वारा उत्तरित]

उत्तरांचल क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

157-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरांचल क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 तक कुल कितने दैनिक/वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत थे ? क्या इन कर्मचारियों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लोक निर्माण विभाग में उत्तरांचल क्षेत्रों में वर्ष 91-92 तक दैनिक वेतन में 1735 एवं वर्कचार्ज में 4898 कर्मचारी कार्यरत थे।

विभाग में वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने एवं उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली वर्कचार्ज की रिक्तियों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्कचार्ज पर समायोजित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–6398/23-7-97-55(स)/96, दि० 15-10-97 एवं शासनादेश सं०–6396/23-7-97-55(सा)/96, दि० 31-1-1998 द्वारा निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार पदों की उपलब्धता के आधार पर प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की इण्टर तथा हाईस्कूल कक्षाओं में मानक के अनुसार छात्रों की संख्या रखने की जानकारी

158–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की इण्टर तथा हाई स्कूल कक्षाओं में एक सेक्शन में कितने छात्र संख्या का मानक निर्धारित है ? क्या उसका अनुपालन विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों की इण्टर कक्षाओं में एक सेक्शन में 80 तथा हाईस्कूल कक्षाओं में एक सेक्शन में 65 की छात्र संख्या का मानक निर्धारित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आलमबाग बाई पास रोड में कराये गये निर्माण कार्य के भुगतान तथा वित्तीय हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

159–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 4थे मंगल के अता० प्रश्न संख्या–88 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जांच आख्या के आधार पर कोई दोषी नहीं पाया गया है।

जांच आख्या की प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा सड़कों के अनुरक्षण एवं निर्माण में किए खर्च के विवरण की मांग

160–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है ? यदि हां, तो प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव द्वारा सड़कों के अनुरक्षण एवं निर्माण में किए गए

खर्च का विवरण (वर्ष 1997-98) प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित रूप से मांगने पर भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

माननीय विधायक से खर्च का विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव में कोई लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली फतेहगंज (प०) विकास खण्ड मडौली ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी शारदा नहर प्रणाली, खण्ड–3 द्वारा दो नालों की खुदाई में की गयी अनियमितता की जांच

161–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मडौली विकास खण्ड फतेहगंज (प०) जिला–बरेली के प्रधान ने जिलाधिकारी बरेली से यह शिकायत की है कि भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा नहर प्रणाली, खण्ड–3 को दो नालों के खुदान के लिए मु० 4.35 लाख व मु० 3.40 लाख रुपया दिया गया, जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी ने एक नाला खोदा ही नहीं और दूसरा नाला 800 मीटर कम खोदा है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, बरेली ने दि० 2 मई, 98 को मुख्य विकास अधिकारी बरेली को जांच कमेटी गठित कर जांच कराने के आदेश दिये है ? यदि हां, तो मुख्य विकास अधिकारी ने नालों के खुदान की कितनी जांच कमेटियां गठित की हैं और इन कमेटियों की जांच का परिणाम क्या रहा है ? क्या जांच कमेटियों की जांच में पाये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां । भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा नहर प्रणाली, खण्ड–3, बरेली की वर्ष 97-98 में दो नाला जिनकी लम्बाई क्रमशः 3.5 कि०मी० एवं 4.5 कि०मी० के खुदान हेतु क्रमशः रुपया 4.35 लाख एवं रुपया 3.40 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा उक्त धनराशि से नाला खुदान का कार्य कराया गया है ।

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा उप जिलाधिकारी, (सदर) बरेली की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन दिनांक 10-5-98 को किया गया जिसमें अधिशासी अभियन्ता, रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली, संयोजक/सदस्य प्रधान ग्राम सभा सुरला, विकास खण्ड भोजीपुरा, बरेली, सदस्य थे, परन्तु संयोजक द्वारा विभागीय कार्यों में व्यस्तता के कारण जांच करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त जांच कमेटी में परिवर्तन करते हुए निम्नवत् जांच कमेटी का गठन किया गया :–

1–उप जिलाधिकारी (सदर), बरेली-।	अध्यक्ष,
2–सहायक अभियन्ता, डी०आर० डी०ए०, बरेली ।	सदस्य
3–सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बरेली ।	सदस्य

समिति द्वारा दिनांक 23-9-98 को उक्त दोनों नालों की जांच ग्रामवासियों की मौजूदगी में की गयी । समिति द्वारा जांच आख्या में दोनों नालों का अलग-अलग खुदान कराया जाना बताया गया है । जांच समिति ने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उक्त दोनों नाले अलग-अलग ग्रामों से निकल कर पृथक-पृथक नदियों में गिरते हैं और दोनों नालों का बहाव भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है । इस जांच में किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है ।

जो नहीं चूंकि जांच कमेटियों को जांच में किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

162–श्री अजय कुमार पोइया–

[अरे बुधवार के अता० प्र० सं०–167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद मथुरा के बी०टी०सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०/एम–1/25723/मथुरा/99, दिनांक 26-7-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जनपद मथुरा के प्रशिक्षित बी०टी०सी० बेरोजगार अभ्यर्थियों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 30-10-99 द्वारा नियुक्ति कर दी गई है ।

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

164–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लो० नि० विभाग में लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा चयनित अभ्यर्थी को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम/वि०को०/एम–25489/मथुरा/99, दिनांक 19-7-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, 1996 के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित/संस्तुत श्री हेमन्त कुमार सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह को लोक निर्माण अनुभाग–3 की विज्ञप्ति संख्या 3082 ई० वी० आर०/23-3-99-11 ईवीआर/98, दिनांक 31 जुलाई, 1999 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल), अस्थाई विभागीय निर्माण ईकाई–2 (ए०डी०वी०) लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के पद पर नियुक्ति/तैनाती का पत्र निर्गत किया जा चुका है ।

लखनऊ, संयुक्त-निदेशक (प्रभारी) मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग में कार्यरत श्री राजकुमार श्रीवास्तव, ड्राफ्टमैन की सेवा काल में मृत्यु के पश्चात उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

165–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त निदेशक, (प्रभारी) मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ के कार्यालय में तैनात श्री राजकुमार श्रीवास्तव, ड्राफ्टमैन की मृत्योपरान्त उनके समस्त देयों का भुगतान क्या उनके उत्तराधिकारी को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त मृतक के समस्त देयों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को कब तक करा देगी ?

श्री राम प्रकाश–

अभी देयों का भुगतान नहीं हुआ हैं ।

स्व० श्री राजकुमार श्रीवास्तव ड्राफ्टमैन की ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा आदि देयों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को नियमानुसार करने के आदेश दिनांक 29 मार्च, 2000 को शासन द्वारा जारी कर दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भुगतान संबंधी कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने के निर्देश निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को दि० 29-3-2000 को जारी कर दिये गये है ।

लखीमपुर खीरी में आदर्श जनता विद्यालय इण्टर कालेज, देवकली की हाई स्कूल तक सवित्त मान्यता प्रदान करने की मांग

166–डा० कौशल किशोर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जनता विद्यालय इण्टर कालेज देवकली, लखीमपुर खीरी हाई स्कूल तक सवित्त मान्यता प्राप्त है? यदि नहीं, तो इसे कब तक अनुदान सूची में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

आदर्श जनता विद्यालय इण्टर कालेज, देवकली, लखीमपुर खीरी को दिनांक 1-10-86 को हाई स्कूल की मान्यता दी गयी है तथा दिनांक 14-10-86 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने की शासन की नीति है । अभी तक दिनांक 6-08-85 तक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है ।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा वर्तमान वित्तीय संकट को दृष्टिगत रहते हुए समय-सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी टाउन की सड़क को चौड़ा करने तथा बाईपास बनाने की मांग

167–डा० कौशल किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि खीरी टाउन, जनपद–लखीमपुर की सड़क जो लखीमपुर खीरी से लहरपुर, जनपद–खीरी की चौड़ाई कम होने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी

रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को चौड़ा करने तथा इसे बाई पास बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । यह मार्ग अन्य जिला मार्ग है । इसकी लेपित सतह 3.7 मीटर चौड़ी हैं ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में उक्त सड़क को चौड़ा करना तथा बाईपास बनाना सम्भव नहीं हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ अलीगंज स्थित सेक्टर–जे, एवं आई के सरकारी आवासों में वाश बेसिन तथा किचन में सिंक की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

168–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियों में टाइप–2, टाइप–3 के आवासों में वाश बेसिन तथा किचन में सिंक की सुविधा अनुमन्य है ? यदि हां, तो अलीगंज स्थित सेक्टर–जे एवं आई में यह सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी है ? क्या यह सुविधा उक्त कालोनी में भी उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

टाइप–2 के आवासों में वाश वेसिन एवं किचेन में सिंक की सुविधा अनुमन्य नहीं है, किन्तु टाईप–3 के आवासों में यह सुविधा अनुमन्य है ।

प्रश्नगत आवास श्रेणी–2 के हैं जिनमें यह सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में सेक्टर जे, अलीगंज एवं महानगर के सरकारी आवासों में पुताई रंगाई, सफाई मरम्मत कराने की मांग

169–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनी सेक्टर जे, अलीगंज एवं महानगर में पुताई, रंगाई, सफाई तथा मरम्मत कार्य विगत कई वर्षों से न होने के कारण उक्त कालोनी की स्थिति जर्जर होती जा रही है ? यदि हां, तो कई वर्षों से पुताई एवं मरम्मत कार्य न होने के क्या कारण है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या उक्त कालोनी की पुताई, रंगाई, सफाई एवं मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । आवासीय कालोनी सेक्टर–जे, अलीगंज एवं महानगर मे पुताई, रंगाई, सफाई तथा मरम्मत का कार्य चरणबद्ध रूप से चलता रहता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य निरन्तर कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 7-4-2000 को अता०प्र०सं०–182 द्वारा उत्तरित]

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में झील बनाने हेतु स्वीकृत योजना की जानकारी

171–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चम्पावत के लोहाघाट स्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सौन्दर्यीकरण योजना के तहत प्रस्तावित लोहाघाट झील परियोजना का निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा ? इस परियोजना की कुल लागत कितनी है तथा उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अशोक यादव–

जनपद चम्पावत के लोहाघाट स्थान में झील बनाने हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तरांचल क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में वृत्तकार वर्क चार्ज कर्मचारियों की संख्या तथा उनको नियमित करने की मांग

172–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में वृत्तकार वर्क चार्ज कर्मचारियों की संख्या वर्ष 1991 तक कितनी थी ? वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने के शासनादेशों के अन्तर्गत अब तक वृत्तकार कितने कर्मचारी नियमित किये जा चुके हैं तथा कितने अभी नियमित होने शेष हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

उत्तरांचल क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1991 तक वर्कचार्ज कर्मचारियों की वृत्तवार संख्या निम्नवत् थी :–

1–12 वां वृत्त, पिथौरागढ़	522
2-13 वां वृत्त, उत्तरकाशी	541
3-22 वां वृत्त, नैनीताल	455
4–24 वां वृत्त, देहरादून	622
5-27 वां वृत्त, नई टिहरी	48
6-36/63 वां वृत्त, पौड़ी/जहरीखाल	759
7–38 वां वृत्त, गोपेश्वर	438
8-43 वां वृत्त, अल्मोड़ा	832
9-53 वां वृत्त, हल्द्वानी	349
10–29 वि०/या० वृत्त, हल्द्वानी	31
योग	4597

उत्तरांचल क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1991 के नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या वृत्तवार संख्या निम्नवत् है :–

1–12 वां वृत्त, पिथौरागढ़	361
2–13 वां वृत्त, उत्तरकाशी	541
3–22 वां वृत्त, नैनीताल	429
4–24 वां वृत्त, देहरादून	568
5–27 वां वृत्त, नई टिहरी	48
6–36/63 वां वृत्त, पौड़ी/जहरीखाल	445
7–38 वां वृत्त, गोपेश्वर	350
8–43 वां वृत्त, अल्मोड़ा	214
9–53 वां वृत्त, हल्द्वानी	306
10–29 वां वृत्त, हल्द्वानी	28
योग	3290

नियमित होने हेतु वर्ष 1991 तक के वर्कचार्ज कर्मचारियों की अवशेष संख्या निम्नवत् है :–

1–12 वां वृत्त, पिथौरागढ़	161
2–13 वां वृत्त, उत्तरकाशी	–
3–22 वां वृत्त, नैनीताल	26
4–24 वां वृत्त, देहरादून	54
5–27 वां वृत्त, नई टिहरी	–
6–36/63 वां वृत्त, पौड़ी/जहरीखाल	314
7–38 वां वृत्त, गोपेश्वर	88
8–43 वां वृत्त, अल्मोड़ा	618
9–53 वां वृत्त, हल्द्वानी	43
10–29वां वि०/या० वृत्त, हल्द्वानी	3
योग	1307

जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड पयागपुर ग्राम मल्लावां में पूर्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के निर्माण की मांग

173–श्री अक्षयवर लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पूर्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम मल्लावां विकास खण्ड पयागपुर जनपद श्रावस्ती के विद्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 1998 में तीन लाख सत्तर हजार रुपया शासन से स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय को स्वीकृत की गयी सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पूर्ण धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं । पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ग्राम मल्लावां, विकास खण्ड पयागपुर (श्रावस्ती) हेतु वर्ष 1998 में निर्माण लागत के सापेक्ष रु० 1.97 लाख स्वीकृति दी गई ।

जी नहीं ।

भारत सरकार से शेष धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

174–श्री अक्षयवर लाल–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ राज्य सम्पत्ति विभाग के आवास सी–10 की मरम्मत कराने की मांग

175- चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवास की मरम्मत सी–10, बन्दरियाबाग, लखनऊ का आगणन वित्तीय वर्ष 1998 में ही प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या मरम्मत का कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हो पाया ।

आगणन को पुनरीक्षित कराया जा रहा है । धन की उपलब्धता पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

वन विभाग के सेवानिवृत्त जीप चालक श्री नूर मोहम्मद की चिकित्सा पर हुए व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की मांग

176–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त जीप चालक, श्री नूर मोहम्मद की चिकित्सा पर हुये व्यय की गई धनराशि रु० 20,906.45 की प्रतिपूर्ति शासकीय आदेश संख्या–3975/5-6-97-294/96, दिनांक 1-8-98 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, वन संसाधन सर्वेक्षण प्रभाग, उ०प्र० का पत्र संख्या 690 दिनांक 1-6-99 निदेशक चिकित्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

वन अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 24-3-2000 द्वारा श्री नूर मोहम्मद के दावे के सापेक्ष रु० 17,641.00 की प्रतिपूर्ति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० प्रथम पंचपेड़वा में कार्यरत सहायक निरीक्षक भूमि संरक्षण श्री पी० डी० सिंह की सम्पत्ति की जांच

177-श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० प्रथम पंचपेड़वा में कार्यरत सहायक निरीक्षक भूमि संरक्षण श्री पी०डी० सिंह के विरुद्ध वर्ष 1995 से वर्ष 1999 के मध्य आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच के क्या

परिणाम रहे हैं ? जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश शासन (सचिवालय) में अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक के समकक्ष पदों पर तैनात/सम्बद्ध बाहरी व्यक्तियों को उनके पैतृक विभाग में भेजने की मांग

178—श्री अजय कुमार पोइया, श्री गोपाल कृष्ण, श्री तेजभान सिंह तथा श्री रिफाकत हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन (सचिवालय) में नवम्बर, 1998 से अगस्त, 1999 के मध्य अवर/प्रवर वर्ग सहायक के कितने पद रिक्त हुए हैं ? उनका वर्षवार विवरण क्या है ? उक्त रिक्त पदों पर कब-कब नियुक्तियां की गयी हैं और उनका माध्यम क्या है ? क्या यह सही है कि अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के समकक्ष पदों पर सचिवालय संवर्ग के बाहर के व्यक्ति कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाहरी व्यक्तियों को हटाकर उनको उनके पैतृक विभाग में भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

नवम्बर, 1998 से अगस्त, 1999 की अवधि में अवर वर्ग सहायक के 07 पद रिक्त हुए, जिसमें से नवम्बर, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक अवर वर्ग सहायक का कोई पद रिक्त नहीं हुआ तथा जनवरी, 1999 से अगस्त, 1999 तक अवर वर्ग सहायक के 07 पद रिक्त हुए । नवम्बर, 1998 से अगस्त, 1999 तक प्रवर वर्ग सहायक के 58 पद रिक्त हुए, जिसमें से प्रवर वर्ग सहायक के नवम्बर, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक 14 पद तथा जनवरी, 1999 से अगस्त, 1999 तक 44 पद रिक्त हुए । उक्त रिक्त हुए पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं ।

कतिपय विभागों में सचिवालय संवर्ग से बाहर के व्यक्ति तैनात/ सम्बद्ध हैं । ऐसे बाहरी व्यक्तियों को उनके पैतृक विभाग में भेजने हेतु कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित मृतक आश्रितों के अध्यापकों को बी० टी० सी० प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण सम्पन्न कराये जाने की जानकारी

179. श्री महेन्द्र कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1999 तथा 12 जुलाई, 1999 के परिपालन में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई, 1999 तक कितने अप्रशिक्षित मृतक आश्रित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापक जांचोपरान्त सही पाये गये ? क्या अप्रशिक्षित अध्यापकों का पत्राचार बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन जनपदों में अप्रशिक्षित अध्यापकों का 20 दिवसीय पत्राचार बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया, उनकी परीक्षायें कराये जाने का कब तक प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत शासानादेशों के अन्तर्गत निर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया दिनांक 31-7-99 तक पूर्ण नहीं हुई थी।

अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण पूर्व में सम्पन्न कराया जा चुका है।

प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रदेश के सभी जनपदों में सम्पन्न हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद में श्री कृष्ण इण्टर कालेज आश्रम, बरहज के सहायक अध्यापक श्री राम प्यारे तिवारी के अवशेष वेतन के भुगतान की मांग

180—श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–151 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज आश्रम, बरहज, देवरिया के क्रम संख्या–6 पर अंकित सहायक अध्यापक श्री राम प्यारे तिवारी का अक्टूबर, 1989 से मई, 1993 तक के अवधि के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निर्देश दिये जाने के बावजूद वेतन भुगतान न करने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर श्री तिवारी के उक्त वेतन का भुगतान कराकर दोषीजनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

वेतन भुगतान हेतु निदेशालय से धनावंटन दिनांक 1-1-2000 को किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा गबन विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

181–श्री उदय राज यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा लाखों रु० के खाते सीज करने विषयक उ० प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कासिम अली का पत्र जो होमगार्ड राज्य मंत्री द्वारा मा० मुख्य मंत्री को माह मार्च, 1999 के अन्तिम सप्ताह में भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां, संलग्नक रहित पत्र दिनांक : 26/27-3-99 को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त स्थिति में बिन्दुवार कार्यवाही सूचित करना सम्भव नहीं है किन्तु कतिपय आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है।

(12बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापन हेतु अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग (क्रमागत)

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपका ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 98 की ओर दिलाना चाहता हूं, आप इसको धन विधेयक मान चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण कर लीजये । मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल तो हुआ नहीं । आपकी जो मांग है वह मेरे भी संज्ञान में है । मेरा एक अनुरोध है, सरकार से विरोध करना एक अलग बात है । आप कह रहे हैं, सरकार अल्पमत में है, सरकार नहीं है, वह अपनी जगह आप कह रहे हैं । मद संख्या 2-3 विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित हैं, यह विधान सभा आपकी भी है, सबकी है, इसलिए इसको हो जाने दीजिये, उसके बाद आपकी बात सुन लूंगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

आपने इसको धन विधेयक माना है, इस सरकार को बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार-

आप इसे धन विधेयक मान चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप विधेयक को निकाल लीजिये । आप सन् 2000 के विधेयक की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो सन् 98 के विधेयक की बात कर रहे हैं । उस विधेयक को आप पढ़िये । खाली विधेयक के शीर्षक से कोई विधेयक धन विधेयक नहीं हो जाता । उस विधेयक में क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि वह धन विधेयक है या नहीं ? हर व्यापार कर से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं होता ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था नहीं होगी । पहले आप दोनों विधेयक पढ़ लीजिये ।

श्री धनीराम वर्मा -

श्रीमन्, कल जो धन विधेयक सत्ता पक्ष ने प्रस्तुत किया, वह गिर गया, उसमें सरकार पराजित हो गई ।

श्री अध्यक्ष-

पहली बात तो विधेयक नहीं गिरा ।

श्री धनीराम वर्मा-

यह धन विधेयक इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 199 में पूरा-पूरा विवरण दिया हुआ है और आपने स्वयं इसे धन विधेयक माना है. मैं पढ़कर सुना रहा हूं कि धन विधेयक किसको माना है उत्तर

प्रदेश व्यापार कर संशोधन विधेयक 1998 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 10 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा उसे धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने बिना किसी सिफारिश के .....

श्री अध्यक्ष–

उसमें क्या प्राविधान थे, आप बतायें, तब तो सदन तय करेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, किंचित मात्र भी अन्तर नहीं था, विधेयक की अनुज्ञा मांगी थी, उसका कलेवर यही था ।

श्री अध्यक्ष–

कलेवर यह नहीं था ।

श्री धनीराम वर्मा–

पहले इन्होंने अनुज्ञा मांगी है, पेश करना चाहते थे । इस सदन ने अनुज्ञा नहीं दी तो यह सरकार गिर गयी । यह मामला महामहिम राज्यपाल के विचाराधीन है, यह कहा है कि हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं जब परीक्षण के समय विचाराधीन है तो ऐसे समय में सदन की कार्यवाही चलाना वैधानिक नहीं है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी आप बैठ जायें ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है, वह विधान परिषद् से वापस आया था और आप क्या कहना चाह रहे हैं ? यह पारित ही नहीं हुआ, जब पुरःस्थापित ही नहीं हो पाया तो उसके साथ इसे मिलाकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय विपक्ष के हमारे मित्र जो बात उठा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जब सत्तारूढ़ दल के लोग उनको शान्तिपूर्वक सुन रहे हैं तो सत्तापक्ष के लोगों को भी वे शान्तिपूर्ण ढंग से सुनें । आप बात कहेंगे और सत्तारूढ़ दल की बात नहीं सुनना चाहेंगे तो मेरा निवेदन है कि उनकी बात भी न सुनी जाए । यदि विपक्ष को इतना विश्वास है तो ले आए अविश्वास प्रस्ताव ।

श्री अध्यक्ष–

मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि सत्तापक्ष की बात भी सुन ली जाए । उसके बाद जो तय होगा.....

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सदन संविधान से, नियमावली से और परम्पराओं से चलता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 199 में जो परिभाषा स्पष्ट दी गयी है उसके अनुसार कल की कार्यवाही पर अंकित 9 नम्बर पर जो मद आया था, वह धन विधेयक है। नियमावली से भी यदि आप देखें तो इसमें टैक्स लेने का प्राविधान था, इसलिए यह धन विधेयक है। मान लीजिये उत्तर प्रदेश सरकार एनुअल बजट प्रस्तुत करें और उसमें कोई नया कर न लगायें तो क्या वह धन विधेयक नहीं होगा, मेरा तात्पर्य यह है। अनुच्छेद 199 की परिभाषा के अनुसार यह धन विधेयक है, नियमावली के अनुसार धन विधेयक है और अपने प्रस्तुत चरित्र के अनुसार जो नया कर लगाया गया है, इसलिए धन विधेयक है।

श्री अध्यक्ष–

इस विधेयक में नया कर है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 23 जुलाई, 98 को एक प्रकरण आपके सामने आया था और आपने उस पर व्यवस्था की थी, और जो व्यवस्था दी थी वह शिरोधार्य है। मैं उसे पढ़ देता हूं।

मान्यवर, यहां पर इसी हेड का, इसी शीर्षक का विधेयक प्रस्तुत हुआ था और यहां से पारित होने के बाद विधान परिषद् को गया था और विधान परिषद् से पारित होने के उपरान्त यहां आया था और सचिव ने उसके बारे में सूचना दी थी कि विधेयक पारित हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना सचिव ने सदन को दी थी।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सूचना सचिव ने सदन को दी थी मैं सूचना पर नहीं जा रहा हूं। धन विधेयक प्रमाणित आप करते हैं। यह विधेयक उसी नेचर का है। इसके इन्ग्रेडियेंट और इसका औचित्य उसी नेचर का है।

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक उसी आशय का है, उसी नेचर का है इसकी व्याख्या कर दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उस विधेयक में भी कर लगाया गया था और इसमें भी कर लगाया गया है। आप 23 जुलाई, 1998 की कार्यवाही देख लें। इसके पृष्ठ 60 अंक–4 में स्पष्ट कहा गया है कि यह धन विधेयक है।

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक 2000 का है और वह विधेयक 1998 का था।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर विधेयक 2000 में प्रस्तुत होगा तो 2000 लिखा जायगा और विधेयक 2002 में प्रस्तुत होगा तो 2002 लिखा जायगा। मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक दिनांक 10 जुलाई, 1998 को विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और 22 जुलाई, 1998 को विधान परिषद् द्वारा पारित होकर वापस प्राप्त हुआ था। दिनांक 23 जुलाई, 1998 को सचिव, विधान सभा ने सदन को सूचित किया था कि "श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश

व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1998 जो उ० प्र० विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1998 को पारित किया गया था, लाया जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 जुलाई, 1998 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था उ० प्र० विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 जुलाई, 1998 को वापस प्राप्त हो गया। तो कल जो मद सं०-9 पर कार्यसूची में विधेयक था यह संविधान के अनुरूप और परम्पराओं के अनुरूप और आपके निर्णय के अनुरूप भी धन विधेयक है। कल हमारे दल और सारे दलों के लोग मिलकर राज्यपाल महोदय के पास गये और हमारा विश्वास है कि जो कुछ हमने कहा उससे महामहिम राज्यपाल महोदय संतुष्ट नजर आये। राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम इसका परीक्षण करा रहे हैं। तो अभी उसका परीक्षण हो रहा है, राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में उत्तर नहीं दिया है। संविधान के अनुच्छेद-164 के अनुसार यह सरकार राज्यपाल के प्रसाद पर बैठी हुयी है, इसको अब बैठने का कोई हक नहीं रह गया है।"

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सदन की सूचना के लिये बता दूं कि 1998 के विधेयक की प्रतिलिपि मैंने मंगवा ली है। माननीय नेता विपक्ष और माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा कि जिस प्रकार वह विधेयक धन विधेयक था उसी प्रकार से यह विधेयक धन विधेयक है, तो जो 1998 का विधेयक है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि उसी नेचर, उसी प्रकृति, उसी आशय का कल वाला विधेयक है कि नहीं। जो 1998 का विधेयक था उसमें स्पष्ट लिखा है, जिसका एक उदाहरण मैं दूंगा।

"उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क में उपधारा (1) में :-

(क) खण्ड (ख) में शब्द "चालीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पचास प्रतिशत" रख दिये जायेंगे :

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "छब्बीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पैंतीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ग-1) में शब्द "बीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पच्चीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(घ) खण्ड (घ) में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(ङ) खण्ड (ङ) में शब्द "आठ प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे अर्थात इस विधेयक में कर वृद्धि की गयी थी इसलिये उसे प्रमाणित किया गया था। अन्य प्रावधानों के साथ परीक्षण करने के उपरान्त 1998 का वह विधेयक धन विधेयक था इस विधेयक की प्रतिलिपि आपके पास होगी आप कृपया इसे देख लें, इसमें कहां कर बढ़ाने या घटाने की बात है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उसमें दर वृद्धि थी, इसमें शुल्क वृद्धि है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, यह धन विधेयक है इस पर सरकार पराजित हुई है और धन विधेयक गिर गया है। आप धन विधेयक को छोड़ दें। स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उस समय इस तरह का प्रश्न हुआ था। वह धन विधेयक भी नहीं था बल्कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना था उस पर सरकार ने वोटिंग भी नहीं करायी थी और विधेयक पारित नहीं

हुआ था ऐसी स्थिति में नैतिकता के आधार पर सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया था । धन विधेयक पर सरकार गिर जाने के बाद राम प्रकाश गुप्त सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है । इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांति का वातावरण बनाये रखें, मैं सभी को सुनूंगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपने व्यवस्था के प्रश्न पर सुना, आप मुझे भी सुन लें । मान्यवर, 23 जुलाई, 1998 और आज की स्थिति में मूलभूत अन्तर यह है कि वहां विधेयक पुरःस्थापित हुआ, पारित हुआ, विधान परिषद् में गया और वहां से लौटा उसके बाद उसे प्रमाणित किया गया । यहां तो कन्सेप्शन ही नहीं हुआ । भ्रूण स्त्री है या पुरुष या बीच का है । "ह्वेन देयर इज नो कुन्सेप्शन क्वेश्चन आफ एबारशन इज नाट एराइज" । जब यह पारित होता उसके बाद विधान परिषद् में जाता तब आप यह प्रमाणित कर देते कि यह धन विधेयक है या नहीं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह धन विधेयक है या नहीं, क्या यह प्रश्न उठाना उचित है ?

श्री अध्यक्ष–

धन विधेयक प्रमाणित करने की स्टेज अभी आयी ही नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था आ जाय । मैंने तो कह दिया कि धन विधेयक प्रमाणित करने की स्टेज अभी आयी ही नहीं । कल जो पीठासीन अधिकारी चौहान जी थे, उनकी व्यवस्था को रिव्यू नहीं करने जा रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सदन में आज एक गम्भीर समस्या आयी है कि व्यापार कर (संशोधन)विधेयक, 2000 धन विधेयक है या नहीं । यह सदन हमेशा परम्पराओं से चलता है, संविधान के दिशा-निर्देशों के तहत चलता है और यहां की नियमावली द्वारा संचालित होता है । मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199. धन विधेयक की परिभाषा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक, धन विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों में सम्बन्धित उपबन्ध हैं, उसमें "किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार परिवर्तन या विनियमन" इसी के साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सत्ता पक्ष के साथी कह रहे हैं कि यह धन विधेयक नहीं है । क्योंकि माननीय अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेंगे तो प्रमाणित करने की स्थिति तब आती है जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199(3) में है । "यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान मण्डल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा" । आपके प्रमाणित करने क

विनिश्चय है यह तब उठता है जब इस पर विधान परिषद् ने प्रश्नचिन्ह लगाया हो कि यह धन विधेयक है या नहीं ? अभी यह स्थिति पैदा नहीं हुई है । मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि धन विधेयक पारित करने की दो स्टेप होती है । पुरःस्थापन और पारण, इस विधेयक के प्रवेश के मौके पर ही पहले चरण में विधेयक पुरःस्थापित होते ही मतदान के वक्त सरकार अल्पमत में आ गई । यह विधेयक यहां प्रस्तुत नहीं कर पाई और सरकार मतदान के वक्त अल्पमत में आ गई । अतः इस सम्मानित सदन में जो एक बार परम्परा कायम हो चुकी है 1967 में उस वक्त मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्त थे । उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर इस्तीफा दे दिया था । अतः नैतिकता के आधार पर मुख्य मंत्री राम प्रकाश गुप्त को भी इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस सम्बन्ध में विपक्ष के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गए थे और इस सरकार की बर्खास्तगी के लिए ज्ञापन भी दिया । उन्होंने सारे तथ्यों की जांच के लिए उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया । उनकी जांच के निष्कर्ष की कोई लिखित सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है । इसलिए जब तक महामहिम राज्यपाल महोदय का कोई निर्देश इस सम्बन्ध में नहीं आ जाता तब तक इस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

राज्यपाल का प्रसाद इनको मिला है कि नहीं इसकी सूचना हमें नहीं मिली है । जब व्यापार कर विधेयक, 1998 धन विधेयक हो सकता है तो व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 क्यों नहीं धन विधेयक हो सकता है ?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विधान परिषद् में प्रश्न चिन्ह उठने के बाद ही आपको धन विधेयक है या नहीं प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ेगी । मान्यवर, यह धन विधेयक है । हम इस बात पर बल देते हैं और अल्पमत वाली इस सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए । इसलिए अब इस सरकार को नीतिगत रूप से सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं रह गया है ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, कल 10 तारीख को यहां 2-22 मिनट पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगे जाने के समय मत विभाजन हुआ और उसमें 55 मत इनके और 83 मत हम लोगों के रहे । इसलिए यह सरकार पराजित सरकार हो गई, अतः इसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । हम सब लोग महामहिम जी के पास गये और उन्होंने हमारी बात को बड़े इत्मीनान से सुना और कहा कि हम जांच करायेंगे । महामहिम के यहां से अभी तक हमारे पास कोई

नोट :– वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सूचना नहीं है । जो सरकार अल्पमत में है उसे बैठने का कोई अधिकार नहीं है । आप इस सरकार को यहां से जाने का आदेश दें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, कल विधान सभा की कार्य-सूची में मद संख्या 9 पर जब मा० व्यापार कर मंत्री जी ने व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी तो सम्पूर्ण विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की । इस प्रस्ताव के समर्थन में 55 और विपक्ष में 83 मत पड़े । मैं इस बात पर विशेष तौर पर बल देना चाहता हूं कि यह सदन संविधान के संगत अनुच्छेदों तथा प्रक्रिया नियमावली के नियमों से चलता है, संसदीय परम्पराओं और लोकतंत्र में स्थापित मूल्यों से भी इस सदन का कार्य संचालित होता है । इससे पूर्व में भी इस तरह के दृष्टांत हैं कि जब कोई सरकारी विधेयक या प्रस्ताव इस सदन में गिरा है तब तत्कालीन सरकार ने इस्तीफा दे दिया है । कल उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय जो मत विभाजन हुआ उसमें यह सरकार पराजित हुई । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि अब प्रदेश सरकार सदन में बहुमत का विश्वास खो चुकी है नैतिकता के आधार पर इस सरकार को अब बने रहने का अधिकार नहीं है । मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद–199 की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है "अनुच्छेद –199(1) (क) में उल्लेख है" किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से सम्बन्धित विधेयक "धन विधेयक" समझा जायेगा । इसके अनुसार यह विधेयक जिसके पुरःस्थापन हेतु सरकार द्वारा सदन की अनुज्ञा मांगी गई, वह धन विधेयक समझा जायेगा क्योंकि उसमें अनुच्छेद 199(1) (क) से संबंधित उपबंध है । श्रीमन्, मैं विधेयक के एक अंश को पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है " यथा स्थिति ऐसे व्यापारी, परिवहनकर्ता, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर कर का निर्धारण किया जायेगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डनीय भी होगा ।"

श्री अध्यक्ष–

यह प्रमोद जी ने आपके लिए छोड़ दिया पढ़ने के लिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे पास इसकी कापी नहीं थी, वह मैं ले आया । इसमें टैक्स है । [xxx] कंस्टीट्यूशन सुपीरियर है ।

(डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यहां तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी । यदि कोई बात कही होगी तो उसे मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

* ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, इन्हें क्षमा मांगनी चाहिये ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

क्षमा मांगने की बात होगी तो वातावरण वैसे ही खराब हो जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx] कान्सटीट्यूशन से [x x x]

(श्री उदय राज यादव सहित समाजवादी पार्टी के सदस्य तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य वैल में आ गये, जिससे घोर व्यवधान हो गया । सदस्यगण नारे लगा रहे थे)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रघुनाथपुर एवं कोठियारपुर नालों पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, उक्त लोक महत्व के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आजमगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रघुनाथपुर नाले पर पुल नहीं है, इसके न होने से रघुनाथपुर एवम् नान्हूपुर आदि गांवों की जनता को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । एवं दूसरे नाले कोठियारपुर पर भी पुल निर्माण नहीं होने से हरैया गांव एवं खलिफतपुर, रशारिया, लखमीपुर आदि गांवों की जनता को परेशानी उठानी पड़ती है । इन दोनों पुलों के न होने से वर्षा ऋतु में गांव वालों को काफी घूमकर अपने गन्तव्य तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है । जिससे जनता को अपने कार्य करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मवेशियों के लिए चारे वगैरह लाने में बरसात में पानी ज्यादा होने से तैर कर जाना पड़ता है जिससे बराबर जोखिम बना रहता है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से, मैं जनता की तरफ से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त दोनों नालों रघुनाथपुर एवम् कोठियार पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के ग्राम सैरपुर मजरा सोनाखेड़ा निवासी भूतपूर्व सैनिक (दलित परिवार) का उत्पीड़न रोकने एवं दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद–फतेहपुर के ग्राम–सैरपुर मजरा–सोनाखेड़ा, थाना–कल्याणपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां देश की सेवा में जीवन व्यतीत कर सेवानिवृत्त चन्द्र पाल जो दलित परिवार के हैं और इसी ग्राम सभा के निवासी हैं । इनके घर के रास्ते जिससे पूरे गांव के दलित एवं पिछड़ी जाति के लोगों का आवागमन है उस पर लगा खड़ञ्जा सन् 1998 में ग्राम सभा द्वारा लगवाया गया था । दिनांक 23-2-2000 को खण्ड विकास अधिकारी, मलवा एवं परियोजना निदेशक, फतेहपुर

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

द्वारा खड़ण्जा उखड़ाया जा रहा था, जब गांव के लोग इसका विरोध करने लगे तो इन अधिकारियों ने गांव के लोगों एवं बुजुर्ग फौजी चन्द्रपाल को भद्दी-भद्दी गालियां दी तथा बुजुर्ग फौजी चन्द्रपाल व उनके बेटों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दलितों में रोष व्याप्त है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न का मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि इस प्रकरण की पूरी जांच शासन स्तर के किसी अधिकारी से कराकर जो भी दोषी हो उन्हें दण्डित करते हुए इस भूतपूर्व सैनिक परिवार की पूर्ण सुरक्षा दी जाये।]

जनपद सीतापुर, कोतवाली महोली की पुलिस द्वारा बड़ा गांव मितौली मार्ग पर वन विभाग के शीशम के पेड़ कटवाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही–

[महोदय, आपका ध्यान मैं अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र हरगांव जनपद सीतापुर की कोतवाली महोली की पुलिस चौकी बड़ागांव के इंचार्ज अग्निहोत्री द्वारा बड़ागांव मितौली मार्ग पर अवैध रूप से वन विभाग के शीशम आदि के पेड़ कटवाये जा रहे हैं। 12-3-2000 को रात्रि 9 बजे। चौकी इंचार्ज तथा उनके साथ चौकी के सिपाही राजकुमार यादव, जगजीवन राम यादव, दीनानाथ ओझा आदि सभी शराब के नशे में राम सहाय पुत्र छेद्दू, ग्राम परसेहरा, पो०–बड़ागांव, जनपद सीतापुर के घर पहुंचे उन्होंने राम सहाय से ट्रैक्टर ट्राली का मांग की और कहा कि सेमरावा परमेहरा के बीच दो पेड़ सड़क के उत्तर और दो पेड़ सड़क के दक्षिण कटवाये हैं इसलिए तुम्हारी ट्राली चाहिए, ट्राली देने से राम सहाय ने मना कर दिया इस बात पर क्रोधित होकर पिटाई की तथा भद्दी-भद्दी गालियां दी और कहा कि तुम्हारी बन्दूक निलम्बित करवा दूंगा तथा जबरन ट्रैक्टर ट्राली खींचकर ले गये तथा कटे पेड़ों को लदवाकर कहीं भिजवा दिया। जिसकी सूचना मैंने थाना कोतवाली महोली में दी तथा पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी बताया परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी, तब दिनांक 18-3-2000 का मैं स्वयं राम सहाय को लेकर जिलाधिकारी से मिला तथा पूरी घटना की जानकारी लिखित तथा मौखिक रूप से दिया। तब जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी, मिश्रित को जांच के आदेश दिये, परन्तु 20 दिन व्यतीत होने के उपरान्त भी चौकी इन्चार्ज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, चौकी इन्चार्ज द्वारा लगातार परिवार वालों को परेशान किरा जा रहा है तथा बन्दूक निलम्बित किये जाने की धमकी दी जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दोषी चौकी इन्चार्ज तथा दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर कार्यवाही की जाय।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम झारी में आग लग जाने से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव–

[मान्यवर, आपका ध्यान विगत 1 अप्रैल, 2000 को ग्राम झारी, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद में आग लग जाने के तरफ केन्द्रित करना चाहता हूं कि उक्त गानव में अनेक लोगों की रखी हुई फसल, मकान तथा औरतों के जेवरात सहित सभी दैनिक उपयोग की चीजें जलकर राख हो गयी आग इतनी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भयंकर थी कि आंशिक रुप से पशु और जानवर भी जल गये तथा गांव के कुछ लोग भी जले हुए हैं। अग्निकाण्ड से निम्नलिखित लोग पीड़ित हैं। जिनके नाम इस प्रकार से हैं। बलवन्ता, भगवन्ता, अच्छे लाल, हीरा लाल, मदन मनेजर, ब्रज लाल, श्याम लाल, जवाहर लाल, जगनाथ, दयाशंकर तथा साधु आदि महोदय उक्त परिवार के पास खाने पीने और रहने की विकराल समस्या पैदा हो गयी है। उक्त परिवार के लोगों को इलाहाबाद प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं पहुंचाई गयी।

अतः इस आदरणीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि ग्राम झारी तहसील हंडिया जनपद इलाहाबाद के अग्निकाण्ड से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था अविलम्बनीय करायी जायं।।

जनपद फैजाबाद के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत राजे सुल्तानपुर में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

। महोदय , आज पूरे प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु समस्या बनी हुई है। उसी में मेरा क्षेत्र भी आता है मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज ब्लाक में कोई राजकीय बालिका विद्यालय न होने के कारण बालिकाओं को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। गांव से शहरों में पढ़ने के लिए सबके बस की बात नहीं है, गरीब परिवार की बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को आदेशित करें, राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए तत्काल व्यवस्था करें तथा सदन की कार्यवाही रोककर एक घण्टा की चर्चा कराने की मांग करता हूं।।

महराजसिंह इण्टर कालेज बहराइच में चतुर्थ श्रेणी पद से सेवानिवृत्त हुए श्री अली हुसैन को 20 माह के पश्चात् भी पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

।मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि श्री अली हुसैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रुप में महाराज सिंह इण्टर कालेज, बहराइच में कार्यरत रहते हुए दिनांक 31-7-98 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो चुके हैं। किन्तु इन्हें लगभग 20 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पायी, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पेंशन के अभाव में भुखमरी के शिकार होकर दर-दर की ठोकर खाने के लिए विवश है।

प्रकरण पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा प्राचार्य एवं प्रबंधक से पेंशन प्रपत्र नहीं पा रहे हैं और न ही प्राचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है। फलस्वरुप सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार भूखों मर रहा है। इस संबंध में अनेकों बार लिखा गया है किन्तु अभी तक किसी भी स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्था (नावा) राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठापित संस्था लखनऊ के कर्मियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री परवेज हलीम–

।महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्था (नावा) राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम की धारा 2 (20) 27 तथा 44 के अधीन प्रति स्थापित संस्था है। बी०टी०सी०एन० पत्राचारी प्रशिक्षण संस्था है, इसका कार्यालय कोठी ठाकुर गोपाल सिंह, ग्राम करेंद, डाकघर गइदों जनपद लखनऊ इस कार्यालय

नोट : । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में नियुक्ति पत्र संख्या-2055, दिनांक 08-04-96 । 1-दीक्षा गुरु, 2 कार्यालय अधीक्षक, लिपिक पद, डाक व्यवस्था अधिकारी, प्रशिक्षित अध्यापक पद, चपरासी प्रेस कर्मचारी, प्रशिक्षार्थी, सुरक्षा गार्ड, माली, सफाई कर्मी लगभग 50-60 कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है । किन्तु आज दिनांक 10-4-2000 तक किसी भी कर्मचारी को कोई वेतन नहीं दिया गया है । सभी कर्मचारी तथा उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है । अभी तक किसी प्रकार अपने सगे संबंधियों से ऋण लेकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे, सभी प्रकार कर्मचारी अत्यन्त गरीब परिवार के सदस्य हैं तथा अति पिछड़े वर्ग के हैं । जिनके साथ चार वर्षों से घोर अन्याय हो रहा है । जो सरकार के नियमों तथा नीति का पूर्णतया उल्लंघन करता है ।

अतः मैं इस मामले को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में इस उम्मीद के साथ लाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण विवरण की जांच कराकर इस सदन के पटल पर रखने के आदेश यह सदन दे ताकि ये सभी लोगों को न्याय मिल सके तथा सदन अपना सही निर्णय दे सकें ।।

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

(नारे लगाये जाते रहे)

(घोर व्यवधान)

उ० प्र० व्यापार कर (संशोधन) विधेयक 2000 को सदन में पुरःस्थापन हेतु अनुज्ञा न मिलने पर मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग विषयक प्रकरण पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार व अन्य नेतागण को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्ष 1998 में व्यापार कर सम्बन्धी विधेयक और जिस विधेयक को कल पुरःस्थापित करने का प्रयास किया गया था अर्थात् उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 के प्राविधानों में कोई साम्य नहीं है । श्री अधिष्ठाता महोदय ने यह व्यवस्था दे दी थी कि यह विधेयक धन विधेयक नहीं है । श्री अधिष्ठाता द्वारा दिये गये निर्णय का मैं पुनर्विलोकन नहीं करना चाहता । जो सूचना मौखिक रूप से दी गई है उसे मैं निरस्त करता हूं । इसमें सरकार को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं । इस सूचना को मैं निरस्त कर रहा हूं । माननीय नेता विपक्ष की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उससे भी मैं सहमत नहीं हूं । इसलिये मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूँ ।

(व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 में प्राप्त सूचनाएं निरस्त की जाती हैं ।

(निरन्तर नारे लगाये जाते रहे)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 को उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 2000

सचिव, विधान सभा–

मा० मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मार्च, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 को उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

(सदन में लगातार नारे लगाये जाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 78वां प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 78वां प्रतिवेदन, जो राजस्व पर्यटन एवं वन विभागों (वर्ष 1977 एवं 1984 से 1998) के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम मंगुरा में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को आरक्षित भूमि पर निर्मित कराये जाने विषयक श्री श्यामधर शुक्ल आदि की हस्ताक्षरित याचिका ††

*श्री पूर्णमासी पंकज–

मा० मैं आपकी आज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम मंगुरा में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय को आरक्षित भूमि पर निर्मित कराये जाने विषयक श्री श्यामधर शुक्ल तथा श्री परमानंद उपाध्याय, निवासीगण जनपद संत रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

प्रदेश के कालीन एवं दरी बुनाई से सम्बद्ध मजदूरों को बुनकर घोषित किये जाने विषयक श्री नन्द लाल मौर्य आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मा० मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश के कालीन एवं दरी बुनाई से सम्बद्ध मजदूरों को बुनकर घोषित किये जाने विषयक श्री नन्द लाल मौर्य तथा श्री बंशीधर, निवासीगण जनपद संत रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(कई सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर से नारे लगाने से घोर व्यवधान बना रहा ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 मई, 2000 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :–

अप्रैल, 2000

---

11 मंगलवार

1–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण (आधा घन्टा) ।

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार एवं पारण–आधा घन्टा) ।

3–वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

4–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घन्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करें कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घन्टे की चर्चा :–

(घोर व्यवधान के मध्य)

" इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

6–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घन्टे की चर्चा :–

" इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करें ।"

12 बुधवार	
13 गुरुवार	
14 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी ।
15 शनिवार	
16 रविवार	
17 सोमवार	
18 मंगलवार	
19 बुधवार	
20 गुरुवार	बैठक नहीं होगी ।
21 शुक्रवार	
22 शनिवार	
23 रविवार	

अप्रैल, 2000

24 सोमवार	1- वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा । 2-प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घन्टे की चर्चा ।
25 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
26 बुधवार	
27 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं
28 शुक्रवार	मतदान ।
29 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
30 रविवार	

मई, 2000

1 सोमवार	
2 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
3 बुधवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4 गुरुवार	
5 शुक्रवार	असरकारी दिवस आधा दिन आधा दिन असरकारी दिवस दिनांक 28 अप्रैल, 2000 के स्थान पर ।
6 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
7 रविवार	
8 सोमवार	
9 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2000 2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार
10 बुधवार	एवं मतदान ।
11 गुरुवार	
12 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
	2-4.00 बजे अपराह्न
	उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सदन सहमत है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे मंगलवार दिनांक 12 अगस्त, 1997 को डा० सरजीत सिंह डंग के अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का संशोधित उत्तर

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1997 को डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा

के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं।

(घोर व्यवधान)

प्रश्न	दिनांक 12-8-97 को दिया गया उत्तर	शोधित उत्तर
1	2	3
51.–क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के किराये पर चल रहे तथा दान में प्राप्त भवनों के रख-रखाव हेतु पिछले 5 वर्ष में मिर्जापुर जनपद में कितना धन आवंटित किया गया है ?	किराये के भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा धन देने की व्यवस्था भवनों के व्यक्तिगत स्वामित्व होने के कारण सम्भव नहीं है। अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।	किराये के विद्यालय भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा धन स्वीकृत करने की व्यवस्था नहीं है। जनपद मिर्जापुर में नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों की मरम्मत हेतु पांच वर्षों 1993-94 से 1997-98 तक कुल रुपया 3,80,000/- आवंटित किये गये जिसे दान में प्राप्त 6 परिषदीय विद्यालयों की मरम्मत पर रु० 1,15,000/- तथा 11 अन्य परिषदीय विद्यालयों की मरम्मत पर रु० 2,65,000/- की धनराशि व्यय की गयी।
नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों के रख-रखाव एवं नये भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ?	जिला समिति की संस्तुति के अनुसार जनपद में कुल स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार 15-20 प्रतिशत तक नगर क्षेत्र के परिषदीय स्वामित्व के विद्यालयों के रख-रखाव पर व्यय किये जाने की नीति है। किराये के भवनों का स्वामित्व दूसरे का होने के कारण शासन द्वारा उसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।	नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय के भवनों की मरम्मत हेतु नगर बेसिक शिक्षा समिति की संस्तुति पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा धन आवंटित किया जाता है तथा नये प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु धनराशि जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।

2–जहां तक पूर्व में उक्त प्रश्न के उत्तर में गलत सूचना देने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के उल्लेख का प्रश्न है, अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में गलत उत्तर के लिए अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) श्री विनय कुमार पाण्डेय का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया और उनकी चरित्र पंजिका में इसके लिए वर्ष 1998-99 हेतु प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में पहले से ही बैठे थे और नारे लगा रहे थे)

(व्यवधान के मध्य)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11-4-2000 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है, इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें आगे के लिए स्थगित की गयीं :–

1–श्री मुन्ना चौहान,
श्री जगदम्बिका पाल तथा
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों को चौथे व पांचवे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2–डा० अशोक बाजपेयी,
कुंवर रेवती रमण सिंह व
श्री अम्बरीष कुमार।

प्रदेश के किसानों तथा छोटे उद्यमियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कृषि एवं छोटे उद्यमों हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज की दरें कम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3–श्री रघुवर दयाल वर्मा

प्रदेश में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने तथा एतदर्थ बने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

4–श्री मुख्तार अंसारी,
श्री बी० आर० वर्मा,
श्री प्रमोद कुमार,
श्री लालजी वर्मा,
श्री दुर्गा प्रसाद यादव व
श्री वसीम अहमद।

मऊ शहर में शराब की दुकान हटाये जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने, लूटपाट करने तथा गोली मारकर हत्या करने व सैकड़ों बेगुनाहों को गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–श्री राम औतार शाक्य

सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद भी 'मध्यांचल निगम' का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2-श्री कौकब हमीद,
श्री समरपाल सिंह,
श्री परवेज हलीम खां,
श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा
श्री संजय गर्ग ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में मानदेय पर नियुक्त शिक्षकों का समायोजन/सेवा में बने रहने देने के सम्बन्ध में ।

3-श्री ददूू प्रसाद,
श्री आर० के० सिंह पटेल तथा
श्री जगदीश नारायण राय ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कराये जाने में 'बुन्देलखण्ड विकास निधि' 'पूर्वांचल विकास निधि' तथा 'विधायक विकास निधि' से विद्युतीकरण कार्य कराये जाने पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

4-श्री बुनियाद हुसैन अंसारी

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम लालपुर थाना-कोतवाली काशीपुर में होली के अवसर पर घटित घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

5-श्री राम प्यारे सिंह,
श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव,
श्री लालजी वर्मा,
श्री राम सिंह सैनी,
श्री राम ललित चौधरी,
श्री जगदम्बिका पाल तथा
डा० अम्मार रिजवी ।

प्रदेश में हो रही आगजनी जैसी दैवी आपदाओं के लिए तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

इसके अतिरिक्त श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री मुराद लारी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री अवधेश प्रसाद और श्री उदय राज यादव जी की सूचनाएं नियम 311 में प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं निरस्त करता हूं ।

(कई सदस्य सदन के वेल में बैठे हुए नारे लगाते रहे जिससे निरन्तर व्यवधान बना रहा ।)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(माननीय अध्यक्ष द्वारा संकल्प के प्रस्तावक का नाम श्री राम औतार शाक्य को पुकारने एवं उनके द्वारा अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत न करने पर) (व्यवधान)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर, विचार किया जाय ।

(व्यवधान) (संशोधन के प्रस्तावक श्री राम औतार शाक्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न करने पर)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर, विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।

(2) यह 25 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 3-क में, उप धारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "एक रुपया पचास पैसे" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या I सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में बैठे हुए सदस्यों द्वारा नारे लगाने से घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000

(अननुमोदन का संकल्प रखे जाने हेतु संबंधित सदस्य का नाम पुकारे जाने तथा उनके खड़े न होने पर)

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(संशोधन के प्रस्तावक का नाम पुकारे जाने एवं उनके द्वारा संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड –2 से खण्ड –5 तक, खण्ड –1. प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा ।

(2) यह 3 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड(ठ) में शब्द "चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अथवा सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे ।

धारा 2-क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2–क में;—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "फैजाबाद तथा कानपुर में " निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी अर्थात ;

"(1–क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे मेरठ में एक विश्वविद्यालय को, जो सरदार

बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहलायेगा, स्थापना की जायगी " ।

(ग) उपधारा (2) में शब्द और अंक "उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1–क)" रख दिये जायेंगे ।

अनुसूची का संशोधन

4–मूल अधिनियम में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी अर्थात्:—

"अनुसूची"

(धारा 6–क देखिये)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय प्रसार प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-कार्य के प्रयोजनार्थ अधिकारिता का प्रयोग करेगा
1	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,–	कुमायूं, गढ़वाल, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर और मेरठ डिवीजन
	(क) सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना होने तक	
	(ख) सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना हो जाने पर	कुमायूं, गढ़वाल, मुरादाबाद, और बरेली डिवीजन
2	नरेन्द्र देव कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर डिवीजन
3	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,–	कानपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, इलाहाबाद और चित्रकूट धाम डिवीजन
	(क) सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना होने तक	
	(ख) सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, की स्थापना हो जाने पर	कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और चित्रकूट धाम डिवीजन
4	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, सहारनपुर और आगरा डिवीजन ।"	

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के

अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह हैं कि खण्ड-2 से खण्ड 5तक खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रहेगी ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

"इस सदन का निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करें" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित की चर्चा का स्थगन ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18, 19, 20 एवं 30 डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

---

† दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की कार्यवाही से ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 में जिन सूचनाओं पर वक्तव्य, केवल वक्तव्य अथवा शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है उस पर अग्रेतर कार्यवाही के लिये शासन को भेज दिया जाय । वह यथासमय या जो तिथि निर्धारित की जायेगी उसमें वक्तव्य देंगे ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय" विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

"इस सदन का निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करें" विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

1–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सैम्पुल भरे जाते समय व्यापारियों को सैम्पुल न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

2–श्री श्यामदेव राय चौधरी — जनपद वाराणसी में प्राथमिक अनुभाग के शिक्षक-शिक्षिकाओं को बकाये वेतन का भुगतान किये जाने तथा भविष्य में नियमति वेतन भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के समबन्ध में ।

3–श्री विनोद मणि — पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने तथा टूटे हुए तटबन्धों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

4–श्री गोपाल कृष्ण — जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारत की भूमि पर नैपाली नागरिकों की अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :–

1–श्री अकबर हुसैन
डा० वकार अहमद शाह — जनपद मुरादाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के निर्माण और पुनर्निर्माण पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

2–श्री अरविन्द गिरि — जनपद लखीमपुर खीरी के हैदराबाद क्षेत्रान्तर्गत श्री कालिका प्रसाद की हत्या तथा थाना मितौली में अबोध बालिका के साथ हुई दुराचार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

3–श्री नवाब सिंह नागर — जनपद गौतमबुद्ध नगर में किसानों की भूमि के प्रतिकर की धनराशि पर आयकर तथा सरचार्ज की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4–श्री सौलत अली एडवोकेट — जनपद मुरादाबाद में हिन्दू कालेज, मुरादाबाद का क्रीड़ा मैदान, भवन एवं 20 लाख रुपया अवैध रूप से निजी संस्था को देकर सम्पत्ति का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

5–श्री रामचन्द्र यादव — रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, लखनऊ के निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

6–श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम छतरीपुर का राजकीय नलकूप चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7–डा० वकार अहमद शाह — तारा गर्ल्स इण्टर कालेज बहराइच में वर्ष 1998 के हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान हेतु निर्गत शासनादेश के अनुरूप वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में।

8–श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में सड़कों के किनारे से हरे वृक्षों को अवैध रूप से काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9–डा० सरजीत सिंह डंग — मिर्जापुर नगर में खण्डवा नाला पर गंगा नदी के कटान को रोककर जन जीवन की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–श्री शिशुपाल सिंह यादव — जनपद एटा के विकास खण्ड अवागढ़ अन्तर्गत कस्बा अवागढ़ में श्री दिवाकर भारद्वाज की हत्या के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2–डा० कौशल किशोर — सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नलकूप मिस्त्रियों के वेतन को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना — परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिकों की एकीकरण सेवानियमावली बनाये जाने तथा सेवाओं में आये व्युतक्रम को दूर करने के सम्बन्ध में।

4–श्री रामनाथ — जनपद बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र के परमहंस महाविद्यालय की सत्र, 1999-2000 की संस्थागत परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।

5–श्री बाबू लाल कुरील — जनपद लखनऊ के ग्राम बरायन कला में त्रिलोकी सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल के निकट लाइट लाइन के ऊपर पावर लाइन निकाले जाने के सम्बन्ध में।

6–श्री सीताराम निषाद — जनपद फैजाबाद में मसोधा शुगर मिल एवं मोतीनगर अल्कोहल फैक्ट्री के जहरीले रसायन को मड़हा नदी में प्रवाहित किये जाने के कारण नदी के जल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बध में।

7 श्री शिवपाल सिंह यादव	इटावा में लोक निर्माण विभाग द्वारा अण्डर ब्रिज की सड़क न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8–श्री रघुवर दयाल वर्मा	प्रदेश में मच्छरों की सघनता से निरन्तर फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9–श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेडकर नगर के थाना जहांगीरगंज अन्तर्गत ग्राम औराव में दलितों के घर लूटे जाने तथा उनकी प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में।
10–श्रीमती माया प्रसाद	जनपद हरदोई में समूह "ग" की भर्ती के अन्तर्गत चयनित कनिष्ठ लेखा लिपिकों की प्रतीक्षा सूची को पुनर्जीवित कर एक व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

शेष 7 सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

मद सं० 22

ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी 50 हैण्डपम्प स्थापना हेतु प्रस्ताव करने के अधिकार के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य-मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी 50 हैण्डपम्प स्थापना हेतु प्रस्ताव करने के अधिकार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के माध्यम से मा० सदन से यह अनुरोध किया गया है कि शासन में वित्तीय वर्ष 1999–2000 में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर 50 हैण्डपम्प की स्थापना करने की घोषणा की है, किन्तु ऐसे विधायक जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र विधान सभा शहरी/नगरीय है, उनको यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त विसंगति को तत्काल समाप्त किया जाये।

2–इस संबंध में मा० सदन को अवगत कराना है कि प्रदेश में मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत लगाये जाने वाले हैण्डपम्पों के सापेक्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50–50 हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश दि० 31 जनवरी, 2000 द्वारा मा० विधान सभा, सदस्य/विधान परिषद् से चयन स्थल की सूची प्राप्त कर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराये जाने के निर्देश निर्गत किये हैं।

3–जहां तक नगरीय क्षेत्रों के विधान सभा क्षेत्रों में 50–50 हैण्डपम्प प्रत्येक विधान सभा/विधान परिषद् के मा० सदस्यों से स्थल चयन की सूची प्राप्त कर अधिष्ठापित कराये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में 20 नगरीय विधान सभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50–50 हैण्डपम्पों के लिए अर्थात् कुल 1000 हैण्डपम्पों का प्रस्ताव करते हुए 200.00 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का जल निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में पेयजल हेतु 30.00 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया था। यह समस्त धनराशि नगरीय पेयजल योजनाओं हेतु पूर्व में ही स्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप जल निगम के प्रस्ताव हेतु आय-व्ययक में कोई धनराशि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सका और वित्तीय

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2000 2001 में इस हेतु प्रतीक प्राविधान है । अतः इस प्रस्ताव पर आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की उपलब्धता पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा । ।

वर्ष 2000 की परीक्षाओं में रंगीन एवं श्वेत श्याम फोटोग्राफ माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आवेदन पत्रों में स्वीकार न किये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

।माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठने हेतु आवेदन फार्मों में परीक्षार्थियों का फोटो लगाना पड़ता है । पहले जब कलर फोटोग्राफी का प्रचलन नहीं था तो ब्लैक एण्ड व्हाइट (श्वेत-श्याम) फोटो ही लगाया जाता रहा है लेकिन वर्तमान में रंगीन फोटो ग्राफी का प्रचलन हो जाने से प्रायः फोटोग्राफरों ने ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो का व्यापार ही एक तरह से बन्द कर दिया है । लेकिन खेद का विषय है कि परीक्षार्थियों द्वारा अपने फार्मों पर रंगीन फोटो लगाने पर विद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म इस आधार पर लेने से इन्कार कर दिया जा रहा है कि फार्म पर ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो नहीं लगा है । यह स्थिति सम्पूर्ण वाराणसी जिले की है और संभवतः यही स्थिति सम्पूर्ण राज्य में है । रंगीन फोटोयुक्त फार्म अस्वीकार कर देने से परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के समक्ष एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है जबकि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन प्रयोजनों के लिए भी फोटो लगाना आवश्यक है सभी स्थानों पर और सभी स्तर पर रंगीन फोटो स्वीकार किये जाते हैं ।

उक्त परिस्थिति में शिक्षा परिषद् द्वारा रंगीन फोटो अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है । मैंने कम्प्यूटर विशेषज्ञों से भी जानकारी प्राप्त की है कि यदि कम्प्यूटर में रंगीन फोटो फीड किया जाता है तो कोई भी तकनीकी कठिनाई नहीं है ।

उपरोक्त परिस्थिति में नियम–51 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना को प्रस्तुत करता हूं और माध्यमिक शिक्षा परिषद् को हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के आवेदन फार्म पर आगामी सत्र से रंगीन फोटो स्वीकार किये जाने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं ।।

। उक्त के संबंध में सूच्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्रों पर रंगीन फोटो लगाने का निषेध करने के कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं । आवेदन पत्र पर जिस भी तरह के फोटो (ब्लैक एण्ड व्हाइट/रंगीन फोटो) परीक्षार्थियों द्वारा लगाकर दिये गये हैं तथा प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद् कार्यालय में प्रेषित किये गये हैं उसे परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । उदाहरण के लिये वाराणसी जनपद के दो विद्यालयों क्वींस कालेज, वाराणसी एवं डी०एल०डब्लू०, वाराणसी के 2290 छात्रों में 632 ने रंगीन फोटो तथा 1658 ने श्वेत श्याम (ब्लैक एण्ड व्हाइट) अपने आवेदन पत्रों पर लगायी है इसी प्रकार इलाहाबाद के दो विद्यालय राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद, सी०ए०वी० इण्टर कालेज, इलाहाबाद की हाईस्कूल एवं इण्टर संस्थागत आवेदन-पत्रों की जांच भी की गई । जिससे 4048 परीक्षार्थियों में 4013 ने श्वेत श्याम एवं 55 परीक्षार्थियों ने रंगीन फोटो लगाया है तथा इस प्रकार दोनों प्रकार के फोटो आवेदन पत्र में लगे हैं परन्तु परिषद् द्वारा कोई भी आवेदन पत्र फोटो के रंगीन अथवा श्वेत श्याम होने के आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि परिषद् द्वारा दोनों तरह से फोटो युक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये गये । परिषद् के परीक्षार्थी नगर क्षेत्र के साथ-साथ सुदूर पहाड़ी एवं ग्रामीण अंचल में भी रहते हैं जिन्हें वहां पर प्रायः ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो ही मिल

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पाती है इस लिए अधिकांश छात्र ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो का प्रयोग करते हैं। वाराणसी एवं इलाहाबाद के उक्त विद्यालयों की स्थिति से यह प्रतिध्वनित हो रहा है कि नगर क्षेत्र के भी अधिकांश परीक्षार्थी श्वेत श्याम फोटो लगाना पसन्द करते हैं। परिषद् द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों पर वे सभी फोटो स्वीकार कर लिये जाते हैं जिसमें परीक्षार्थी का चित्र स्पष्ट हो एवं प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो।।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा, 1999 में मेधावी छात्र/छात्राओं की सम्मिलित वरीयता (मेरिट) सूची में की गयी हेरा-फेरी से विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह एवं लाखों मेधावी छात्र/छात्राओं में व्याप्त कुण्ठा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल परीक्षा, 1999 की श्रेष्ठता सूची में कनौसा कान्वेन्ट गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालेज, फैजाबाद की कु० अमृता सिंह अनुक्रमांक 1121217 प्राप्तांक 531/600 प्रथम स्थान पर एवं उसी संस्था की कु० आकांक्षा गुप्ता अनुक्रमांक 1121213 प्राप्तांक 512/600 सोलहवें स्थान पर रहीं।

संस्था से अंक पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कु० आकांक्षा गुप्ता के अभिभावक डा० वी० के० गुप्ता ने जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक के संदर्भ में एक शिकायती पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी मे दिया कि उसकी पुत्री को जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में (10) अंक नहीं मिल सकते। अतः उसकी उत्तरपुस्तिका की जांच करायी जाय। छात्रा चूंकि बहुत ही मेधावी भी और उसे जीव विज्ञान प्रथम प्रश्न में (10) अंक प्राप्त होना अविश्वसनीय लग रहा था। इस कारण क्षेत्रीय सचिव ने उत्तर पुस्तक निकलवा कर देखी तो इस तथ्य की पुष्टि हुई कि परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तक में (30) अंक दिये गये हैं किन्तु एवार्ड पर 10 अंक लिखे गये। इस कारण अंक पत्र एवं गणना पंजिका (टेबुलेशन रजिस्टर) पर 10 अंक मुद्रित हुए। चूंकि त्रुटि परीक्षक के स्तर की थी इस कारण जब उक्त त्रुटि को संशोधित किया गया तो कु० आकांक्षा गुप्ता 512 अंक से बढ़कर 532 अंक प्राप्त कर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर आ गयी।

परिषद् द्वारा उक्त की गयी कार्यवाही से क्षुब्ध होकर कु० अमृता सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या–2477/1999 योजित की और विलम्ब से सन्निरीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा किया। याचिका पर सुनवाई के उपरान्त माननीय न्यायमूर्ति ने दिनांक 1-11-99 को यह अन्तरिम आदेश पारित किया कि सन्निरीक्षा हेतु विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाय तथा इनकी भी सन्निरीक्षा की जाय और 11 जनवरी को समस्त सन्निरीक्षा की कार्यवाही पूर्ण कर याचिका से संबंधित वांछित अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय।

उक्त याचिका में कु० आकांक्षा गुप्ता भी प्रतिवादी थी और इनके द्वारा याचिका का प्रतिवाद करने हेतु अधिवक्ता को भी नियुक्त किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये अन्तरिम आदेश के अनुपालन में जब कु० अमृता सिंह की जीव विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र की सन्निरीक्षा करायी गयी तो प्राप्त प्राप्तांकों में (9) अंक की वृद्धि हो गयी और परीक्षक द्वारा जिस प्रकार की त्रुटि कु० आकांक्षा गुप्ता के प्रकरण पर की गयी थी उसी प्रकार की त्रुटि कु० अमृता सिंह के प्रकरण पर भी ली गयी अर्थात् उत्तर पुस्तिका के अनुरूप एवार्ड पर

नोट :- ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंक उतारे नहीं गये । फलस्वरूप कु० अमृता सिंह 540/600 अंक प्राप्त कर श्रेष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर एवं आकांक्षा गुप्ता 532/600 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहीं ।

दिनांक 18-1-2000 को रिट याचिका की सुनवाई के समय माननीय न्यायमूर्ति ने स्वयं कु० अमृता सिंह एवं कु० आकांक्षा गुप्ता की संबंधित उत्तर पुस्तक को अवलोकित किया तथा परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय पर अपनी सहमति भी व्यक्त की ।

उक्त से स्पष्ट है कि परिषद् द्वारा किसी भी परीक्षार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया तथा सन्निरीक्षा के फलस्वरूप प्रकाश में आई त्रुटियों का तत्काल निराकरण करते हुये दोषी परीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही भी कराई गयी है । ।

जनपद उन्नाव में पुलिस की सांठ-गांठ से मादक पदार्थों की खुले आम बिक्री से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संबंध में श्री रामकुमार एडवोकेट तथा उदय राज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

उपर्युक्त विषय में पुलिस अधीक्षक उन्नाव से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद उन्नाव में मादक पदार्थों की तस्करी का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है । एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1999 में कुल 162 अभियोग जनपद में पंजीकृत हुए जिनमें 163 अभियुक्तों के विरुद्ध कारवाई हुई । इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न मादक द्रव्यों की वर्ष 1999 में हुई बरामदगी का विवरण निम्नवत् है :–

बरामदगी	वर्ष 1999
1–चरस	15 कि० ग्रा०, 650 ग्रा०
2 गांजा	22 कि० ग्रा०, 750 ग्रा०
3–अफीम	275 ग्रा०
4 मारफीन	150 ग्रा०
5–स्मैक	5 ग्रा० (20 पुड़िया)
6-वोण्डी	279 कि० ग्रा०, 50 ग्रा०
7–पोस्ता	——
8–नशीली गोली	720 टिकिया

उपरोक्त सभी पंजीकृत अभियोग मादक द्रव्यों की तस्करी की श्रेणी में नहीं आते हैं, उपरोक्त माल बरामदगी किसी तस्कर गिरोह से नहीं की गई है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 1999 में जनपदीय पुलिस ने निरन्तर सक्रियता दिखाकर इस दिशा में कारवाई की है ।

नोट :- । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जहां तक जनपद उन्नाव में अवैध (कच्ची शराब) की भट्ठियों के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 1998 में कुल 142 अवैध शराब की भट्ठियां पकड़ी गईं व वर्ष 1999 में मात्र 81 अवैध शराब की भट्ठियां पकड़ी गयी । जिनका गत वर्ष 1998 एवं वर्ष 1999 का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	पंजीकृत अभियोगों की संख्या	भट्ठी	बरामदगी
1998	कुल (142 अन्तर्गत धारा 60/63)	142	2442.50 लीटर
	कुल (218 अन्तर्गत धारा 60)		1967 ली०, 1556 पाउच, 48 बोतल अंग्रेजी, 3 लीटर ताड़ी ।
1999	कुल (81 अन्तर्गत धारा 60/63)	81	394.750 लीटर
	कुल (321 अन्तर्गत धारा 60)	—	2422 ली०, 500 मि० ली० कच्ची, 14272 पाउच, 3 बोतल ताड़ी ।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में काफी अंकुश लगाकर इस अवैध कार्य को रोका गया है जिसके कारण अवैध शराब के धन्धे में काफी कमी आयी है ।

यह कहना कि पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का कार्य चल रहा है सर्वथा गलत है ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 12 एवं 13 के संबंधित विनियमों तथा संहिता के पैरा–119 में संशोधन के पूरे प्रदेश में कक्षा–9 के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

' इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय–12 एवं 13 के संबंधित विनियमों तथा संहिता के पैरा–119 में संशोधन कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश का कोई भी छात्र/छात्रा कक्षा–9 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा–10 की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में वर्ष 2001 की परीक्षाओं से सम्मिलित नहीं हो सकेगा । ऐसे छात्र/छात्राओं वर्तमान के कक्षा–9 में कहीं भी संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और यदि वे वर्ष 2001 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्होंने ज० प० स० द्वारा संचालित वर्ष 2000 की कक्षा–9 की परीक्षा में अपने समीपस्थ किसी भी विद्यालय से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना विधिक रूप से होना अनिवार्य है, अन्यथा कक्षा–9 की परीक्षा उत्तीर्ण होने के अभाव में किसी भी छात्र/छात्रा वर्ष 2001 की हाईस्कूल (कक्षा–10) परीक्षा हेतु व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना सम्भव न हो सकेगा । ।

जनपद मथुरा में परिक्रमा मार्ग के सार्वजनिक मन्दिरों में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के निदान हेतु परिक्रमा गोवर्धन के मन्दिरों का जनहित में अधिग्रहण कर प्रशासक नियुक्त करने तथा मां वैष्णो देवी मन्दिर की भांति ट्रस्ट बनाये जाने के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। गोवर्धन में दानघाटी, मानसी गंगा, मुखारे बिन्द जतीपुरा एवं राधा कुण्ड आदि मन्दिरों को जनहित में अधिग्रहीत किये जाने हेतु माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दिनांक 24-2-99 को सदन में एक याचिका उपस्थापित की गई थी जिसके संबंध में जिलाधिकारी, मथुरा से जांच कराकर आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है । उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये उ० प्र० हिन्दू धार्मिक सार्वजनिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 लागू है । इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आयुक्त, सहायक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तथा आयुक्त को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार प्रतिनिहित है । सामान्यतः जिलाधिकारी आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी सहायक आयुक्त होते है । आयुक्त को किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के विरुद्ध जांच कराने और जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही करने का अधिनियम में विद्यमान प्राविधानों अन्तर्गत अधिकार प्रदान किया गया है । आयुक्त उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है । जिलाधिकारी, मथुरा से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जांच आख्या प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है । चूंकि यह एक नीति विषयक मामला है अतः जिलाधिकारी की आख्या एवं संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर इस प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जायेगी । ।

जनपद-संत रविदासनगर के विकासखण्ड-औराई के ग्राम-पीपरगांव में स्थित पंचायत भवन में पंचायत कार्यालय न खुलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। मा० सदस्य, विधान सभा श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना कि शासनादेश के विपरीत ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा पंचायत भवन में कार्यालय न खोलकर ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन पर अनाधिकार कब्जा किया जा रहा है, जिससे छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है । प्रधान के इस कृत से पूरे ग्राम पंचायत में काफी रोष व्याप्त है।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, संत रविदासनगर से आख्या प्राप्त की गयी । उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास खण्ड-औराई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पीपरगांव में जो पंचायत भवन है, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । इसी कारण ग्राम पंचायत का कार्यालय–भवन, पंचायत भवन में स्थापित नहीं किया गया है । वर्तमान समय में ग्राम पंचायत का कार्यालय श्रमदान से निर्मित स्कूल भवन में खोला गया है । जिसका प्रयोग अब प्राथमिक विद्यालय का नया भवन बन जाने के कारण नहीं हो रहा है । ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यपकों का (पत्राचार) बी० टी० सी० प्रशिक्षण पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी० टी० सी० प्रशिक्षण से मुक्ति दिये जाने हेतु अथवा उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त अनुपन्य वेतन देने के संबंध में समय-समय पर शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं । उक्त प्रसंग में शासनादेश संख्या–742/15-13-94-1499(8)/77, दिनांक 6 सितम्बर, 1994 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालकों/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी० टी० सी० प्रशिक्षण से छूट दिये जाने के संबंध में प्राविधान किये गये थे । इस संबंध में शासनादेश के अनुसार जिन अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की अनवरत सेवा दिनांक 1-9-94 को 10 वर्ष हो गयी हो, किन्तु उनकी सेवा निवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष रह गये हों उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करते हुए 2 वर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी । शासनादेश संख्या–1807/15-13-94-1499(8)/77, दिनांक 21-10-94 के द्वारा ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं को बी० टी० सी० प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने तथा पत्राचार प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में यह व्यवस्था की गयी थी जिनकी अनवरत सेवा दिनांक 1-9-94 को 10 वर्ष पूरी हो गयी है अथवा जिनकी सेवा निवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष रह गये हों । शासनादेश संख्या–507/15-13-96-1499(8)/77, दिनांक 18मार्च, 1996 में उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 6-9-94 में दी गयी सुविधा केवल परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही दिये जाने का प्राविधान किया गया था ।

2- शासनादेश संख्या–591/15-11-98-1300(5)/97, दिनांक 27 मार्च, 98 द्वारा बी० टी० सी० पत्राचार की उपरोक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गयी । इस व्यवस्था को समाप्त करने से पूर्व उक्त दिनांक तक जो अभ्यर्थी पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत कर लिये गये थे अथवा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके परीक्षा दे दी थी किन्तु उक्त दिनांक तक प्रशिक्षण पूरा न होने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया था, उनके द्वारा इस संबंध में अनेकों रिट याचिकायें दायर की गयी । कुछ रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कराने तथा परीक्षाफल घोषित करने के अंतरिम निर्देश दिये गये थे ।

3. उपरोक्त संदर्भ में 3 जुलाई, 99 के शासनादेश के अन्तर्गत प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी जिसे अर्हता/अनर्हता की जांच कर अनर्ह अभ्यर्थियों के मामले में कारण बताते हुए आदेश पारित कर उनके अभ्यर्थन निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं तथा उक्त के अनुक्रम में 12 जुलाई, 99 के शासनादेश में 31 जुलाई, 99 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को बुलाकर प्रमाण-पत्र देख लिये जाने एवं उनके जांच कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये है ।

4– उपरोक्त पृष्ठाभूमि में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर में पत्राचार बी० टी० सी० प्रशिक्षण कराया गया जिसके अन्तर्गत वर्ष 95-96 में कुल 743 अशासकीय तथा 52 परिषदीय मृतक

आश्रित अध्यापकों कुल 795 का पंजीकरण संस्थान के स्तर पर किया गया । इनमें से अशासकीय मान्यता प्राप्त 145 अध्यापकों का प्रथम फेरे का प्रशिक्षण वर्ष 1995 में तथा 52 परिषदीय मृतक आश्रित अध्यापकों को प्रशिक्षण वर्ष 1996 में कराया गया । उक्त में से 52 मृतक आश्रित अध्यापकों की परीक्षा 21-11-96 को सम्पन्न हो चुकी है । किन्तु परीक्षाफल अभी घोषित नहीं किया गया है ।

5–उपरोक्त के उपरान्त वर्ष 95 में पंजीकृत 743 आशासकीय मान्यता प्राप्त अध्यापकों में से 89 अशासकीय अध्यापकों का प्रशिक्षण वर्ष 97 में तथा 434 अशासकीय मान्यता प्राप्त अध्यापकों का (जिसमें वर्ष 95 एवं 97 में प्रशिक्षित 234 अध्यापक भी सम्मिलित थे) दोनो फेरों का प्रशिक्षण वर्ष 99 में पूर्ण किया गया । शेष 309 अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न नहीं हुआ । उक्त के साथ ही साथ वर्ष 1995, 1997 एवं वर्ष 1999 में जिन अशासकीय मान्यता प्राप्त अध्यापकों का प्रशिक्षण किया गया था, उनकी परीक्षा भी सम्पन्न नहीं हुई ।

6–इसी मध्य शेष 309 अप्रशिक्षित अध्यापकों की ओर से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका 47662/99 योजित की गयी जिसमें मा० न्यायालय ने दिनांक 10-11-99 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए प्राचार्य, डाएट बुलन्दशहर को निर्देश दिये कि वे समस्त याचीगणों के प्रत्यावेदन पर सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय करें । उक्त आदेश के अनुपालन में प्राचार्य, डायट बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 16-3-2000 को यह निर्णय पारित किया कि रिट से संबंधित सभी याचीगण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अर्ह नहीं है ।

7–उक्त के साथ जिन 434 अशासकीय मान्यता प्राप्त अध्यापकों के प्रशिक्षण के उपरान्त भी परीक्षा नहीं हो पाई थी उनके संबंध में मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ, बुलन्दशहर ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका 48077/99 योजित की जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 17-11-99 को अंतिम आदेश पारित करते हुए रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उ० प्र०, इलाहाबाद को निर्देश दिये कि वे उक्त समस्त याचीगणों के प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण करें । मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उ० प्र० ने अपने निर्णय दिनांक 16-2-2000 में समस्त याचियों को अनर्ह पाये जाने के कारण उनके प्रत्यावेदन निरस्त कर दिये ।

8–चूंकि मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्राचार्य, डायट, बुलन्दशहर एवं रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उ० प्र० द्वारा सुनवाई करने के उपरान्त अभ्यर्थियों के आवेदन को अनर्हता के कारण निरस्त कर दिया गया है । अतः अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण या परीक्षा कराने का औचित्य नहीं बनता है ।

9–शासनादेशों के विपरीत अशासकीय मान्यता प्राप्त अध्यापकों के प्रशिक्षण कराये जाने के प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जांच कराई गई जिसमें श्री बी० एल० शर्मा, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डाएट, बुलन्दशहर तथा अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनाने एवं रासायनिक खादों के असन्तुलित प्रयोग आदि विषयक दिनांक 15-7-99 के तरा० प्र०–4 नत्थी (ग) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 25 मिनट पर सोमवार दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 11 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–41 का संलग्नक ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

1– स्थानान्तरण केवल 15 मई से 15 जून के बीच किये जायेंगे । इस अवधि के बाद स्थानान्तरण केवल बेसिक शिक्षा परिषद् के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही किये जा सकेंगे ।

2 विकास खण्ड स्तर पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे ।

3– एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा किए जायेंगे । इसके लिए सी०डी०ओ० एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजा जायेगा । जिसमें रिक्त रिक्तियों, गृह जनपद तथा पिछली तैनाती आदि का उल्लेख हो ।

4– इस वर्ष 15 मई तक छात्रों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित मानकों के अनुसार अध्यापकों की संख्या निर्धारित कर दी जायेगी । प्रत्येक जनपद तथा विद्यालयों के लिए अध्यापक संख्या के निर्धारण का आधार छात्र संख्या होगी । छात्र संख्या 30 सितम्बर, 98 को नियमित उपस्थिति तथा छात्र संख्या पर आधारित होगी । यह संख्या स्थायी होगी और इसमें परिवर्तन बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेशों से ही किया जा सकेगा ।

5– स्थानान्तरण करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी विद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक न तैनात हों । यदि स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक तैनात होते हैं तो उसका दायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा तथा उस अध्यापक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा ।

6– प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तैनात किये जायेंगे । यह भी प्रयास किया जायेगा कि उक्त दो अध्यापकों में से कम से कम एक महिला अध्यापक हो । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 अध्यापक तैनात किए जायेंगे ।

7– किसी भी वर्ष में स्थानान्तरण जिले के अध्यापकों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक किसी भी अवस्था में नहीं किये जायेंगे ।

8 स्थानान्तरण केवल प्रशासनिक आवश्यकता पर, व्यक्तिगत अनुरोध व स्कूलों में अध्यापकों के (एक्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन) उद्देश्य से ही किये जायेंगे । सामान्य स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे । ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर भी अध्यापक का स्थानान्तरण किया जा सकेगा । यह एक उचित प्रशासनिक आधार होगा । इसके अतिरिक्त गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर भी स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा ।

9– पति पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा । लेकिन इस प्राविधान से उन्हें एक स्थान पर तैनात किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

10 मान्यता प्राप्त संघ के राज्य स्तर मण्डल स्तर व जिला स्तर के अध्यक्ष व सचिव को सामान्यतः उनके पद ग्रहण करने से 2 वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा । यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो बेसिक शिक्षा परिषद् की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

11– इन नियमों के प्रयोजन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् का तात्पर्य परिषद् इन सेसन से है । परिषद् द्वारा यह अधिकार परिषद् अध्यक्ष अथवा किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिहित नहीं किये जायेंगे ।

12– नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे ।

13- इस नियमावली के प्राविधानों के पालन का उत्तरदायित्व संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा । यदि किसी भी विद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक अथवा दो अध्यापक से कम अध्यापक तैनात किये जाते हैं तो उसका दायित्व भी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा ।

14- स्थानान्तरण आदेश केवल संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी होंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर।)

जनपद मैनपुरी के अधूरे प्राथमिक विद्यालयों (ब्लाक वाइज एवं वर्षवार) की संख्या

क्रमांक	ब्लाक का नाम	अधूरे प्राथमिक विद्यालयों की वर्षवार संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	मैनपुरी	08	01	शून्य
2	घिरौर	19	01	..
3	कुरावली	14	—	..
4	सुल्तानगंज	01	02	..
5	बेवर	18	01	..
6	किशनी	40	—	..
7	जागीर	01	01	..
8	करहल	12	02	..
9	बरनाहल	05	—	..
		118	08	—

जनपद मैनपुरी के अधूरे प्राथमिक विद्यालयों (ब्लाक वाइज एवं वर्षवार) की संख्या

क्रमांक	ब्लाक का नाम	अधूरे प्राथमिक विद्यालयों की वर्षवार संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	मैनपुरी	—	01	01
2	घिरौर	01	02	01
3	कुरावली	01	01	—
4	सुल्तानगंज	—	01	02
5	बेवर	01	01	02
6	किशनी	01	01	—
7	जागीर	01	02	01
8	करहल	—	01	02
9	बरनाहल	01	01	—
		06	11	09

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर ।)

संख्या–626सं०/15-9-99–25(171)/98

प्रेषक,

श्री एस० एन० शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय,
लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग (9) लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 1999

विषय :–श्री ओंकारेश्वर संस्कृत महाविद्यालय उसनोधा मैनपुरी को राज्यानुदान अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सां० (2) विस्तार/603/98–99. दिनांक 16-6-98 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय के संबंध में शासन के पत्र संख्या–83सं०/25-9-99–25(171)/98. दिनांक 16 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा यह कहा गया था कि प्रश्नगत विद्यालय को अनुदान दिये जाने पर विचार किया जा सकता है । संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिये जाने हेतु आय-व्ययक में कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं है, अतः किसी विद्यालय को अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है, को निरस्त करते हुये मुझे यह कहना है कि उक्त विद्यालय को राज्यानुदान अंवमुक्त किये जाने के संबंध में विचार किया गया । सम्यक विचारोपरान्त उक्त विद्यालय को राज्यानुदान स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

भवदीय,
ह०/–
(एस०एन० शुक्ल)
विशेष सचिव ।

संख्या–626सं० (1)/15-9-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, उप शिक्षा निदेशक संस्कृत कार्यालय शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, इलाहाबाद को भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
(एस०एन० शुक्ल)
विशेष सचिव ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 238 विधान सभा (448)- 2000-813 (डी०टी०पी०) ।